(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का छठा दिवस [संख्या 4

बुधवार

दिनांक 9 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का परिचय

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लेने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अपने मन्त्रिमण्डल का परिचय करा दें। वह परम्परा लोक सभा में भी है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल): यह तो नई परम्परा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नयी परम्परा नहीं है। आपको मालूम नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पहले भी सदस्य रहा हूं। यह नयी परम्परा है। यह अनुरोध करूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्य, पता नहीं, सदन का समय क्यों बरबाद करवाना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी नये मन्त्री लिए जाते रहे हैं तो उनका परिचय कराया जाता रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी लोक सभा में रहे हैं। वह परम्परा से परिचित हैं। इसलिए वह अपने मन्त्रिमण्डल का परिचय करा दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मन्त्रियों को जानते हैं फिर भी उनके परिचय के लिए कहते हैं तो मैं उनका परिचय कराये देता हूं। आप हैं, श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर शिक्षा मन्त्री, आप हैं, श्रीमती कमला और आप हैं श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता चिकित्सा मन्त्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय मुख्य मन्त्री जी अच्छी परम्परा डाल रहे हैं। विरोधी दल की बात को मान रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो आप की शक्ल देख कर घबरा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय का भी परिचय करा दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वाद-विवाद नहीं होगा।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न । श्री जीतमल जैन ।

ग्राम मूंगसका, जिला अलवर में कुटीर हाउस की जमीन का प्रकरण

श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वन विभाग द्वारा अलवर में ग्राम मूंगसका के निकट कुटीर हाउस की जमीन श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल को सन् 1955 में ठेके पर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मी-नारायण ने 1956 में गलत तरीके से उक्त जमीन के खातेदारी हकूक अपने नाम करा लिए थे ?

(3) क्या यह सही है कि श्री लक्ष्मी-नारायण के विरुद्ध वन विभाग द्वारा न्याया-लय में मुकदमा चलाया गया ? यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय का फैसला वन विभाग के पक्ष में हुआ ?

(4) यदि हां, तो क्या जमीन का कब्जा वन विभाग द्वारा ले लिया गया ? यदि नहीं, तो कौन अधिकारी इसके लिए दोषी है ? सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) वर्तमान में सरकार उक्त जमीन का कब्जा लेने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन मन्त्री (श्रीमती कमला) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उच्च न्यायालय का फैसला वन विभाग के पक्ष में दि. 4-2-66 को तथा सुप्रीम कोर्ट का फैसला दि० 20-9-66 को हुआ।

(4) जमीन का कब्जा लेने हेतु कार्यवाही जारी है।

(5) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत दि० 1-6-66 से बेदखली की कार्यवाही जारी है।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सन् 66 से कार्यवाही चल रही है, 14 साल हो गये हैं ....

श्री अध्यक्ष : जुडिसियरी का मामला है।

श्री जीतमल जैन : मेरा निवेदन यह है कि अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती कमला : आपको तारीख बताई है। विभिन्न समयों में जिस-जिस वक्त सर-कार ने बेदखली की कार्यवाही की है जिस स्तर पर की है उनके खिलाफ फैसला हो गया रेवेन्यू बोर्ड का। वह हाई कोर्ट में गये सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट में फैसला उनके खिलाफ हो गया। उसके बाद इस अवसर पर रेवेन्यू बोर्ड में मामला चल रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुए 14 साल हो गये हैं। क्या धारा 91 की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर है, जो इतनी डिले हुई है। सवाल यह है कि जिसने खातेदारी हक दिये हैं, वह अधिकारी कौन है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न में यह जानकारी चाही है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिस अधिकारी ने खातेदारी हक दिये हैं।

श्रीमती कमला : सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेन्ट के पक्ष में फैसला होकर आ गया है। उसके बाद बेदखली की कार्यवाही करने के लिए धारा 91 की कार्यवाही की गई है। वह अभी चालू है। राजस्व बोर्ड में पेशियां चल रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सुप्रीम कोर्ट से क्या खातेदारी हक रद्द करने के लिए फैसला हुआ है या प्रोपराइटरी राइट्स धारा 82 और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 232 या टिनेन्सी एक्ट में कोर्ट आफ रेवेन्यू में किया है ?

श्रीमती कमला : खातेदारी हकूक बनते हैं या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। खातेदारी हक नहीं बनते हैं। इसी आधार पर सरकार ने कार्यवाही की है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 में राजस्व बोर्ड में यह मामला चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आगे पूरक प्रश्न बनते ही नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : प्रश्न यह है कि जिस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया जिस अधिकारी ने उसका नियमन किया है, उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है, जी हां तो जिस आदमी ने नाजायज तौर से जमीन हथिया ली है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह व्यक्ति कौन है ? यह किस पार्टी या दल का है ?

श्री अध्यक्ष : आजकल दलबदल बहुत हो रहे हैं। क्या मालूम किस पार्टी से सम्बन्धित है।

श्रीमती कमला : उस व्यक्ति का नाम लक्ष्मीनारायण है। दल का पता नहीं है।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : यह कांग्रेस 'आई' दल का सदस्य है।

कई माननीय सदस्य : धिक्कार है... धिक्कार है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : वह 136 रु. प्रतिमास आज भी वसूल कर रहा है। उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या (3) का उत्तर मैं फिर सुनना चाहूंगा।

श्रीमती कमला : मैंने जो जवाब दिया है, उसमें यह कहा है – 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिनांक 20-9-66 को हुआ है।"

(4)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जिसने जमीन दी थी, वह अफसर कौन है? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती कमला : यह भाग (4) में है, (3) में नहीं है। जब रेवेन्यू बोर्ड से फैसला हो जायेगा, तभी सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

बूंदी जिले के राजकीय चिकित्सालय

2. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या चिकित्सा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में कितने राजकीय चिकित्सालय हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बूंदी में कार्यरत चिकित्सालयों में एक भी चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) जिला बूंदी में 26 राजकीय चिकित्सालय हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जिला बूंदी में कुल चिकित्सकों के स्वीकृत 42 पदों में से केवल 6 पद ही रिक्त हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन मे क्या आज की तारीख में डाक्टर की सेवायें उपलब्ध हैं ? मेरा निवेदन है कि केशोरायपाटन, बड़ाखेड़ा और लाखेरी में महिला चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता । मैंने निवेदन किया कि 42 पोस्टें सैंक्शन्ड हैं, उनमें से 6 पद रिक्त है और 36 भरे हुए हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या इन चिकित्सालयों में आज की तारीख में महिला चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध है ? मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि कितने पद हैं और कितने पद रिक्त हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि इन चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध हैं या नहीं ? और नहीं है तो सरकार कब तक उनकी पूर्ति कर देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके सवाल में यह था कि एक भी चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध नहीं है, मैंने कहा कि 42 में से 36 मौजूद हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : ये कहां-कहां पर हैं, यह बता दीजिये। यह स्पष्ट कर दें कि किन-किन डिस्पेन्सरीज में ये काम कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य, अगर आपको शिकायत हो तो मुझे बतलाइये।

श्री गोपाल पचेरवाल : मुझे शिकायत है। आप यह जानकारी दें कि बून्दी जिले में कितने चिकित्सालय हैं और कौन-कौन से चिकित्सालय में कौन-कौन डाक्टर कार्यरत हैं ? आप अपने अधिकारियों से कहें कि सही जानकारी उपलब्ध करवावें जिससे सदन को गुमराह नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय महिला डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध नहीं है । यह ग्रामीण लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है । कई माताओं और बहिनों को, जो गर्भवती होती हैं, महिला चिकित्सक की सेवाओं के अभाव में मौत का शिकार होना पड़ता है । ऐसी हालत में ग्रामीए इलाकों में महिला चिकित्सकों की व्यवस्था करें ताकि जो मातायें और बहिनें मौत का शिकार होती हैं उनको बचाया जा सके । यह सरकार का नैतिक दायित्व है । सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है, यह भी बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय से निवेदन कर दिया है कि आप उनसे सम्पर्क कर लें ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (बीगोद) : क्या यह सही है कि (व्यवधान) 20 फरवरी से एक्सरे मशीन बन्द है ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

प्रश्नकर्ता !

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले में जितने भी चिकित्सालय हैं, माननीय मंत्री महोदय ने उनकी सूची सदन की मेज पर रखी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने चिकित्सालय हैं जहां पर महिला डाक्टरों की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं? पिछले दिनों नवज्योति में बून्दी जिले के एक डाक्टर का इण्टरव्यू छपा था । उस डाक्टर ने बून्दी जिले के चिकित्सालयों की व्यवस्था के बारे में अफसोस जाहिर किया फिर भी सरकार कान में तेल डालकर सोती रही, यह शर्म की बात हैं ।

मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि 36 डाक्टरों में से कितने डाक्टर्स आज की तारीख में कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की पूर्ति सरकार द्वारा कब तक कर दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 200 डाक्टर्स की शॉर्टेज है, जिनका रिक्रूटमेण्ट नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : राजस्थान का सवाल नहीं है, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 42 में से 36 पद भरे हुए हैं, 6 जगह खाली हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या ये रिक्त स्थान पिछले चार महीनों में हुए हैं या पहले से चले आ रहे हैं ?

6

(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्रश्नकर्ता। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ग्रासन पैरों पर है।

ऐसा है कि मन्त्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बून्दी जिले में 42 पद हैं जिनमें से 36 पद भरे हैं और 6 पद रिक्त हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि आप उनको यह बता दें कि कहां पर जरूरत है, वहां पर लगा देंगे। उसके बाद कौनसा प्रश्न रह आता है ?

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, हमसे ऐसी आशा की जाती है कि सुनिश्चित सवाल रखें तो हम भी आशा करते हैं कि उसका सुनिश्चित जवाब आवे। प्रश्न यह था कि अमुक-अमुक जगह डाक्टर्स हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह नहीं पूछा गया।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : सप्लीमेन्ट्री में पूछा है। आप संरक्षण दें। मन्त्री महोदय के पास अगर सूचना नहीं है तो कह दें कि नहीं है। व्यवस्था यह नहीं की जा सकती है कि--

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं मुलाहिजा फर्मायें प्रश्न के दूसरे भाग में यह लिखा है कि क्या यह सही है कि जिला बून्दी में कार्यरत चिकित्सालयों में एक भी चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों?

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : 6 रिक्त पदों में से, उन्होंने पूछा था अमुक-अमुक जगह है या नहीं, ऐसे कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर डाक्टर्स नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक पाल में एक तालेड़ा, में तीन में से एक डाक्टर की जगह खाली है।

श्री गोपाल पचेरवाल : पहले क्या बताया, बून्दी जिले में नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तीसरा है पोकरण मे जहां पर तीन जगहों में से एक जगह खाली है।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : नाम बताइये।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी को आप ताड़ना दें। प्रश्नों का उत्तर ठीक प्रकार से देवें।

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : आप चेम्बर में जाकर मिल लें।

(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया कि

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कौन-कौनसी जगहों पर डाक्टर नहीं हैं ? पाली तो बून्दी जिले में नहीं है

(व्यवधान)

पहले उत्तर आने दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो मैंने बता दिया ।

श्री दिनेशराय डांगी : पाली तो मेरे जिले में है जहां से मैं आता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डाबी में दो जगह रिक्त हैं, एक जगह बड़ा खेड़ा, लाखेरी में दो में से एक जगह खाली है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये तो सात हो गई ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर माननीय मन्त्री महोदय के पास जो सूचना उपलब्ध थी वह सदन को दे दी गई है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री महोदय ने गलत सूचना दी है—

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, यह लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 6 स्थान जो खाली हैं उनको भरने के लिये क्या प्रक्रिया की गई और उसमें कितनी सफलता मिली ? यदि नहीं मिली तो ऐसा कौनसा तरीका अपना रहे हैं ताकि इस प्रकार के डाक्टर्स के खाली स्थानों की पूर्ति की जा सके ? यह स्पष्ट सवाल है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि···

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेडी डाक्टर की भर्ती की कार्यवाही चालू की जा रही है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने आश्वासन दिया था कि मैं आप को समय दूंगा । मेरा सिर्फ मन्त्री महोदय से निवेदन है···

श्री अध्यक्ष : धीरे-धीरे आप प्रश्न पूछिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह जन-जीवन का प्रश्न है । 3 महीने से पाली का अस्पताल बन्द पड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है । आप अलग से पूछें ।

श्री राजबहादुर : मेरा एक प्रश्न है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सीधा सा प्रश्न है, जिसका जवाब आ गया । जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका जवाब दे दिया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पूरा जवाब दे दिया । अब क्या रह गया ?

श्री राजबहादुर : एक प्रश्न करता है । माननीय मन्त्री जी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं ।

श्री राजबहादुर : मन्त्री महोदय प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ।

(8)

मुख्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने माननीय सदस्यों के विचार सुन लिये हैं। जो सवाल उन्होंने किये हैं उन पर गौर किया है। हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहां-कहां क्या-क्या कमी है और इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री राम रघुनाथ चौधरी।

ग्राम पुन्दलोता, नागौर में ग्रिड स्टेशन

3. **श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पुन्दलोता पंचायत समिति, जिला नागौर में एक 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी ?

(2) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति किस वर्ष में दी तथा कार्य कब तक पूरा होना था ? अभी कार्य की क्या प्रगति है ? यह ग्रिड स्टेशन कब तक बन कर पूरा हो जायेगा ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) . (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पुन्दलोता पंचायत समिति, जिला नागौर में एक ग्रिड स्टेशन 33 के. वी. के बनाने की स्वीकृति पिछले वर्ष हुई और माननीय मन्त्री महोदय यह उत्तर दे रहे है कि प्रश्न ही नहीं उठता कि इसकी स्वीकृति हुई। इससे तो मेरा प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास कागजात उपलब्ध हैं, वह फिर भी पूछ कर बतादें कि स्वीकृति हुई या नहीं ? अगर कहते हैं कि नहीं हुई है तो मेरा प्रश्न ही नहीं उठता। अगर स्वीकृति हुई है तो वह अपने आप को सुधार लें। क्योंकि वह नये-नये मन्त्री हैं शायद इनको मालूम नहीं कि हाउस में गलत उत्तर देने या सदन को गुमराह करने का नतीजा क्या हो सकता है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : माननीय सदस्य, अजमेर से 132 के. वी., स्टेशन, डेगाना होते हुए जो लाइन है, एक प्रस्ताव 1979-80 में आया था, जिसके लिए 20 हजार रु. का प्रावधान रखा गया था। क्योंकि वह टैक्निकली फिजिबल नहीं था। इसलिए उसको आगे नहीं चलाया।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी मेरा प्रश्न समझे नहीं। इसमें स्पष्ट है, क्या यह सही है कि ग्राम पुन्दलोता पंचायत समिति, जिला नागौर में एक 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी थी या विद्युत मण्डल ने दी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया कि पहले 20 हजार रुपये की स्वीकृति दी थी लेकिन यह टेक्निकल दृष्टि से फिजिबल नहीं था इसलिए ड्राप कर दिया गया।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 33 के. वी. की लाइन पर चांवला ग्राम में बिना स्वीकृति के एक ग्रिड स्टेशन बना दिया गया था, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार से नहीं थी। उसके साथ ही अंग्रोता ग्राम की स्वीकृति हुई थी। किसके कागजात मेरे पास है जो मैं आप को प्रस्तुत कर दूंगा। स्वीकृत हुई थी। जूनियर इन्जिनियर से इसलिए पास नहीं हो सकी क्योंकि बिजली की, विद्युत की कमी थी। उनको कई जगह नयी लाइनें लगानी थी, वह लगा दी। मैंने विदयुत मंडल के अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया था।

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

उन्होंने बताया है वहां पर जल्दी ही जे.ई.एन की नियुक्ति कर इस कार्य को शुरू कर रहे हैं और इसके अगेन्स्ट मैटीरियल हमने खरीद दिया है। आज सदन में मंत्री महोदय यह सूचना दे रहे हैं कि इसका प्रश्न पैदा नहीं होता जब कि उन्होंने कहा है कि 20 हजार रुपयें की स्वीकृति हुई थी। यह अपने आप में सेल्फ कांट्रेडिक्ट्री है। पहले उन्होंने कहा कि प्रश्न पैदा नहीं होता और अब कहते हैं कि 20 हजार रुपये की स्वीकृति हुई थी। टैक्निकल फिजिबली क्या थी ?

श्री अध्यक्ष: टैक्निकली फिजिबल नहीं था।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : कैसे फिजिबल नहीं था ? वहां 33 के.वी. लाइन पानी में डूबी हुई हैं। उसके आसपास के गांव में बिजली नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि काश्तकार वहां पर महीनों तक अन्धेरे में रहता है। वहां झील में पानी भर गया। उस झील की दिक्कत को देखते हुए विद्युत बोर्ड ने वहाँ स्वीकृति दी थी। फिर टैक्निकली फिजिबल कैसे नहीं है, यह बतायें तो सही। अब कहते हैं कि 20 हजार की स्वीकृति हुई।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : प्रस्ताव 20 हजार रुपये का किया गया था। हर स्कीम के लिए, हर क्षेत्र के लिए एक्जीक्यू-टिव इन्जिनियर अपना प्रस्ताव एडीशनल चीफ-इंजिनियर प्लानिंग और प्रोजेक्ट को भेजते हैं। उनको टैक्निकल और एड-मिनिस्ट्रेटिव आधार को देखते हुए आगे चलाया जाता है। यह जो आपका पुंग्दलोता ग्राम है इसमें 20 हजार रुपये का प्रस्ताव रखा गया था यह स्कीम सेंक्शन्ड नहीं है। अगर आपके पास सैंशन है तो पेश करें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री खेतसिंह राठौड़।

शराबबन्दी की भावी नीति

4. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल बाजार) [श्री खेतसिंह राठौड की अनुपस्थिति में] क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में शराबबन्दी के लिए सरकार की क्या नीति रहेगी ?

(2) शराब की बिक्री से राज्य सर-कार को कितनी आमदनी हुआ करती थी ?

(3) राज्य में पूर्ण नशाबन्दी से आम लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है अथवा शराब के उपयोग की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है ?

(4) क्या राज्य सरकार के ध्यान में यह बात है कि पास के राज्यों में शराबबन्दी न होने से सैंकड़ों ट्रक लोड शराब चोरी छुपे राज्य में आती है और यहां बिकती है ?

उप मंत्री, आबकारी (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) सरकार द्वारा समस्त राज्य में दिनांक 1-4-80 से मद्य-निषेध लागू कर लिया गया है और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय करेगी।

(2) वर्ष 1977-78, 78-79 एवं 79-80 में शराब की बिक्री से आय क्रमशः रुपया 26,24,50,684/—, 22,42,61 956/-तथा 17,84,60,723/—हुई।

(3) शराब पीने का प्रचलन कम हो रहा है।

(4) जी नहीं।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नांवा) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार शराबबन्दी के मामले में पूरी तरह आश्वस्त है ? क्या राज्य में पूरी तरह से शराबबन्दी लागू है ? अगर नहीं, तो सरकार इसकी क्या व्यवस्था करने जा रही है ? चूंकि शराब को अवैध भट्टियां चलाई जा रही है.....

कई माननीय सदस्य : आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, सरकार पूर्णतया : यह मंशा रखती है कि जो निर्णय मद्य-निषेध का लिया गया था वह शत-प्रतिशत रूप में कामयाब हुआ। फिर भी इसकी जो शिकायतें आ रही हैं उस पर सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या (4) के बारे में माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पुलिस के कर्मचारी शराब पीते हुए पकड़े जा रहें हैं और आप कहते हैं कि शराब बिक नहीं रही है । यह शराब बिक कहां से रही है ? क्या यह बात सही नहीं है कि हर गांव के अन्दर शराब की भट्टियां चल रही हैं ? चुनाव के दिनों में भी, पूरे के पूरे बैलट के दिनों में भी शराब की भट्टियां चालू रहीं ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार शराब खोरी को प्रोत्साहित कर रही है ? इसका प्रमाण यह है कि इस महीने की 3 तारीख को 5 स्थानों पर शराब के बार चलाने के लिए लाइसेन्स जारी किये हैं उनमें भारतीय पर्यटन विकास निगम के लक्ष्मी विलास होटल, उदयपुर तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के टूरिस्ट बंगलों, सिरस्का, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर तथा उदयपुर हैं। शराब देश का कलंक है। क्या नयी सरकार शराब पीने के परमिट इश्यू करके शराब खोरी को प्रोत्साहन नहीं दे रही है ? क्या यह सही है कि जयपुर जिले में 30 हजार परमिट शराब के इश्यू किये गये हैं और 30 हजार परमिट में से करीब 13 सौ बच्चों, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं को भी परमिट इश्यू हुए ? क्या यह सही नहीं है कि डाक्टर 5-5 रुपये लेकर के झूठा प्रमाण पत्र-इश्यू कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे पहले सर्वोदयी हैं फिर गांधीवादी हैं। भले ही संजयवादी हों लेकिन गांधीवाद में उनका विश्वास है। क्या इनके राज्य में शराबबन्दी लागू रहेगी या शराब गंगा की तरह बहेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने चौथे प्रश्न के जवाब में कहा है, "जी नहीं।" पर रोजाना हम अखबारों में यह पढ़ते है कि शराब के इतने ट्रक पुलिस द्वारा पकड़े गये हैं, शराब

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

के इतने ड्रम पकड़े गये हैं और सरकार मद्य निषेध के लिये यह कार्यवाही कर रही है। आखिर यह क्या बात है राज्य सरकार तो "जी नहीं" कह रही है अपने उत्तर में और अखबारों में जो खबरें आती हैं वह अलग है? इसमें से कौनसी बात सही है?

एक माननीय सदस्य : सरकार ने जो घोषणा की है वह ......

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अभी एक दिन अखबार में पढ़ा कि पुलिस द्वारा 5-6 ड्रम पकड़े गये हैं। अध्यक्ष महोदय, पड़ौस के प्रान्त में शराबबन्दी नहीं होने से वहां से सैकड़ों ट्रक शराब के आ रहे हैं और पुलिस पकड़ रही है फिर भी यहां पर उत्तर यह दिया जाता है कि प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह एक प्रकार से गुमराह करने वाली बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। विरोधी पक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न खेतसिंह जी चीफ व्हिप महोदय ने पूछा है उनसे पूछा जाय कि सैकड़ों ट्रक दिल्ली से लाये जाते हैं या कहां से लाये जाते हैं? उनके पास यह सूचना कहां से आई?

श्री श्रीराम गोटेवाला : भैरोंसिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं हैं कि आपने खेतसिंह जी से मिलकर यह सवाल करवाया है क्योंकि आप और वह दोनों एक ही टेबल पर बैठते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप उनसे पूछना कि कहां से कितने ट्रक निकल कर आते है और वह ट्रक कहां पकड़े गये? यह आप अपने मुख्य सचेतक महोदय से पूछें।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने ही तो प्रश्न पूछा है। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार द्वारा छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी शराब पीने के लाइसेन्स दिये जाते हैं?

दूसरे क्या यह सही है कि हमारे पास के प्रान्तों, जहां कि शराबबन्दी नहीं है, से शराब ट्रकों में भरकर चोरी छुपे हमारे राजस्थान में आती है और यहां बिकती है? इस संबन्ध में मेरा एक प्रश्न भी दिया हुआ है। मेरा निवेदन है कि हमारे पड़ोस से लगती सीमा ड्राई बेल्ट होनी चाहिए जिससे कि अवैध शराब को आने से रोका जा सके।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : अध्यक्ष महोदय, जिस मकसद से राजस्थान सरकार द्वारा शराबबन्दी लागू की गयी थी वह मकसद तो पूरा नहीं हो सका है। इस सरकार से पहले की सरकार ने शराबबन्दी को लागू किया था वह भी अवैध शराब को रोकने में असमर्थ रही और अभी जो सरकार है वह भी अवैध शराब के आने जाने को रोकने में असमर्थ रही है इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान सरकार को इससे हर साल करोड़ों रुपये की जो आमदनी होती थी वह आमदनी एक तरफ तो समाप्त हो गई दूसरी तरफ जो हमारा मकसद शराब बन्दी करने का था वह भी पूरा नहीं हुआ। तो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार पुनः शराब को चालू करना उचित समझती है ? अगर नहीं तो यह सारा गोल हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासी क्षेत्रों में काफी मात्रा में शराब बेची जा रही है और राज्य सरकार को नुकसान करोड़ों रुपये का हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि शराब बन्दी की नीति राजस्थान में लागू करने से राज्य सरकार को हर साल 60 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है ?

श्री बाउदयाल जोशी : हो तो हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को हर साल 60 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है और राज्य सरकार का शराब बन्दी का मकसद भी पूरा नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार शराबबन्दी की नीति में कोई ढील देने का विचार रखती है इसका मुख्य मंत्री जी जरा जवाब दे दें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली) : अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकार की नीति थी कि शराबबन्दी को राजस्थान में लागू किया जाय और उसने लागू भी की। वर्तमान सरकार की नीति भी यही है कि राज्य में शराब बन्दी की नीति लागू रहे। लेकिन शराब बन्दी की नीति ठीक तरह से लागू नहीं होने से राजस्थान सरकार को हर साल 60 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह 60 करोड़ रुपये का घाटा किस प्रकार पूरा होगा ?

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जब राज्य सरकार ने शराबबन्दी की नीति लागू की थी तो क्या राज्य सरकार ने इसके लिये कुछ व्यवस्था सोची थी कि इस नीति को लागू करने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ? आज हालत यह है, अध्यक्ष महोदय, शराब जगह जगह पर नाजायज रूप से बन रही है और नाजायज शराब की बिक्री हो रही है। आज आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री चोरी छिपे हो रही है। इस जयपुर शहर में ही शराब के बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं और नाजायज शराब बिक रही है जिसको रोकने में सरकार का प्रशासन तन्त्र असफल हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, हम सभी शराब बंदी लागू करने के पक्ष में हैं। सरकार की तरफ से भी प्रोहीबीशन लागू किया जा रहा है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है वास्तविक तौर पर हमारे प्रान्त में शराब बंदी लागू नहीं हो पाई है। शराब बंदी की नीति का फेक्चुअली पालन किया जाय। आज सैंकड़ों जगह शराब नाजायज

(श्री राजबहादुर)

तौर पर बिक रही है। दूसरे, लोगों को शराब के परमिट भी दिये गये हैं। मेरी मान्यता है कि शराब के परमिट नहीं दिये जाने चाहिये। शराबबंदी की नीति में ढील नहीं दी जाय। आज हमारे यहां काफी संख्या में बच्चों को बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को और दूसरे लोगों को परमिट देकर शराब पीने की ढील दी जा रही है। वह गलत है।

(व्यवधान)

यह तो अपनी अपनी राय है। मैं मुख्य मंत्री जी महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार जैसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार शराबबंदी की नीति में ढील करने जा रही है इसी प्रकार राजस्थान में भी शराबबंदी की नीति में ढील करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री जी के उत्तर के बाद किसी भी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में सबसे पहले सदन के माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहले की सरकार ने शराब-बंदी के लिये संकल्प लागू किया था। उसने शराब-बंदी लागू नहीं की थी, शराबबंदी तो उसके बाद की सरकार ने लागू की थी। जहां तक सदन में यह कहा गया, हमारे प्रांत में सैकड़ों ट्रक शराब के आते हैं। वह कहां से आते हैं इसका तो पता नहीं लेकिन जब सरकार के पास यह सूचना आती है कि नाजायज शराब आती है तो उसको पकड़ा जाता है। राज्य सरकार को समय समय पर सूचना मिलती है और सूचना मिलते ही उसको पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। हमारे यहां पर बाहर से हमारे पड़ौसी प्रांतों, जहां पर शराबबंदी लागू नहीं, से चोरी छिपे शराब आती है और यहां पर नाजायज शराब की बहुत बिक्री होती है। यहां पर यह भी कहा गया कि हमारे यहां पर बहुत सारी मात्रा में नाजायज शराब बनायी जाती है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब सूचना आती है तो उनको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाती है।

माननीय सदस्या श्रीमती उजला अरोड़ा ने यह कहा कि हमारे पड़ौसी प्रान्तों, जहां कि शराबबन्दी लागू नहीं है, की सरकारों से शराब को रोकने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिए। पड़ौसी प्रांतों से शराब नहीं आये इसके लिए भारत सरकार से भी प्रयत्न करूंगा ताकि वह उनको हिदायत दे कि चोरी छिपे शराब हमारे यहां नहीं आने दें। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर, जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं, बहुत भारी मात्रा में शराब आती है नाजायजतौर पर चोरी छिपे और बड़े पैमाने पर यहां भी अवैध शराब बनायी जाती है. इसके अलावा छोटी–छोटी मात्रा में भी अवैध शराब आती है इसके लिए जैसा कि मैंने कहा सूचना आते ही उन्हें पकड़ा जाता है और दोषी लोगों को सजा देने की कार्यवाही की जाती है। पड़ौसी राज्यों से शराब नहीं आवे और उन प्रांतों को हिदायत दी जावे इसके लिए मैं दिल्ली जाने वाला हूं। वहां पर भारत सरकार से इसके लिए निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा मसला है।

(14)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इसके अलावा मैं दिल्ली में भारत सरकार से इस बारे में भी बातचीत करूंगा कि शराबबन्दी से जो घाटा राजस्थान सरकार को हो रहा है उसको पूरा करने में भारत सरकार किस प्रकार और कितनी मदद कर सकती है।

यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि हमारा जो मकसद था शराबबन्दी का वह पूरा नहीं हुआ। इसके लिए तो मैं माननीय सदस्यों से यही कहना चाहता हूं कि बड़े मकसद को पूरा करने में समय तो लगता ही है, इसका अन्दाज स्वयं माननीय सदस्य लगा सकते हैं। शराब हमारे यहां की एक सामाजिक बुराई थी जो कि सदियों पुराने वक्त से चली आ रही थी। इससे लोगों को पैसे स्वास्थ्य दोनों का ही नुकसान होता था। मेरी मान्यता यह है कि नशीली चीजों का कम से कम यूज हमारे यहां पर होना चाहिए। पर चूंकि नशीली चीजें कई दवाइयों में भी काम आती हैं उनको कम करना शायद मुश्किल होता है क्योंकि वह मामला मेडिकल के अन्तर्गत आता है। जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है चाहे आदिवासी हों, चाहे हरिजन हों सज्जन हों, चाहे दुर्जन हों नशीली चीजों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। सम्भव हो तो बिलकुल ही नहीं होना चाहिए।

हमारे राजबहादुरजी ने हमारी मंशा का अपने आप ही अन्दाजा लगा लिया। मैं उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारी मंशा का तो अपने आप ही पता चल जायेगा। उन्होंने कहा कि बहाना बना कर छोड़ना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बहाना बनाना नहीं चाहते बल्कि हम चाहते है सदन के अन्दर आप और सदन के बाहर समाज सेवी संस्थायें और स्वायत्त सेवी संस्थायें, सभी सरकार की इस मामले में मदद करें। यह करने में आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। हमारी कोशिशों के बावजूद अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो हम बराबर कोशिश करते ही रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरी कामयाबी की तरफ नहीं पहुंच जाते। जिन बातों की चर्चा अभी हुई है उन बातों को माननीय सदस्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हम पड़ोसी राज्य से इसको कैसे रोकें और पीने वाले भाइयों से कैसे प्रार्थना करके छुड़वा सकते हैं, यह हमारी कोशिश रहेगी। इस बात की भी कोशिश रहेगी कि साधनों के अभाव में किसी तरह से राज्य के विकास का काम नहीं रुकना चाहिए। यह सामाजिक मसला हैं, धार्मिक मसला है और सबसे बड़ा आर्थिक मसला है। हरएक मुद्दे पर गहराई के साथ और विस्तार के साथ हमें विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि जो नीति अख्तियार की थी उसको बदलने जा रहे हैं, जैसे-जैसे समय आता जाता है विचार बदलते हैं। संशोधन होते रहते हैं लेकिन अभी सरकार का कोई विचार इसमें परिवर्तन करने का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब कोई पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या राज्य सरकार····

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को आप नये तरीके से सदन में ला सकते हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जो राज्य सरकार पर भार पड़ रहा है उसके बारे में कहा था कि वह नीति बदली जाये। गोकुल भाई भट्ट ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न पूछें.... इस प्रश्न के दायरे में वह सूचना नहीं आती। आप जो पूरक प्रश्न रखना चाहते हैं वह अलग से और अन्य तरीके से रख सकते हैं।

अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

दांतारामगढ़ क्षेत्र में नमक

5. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सीकर जिले में दांतारामगढ़ क्षेत्र में रेवासा में नमक उद्योग के लिए पानी की जांच से वहां का पानी नमक बनाने के योग्य पाया गया? यदि हां, तो वह पानी कितने एकड़ में फैला हुआ है?

(2) क्या वहां नमक का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है?

(3) क्या वहां नमक बनाने के लिए जमीन भी अलाट की गई है? यदि हां, तो वहां नमक क्षेत्र विकसित होने में कौन सी कठिनाइयां हैं?

राज्य उद्योग मन्त्री (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) जी हां, 890.94 एकड़ सरकारी भूमि में यह सम्भावना मानी गई थी।

(2) सर्वेक्षण किये हुए क्षेत्र में नमक उत्पादन नहीं हो रहा है परन्तु पड़ौस की कुछ खातेदारी भूमि में कुछ समय से नमक का उत्पादन हो रहा है।

(3) जी हां, वर्ष 1974 में आवंटन किया गया था। इस क्षेत्र में पानी आ जाने के कारण नमक क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पानी में कितना प्रतिशत लवणांश पाया गया। राजस्थान में अन्य स्थानों पर नमक का पानी उपलब्ध है क्या? यहां जो लवणांश की डिग्री है वह और जगह से हाइएस्ट है? तीसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में 1974 में जिन लोगों को अलाटमेंट किया गया था वह गलत था। उस अलाटमेंट पर उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं कराया और आज तक वह नाजायज कब्जा किये हुए हैं? चौथा प्रश्न यह है कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेवासा की नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाने की जो योजना बनाई थी वर्तमान सरकार ने उस योजना को रोक दिया है इस कारण से.......

श्री अध्यक्ष : यह पूरक प्रश्न अलग से है और इसकी सीमा से बाहर है। इसलिए पहले चार प्रश्न अलाउ कर देता हूं। मंत्री महोदय।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जो नमक के लिए क्षेत्र निर्धारित किया गया था उसमें 1959 में यह घोषित किया गया था। उसके बाद कुछ प्लाट्स 78 के करीब दस दस एकड़ के काटे गये थे....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि कितना लवणांश पाया गया?

(विराम)

(16)

श्री अध्यक्ष : पानी की जांच से कितना प्रतिशत नमक पाया गया ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : नमक उत्पादन उसमें नहीं हो सकेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पानी में कितना लवणांश पाया गया ?

श्री अध्यक्ष : पानी में कितना प्रतिशत नमक है इसकी जांच करवाई है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : साल्ट पर्सेन्टेज कितना डिग्री है ?

श्री अध्यक्ष : नमक का प्रतिशत कितना है ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का सबसे अच्छा नमक का उत्पादन क्षेत्र है । फलौदी के केचमेन्ट में सबसे अच्छा नमक का उत्पादन क्षेत्र है । कितना प्रतिशत लवणांश है इसकी जाँच रिपोर्ट दे दें ।

(विराम)

अगर कोई उत्तर नहीं है तो इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से आप पूछ लें । प्रश्न में यह आना चाहिए था ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वहां पर अलाटमेंट किस आधार पर हुआ जब कि पानी भरा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : पहले अलाटमेंट कर दिया गया होगा और बाद में पानी भरा होगा । अलग प्रश्न है । अन्य किसी तरीके से पूछ लें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जमीन किस किस्म की है ? 890 एकड़ जमीन किस किस्म की थी जो कि अलाट की है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न के दायरे में नहीं आता । मैं इस पर बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा क्योंकि इससे रोजगार भी मिलता है । मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जहां नमक का धंधा होता है । आप अभी जो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं उससे लाभ नहीं है ।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि खातेदारी की जमीन, जिसमें नमक उत्पादन किया गया, का क्या काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो गये । नमक पैदा किया जा सकता है तो बेशक किया जाना चाहिए लेकिन आपने जिस तरीके से सवाल पूछा है और उस पर पूरक प्रश्न बना रहे हैं वह इसकी परिधि में नहीं आता है । अन्य किसी तरीके से उठायेंगे तो बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया जायेगा । यह मेरा निवेदन है । समय बहुत हो गया है और बहुत से प्रश्न रह गये हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या मन्त्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि जहां लवणांश अधिक है वहां उत्पादन कराने की कोशिश करेंगे ।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इन दो नदियों में पानी भरता है उसको रोकने की व्यवस्था हो जायेगी उसके बाद ही नमक पैदा होने की सम्भावना हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: आप यह पूछ रहे हैं कि यदि वहां नमक पैदा हो सकता है तो सरकार नमक पैदा हो इसके लिए उचित कार्यवाही करेगी। यह फर्मा दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री): जहां तक उत्पादन करने का सवाल है चहुमुखी उत्पादन हो चाहे वह खनिज का हो सरकार की कोशिश रहेगी कि जहां जहां उत्पादन बढ़ सके वहां बढाये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उस पर आपने कह दिया कि कितना लवणांश है यह प्रश्न की परिधि में नहीं आता। माननीय सदस्य का पहला प्रश्न है क्या सीकर जिले में दांतारामगढ क्षेत्र रेवासा में नमक उद्योग के लिए पानी की जांच से वहां का पानी नमक बनाने के योग्य पाया गया ? अत: प्रश्न की परिधि में आता है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने बहुत से दूसरे प्रश्न किये उनके लिए मैंने कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह पानी कितने एकड़ में फैला हुआ है····

श्री अध्यक्ष: मैंने परिधि का नहीं कहा है। बहुत से आपने दूसरे प्रश्न किये है जिस का उत्तर दे दिया था कि सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर प्रश्न पूरा नहीं हुआ इसलिए इसको स्थगित रखा जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन के नेता ने कह दिया है कि यदि सम्भावना है तो उत्पादन कराया जायेगा। प्रतिशत आ जायेगा, 8 प्रतिशत आ गया या 9 प्रतिशत आ गया तो उससे समस्या का क्या समाधान हो जायेगा।

अगला प्रश्न आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

मैंने बहुत सहानुभूति से आपकी बात सुनी है।

अगला प्रश्न श्री गुलाब चन्द कटारिया।

उदयपुर नगर की जल वितरण व्यवस्था

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सच है कि उदयपुर नगर का बसाव समतल भूमि पर न होकर ऊंचा नीचा है जिससे नगर में पीने के पानी का वितरण समान रूप से नहीं हो सकता ?

(2) क्या राज्य सरकार ने पीने के पानी की वितरण व्यवस्था को सुधारने की कोई योजना बनाई है।

उप मन्त्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी हां यह सत्य है कि उदयपुर नगर का बसाव ऊंचा नीचा है, किन्तु शहर में पानी का वितरण समान रूप से किया जाता है।

(2) नगर में जल वितरण की व्यवस्था समान रूप से होती है। अत: व्यवस्था में किसी विशेष सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है फिर भी जहां-जहां पर ऊंचे स्थान है और पिछड़ी जाति के लोग हैं वहां समय समय पर व्यवस्था रिपीट होती रहेगी।

(18)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में ही कांट्रेडिक्शन पैदा कर दिया। यह मानते हैं कि उदयपुर का बसाव ऊंचा नीचा है। वह ऊंचा नीचा है तो पानी का समान वितरण कैसे हो सकता है, यह फार्मूला समझा दीजिये। नीचे वाले स्थानों को पानी अधिक मिलेगा।

दूसरा यह कि एक ही टंकी होने के कारण जो शहर के ऊंचे स्थान है वहां मुश्किल से आधा, एक घण्टा पानी चलता है और गर्मी के दिनों में बिल्कुल नहीं चलता पिछले चार पांच वर्षों से किन किन स्थानों पर पानी न मिलने की शिकायतें बराबर मिल रही हैं। कौन कौन स्थान हैं जहां की शिकायत बराबर आती रहती हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य महोदय ने जो बात कही है उनके बारे में मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि उदयपुर ऊंचा नीचा है। गणेश घाटी, पुरोहितों की देवली, महता का टिम्बा, माढडी, हिरण मगरी आदि ऊंची जगह है, इसके लिए सरकार ने समय-समय पर टंकियां बनाई हैं। जहां नीची जगह पानी 5-5 घंटे और शाम को 3-3 घंटे मिलता है वहां ऊंचे स्थानों पर 2-2।। घंटे और शाम को 1-1।। घंटा मिलता है, स्वाभाविक है। जब यह योजना बनाई गई थी तब वहां की जनसंख्या 1 लाख 66 हजार 260 थी आज जनसंख्या 2।। लाख हो गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की स्थिति होना स्वाभाविक है फिर भी सरकार ने 2।। लाख लोगों के लिये 27 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से योजना बनाई थी उसमें 28 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन आज दिया जा रहा है इसके साथ ही यह भी निवेदन करूं कि देवास पुनर्गठन योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया है। द्वितीय, तृतीय और चौथे चरण जब पूरे हो जायेंगे तो मैं समझता हूं कि विकसित होने वाले इस सुन्दर नगर को पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

एक माननीय सदस्य : देवास योजना कब तक पूरी हो जायेगी।

श्री रामपाल उपाध्याय : यह बहुत बड़ी योजना है। अलग से प्रश्न करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पानी का वितरण ठीक प्रकार से हो सके इसके लिये कौन कौन से स्थानों पर टंकियां बना दी हैं और कौन कौन से सेक्टरों में टंकी बनाने का विचार है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : यह अलग से प्रश्न है, अलग से पूछें तो विस्तार से बताऊंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह प्रश्न बिलकुल साफ था। आप कौन कौन से सैक्टर में टंकिया बनाने जा रहे हैं। आप इतना बता दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : किसी भी नगर के विकास से सम्बन्धित है। मंत्री महोदय यह बतायें टाउन प्लानिंग, यू. आई. टी. और जो पी. डब्ल्यू. डी. है...

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : नगर के यू.आई. टी., पी. डब्ल्यू. डी., टाउन प्लानिंग समुचित व्यवस्था जल्दी कर सकें इसलिये माननीय मंत्री महोदय भविष्य में नगर विकास न्यास के लिये योजना बनाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

मंत्री महोदय, ने बताया कि देवास योजना के कई चरण हैं। एक चरण पूरा हो गया है। केवल यह जानकारी चाहता हूं कि जत स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग दूसरे चरण को लेने जा रहा है या यह डिस्प्यूट चल रहा है कि कौन विभाग ले। इरिगेशन विभाग ले या उद्योग विभाग ले। क्या यह तय कर लिया है?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यह जानबूझ कर समय निकालना चाहते हैं.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अगला प्रश्न-श्री बालचन्द्र।

ग्राम कुन्डला का विद्युतिकरण

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में कुन्डला ग्राम के विद्युतीकरण की कोई योजना है? यदि हां, तो कुन्डला ग्राम कब तक विद्युतीकृत हो जावेगा?

उप मंत्री, विद्युत (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : जी नहीं।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है, जी नहीं। जब कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसानों का देश बताया...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आगे के लिये बताया है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में यदि कुछ पूछना चाहे तो पूछें।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि इस ग्राम के वद्युतिकरण की क्या योजना है?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अभी योजना है ही नहीं। जब योजना बनेगी, तभी बता सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

नियोजन कार्यालयों के माध्यम से राज्य सेवा में भर्ती

8. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल) : क्या श्रम व रोजगार मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि गत सरकार ने एम्लायमेंट एक्सचेंज के मार्फत राज्य सेवा में नई भर्ती संबंधी जो नियम थे, उनमें छूट प्रदान कर दी थी?

(2) यह छूट कब से लागू हुई तथा कब समाप्त की गई? दोनों आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(3) उक्त छूट का लाभ किस किस कार्यालय में किन किन व्यक्तियों को दिया गया ? नाम व पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्रम मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) दिनांक 10-12-79 से लागू हुई एवं दिनांक 13-5-80 से समाप्त हुई। प्रतियां संलग्न है।

(3) यह सूचना इस विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे प्रश्न बाकी रह गये।

श्री जय कृष्ण शर्मा (रामगढ़) : जो प्रश्न ले लिया जाता है उसके सप्लीमेंट्रीज ले लिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। प्रश्नकर्ता।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, आखिर यह छूट देने का कारण क्या था। रिलेक्सेशन किस कारण से दिया गया और समाप्त किया गया उसका कारण क्या था ?....

श्री अध्यक्ष : श्री देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जिस तारीख से यह योजना लागू की गई और जिस तारीख को समाप्त की गई—इस बीच में कितने अपाइन्टमेंट हुए हैं और किन किन लोगों को अपाइन्ट किया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान में आर. एस. एस. के लोगों को भर्ती करने के लिये इस प्रकार का रिलेक्सेशन किया गया था...

(व्यवधान)

जो राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह गैर कानूनी काम इन लोगों ने किया है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जवाब एक एक का आ जाय तो ठीक है। मुझे भी सप्लीमेंट्री करने हैं।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इसको पहले लागू किया गया है और बाद में हटाया गया है, इससे बदनीयति जाहिर होती है इसलिये इस प्रश्न पर आधा घंटे की चर्चा का समय दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : इस प्रकार की नाजायज जो भर्तियां हुई हैं, उनको राज्य सरकार क्या निरस्त करने का विचार रखती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : मैं मंत्री महोदया, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रबंध नियुक्तियां, जो हजारों की तादाद में हुई हैं, क्या समाप्त करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया को उत्तर देने दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : मैं यह जानना चाहता हूं इस अवधि में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोगों को लिया गया है, यह भी बता दें ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में सेवाओं में भर्ती करने के नियम बने हुए हैं तो क्या ये नियुक्तियां उन नियमों के अन्तर्गत की गई है या एक्जीक्यूटिव के आदेश से भर्तियां की गई हैं ? जो भर्ती के नियम बने हुए हैं उनको क्या सरकार डिस्पेन्सविथ करना चाहती है या क्या ? भविष्य में सरकार अपने विम पर इसे चलाना चाहती है अथवा राज्य सरकार में भर्तियों के मामले में कोई पक्षपात न करें इसके लिये कोई स्टेचूटरी कानून बनाना चाहती है ?

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार यह अच्छी तरह जानती थी कि···

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रश्न पूछें, भाषण नहीं दें ।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : मैं प्रश्न के रूप में ही पूछ रहा हूं ।

मेरा निवेदन है उन्होंने गलत नियुक्तियां कीं और ऐसे आदमियों की नियुक्तियां की जो नहीं करनी चाहिये थी तो क्या सरकार उन लोगों को हटाने का कोई विचार रखती है ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो अपनी चिन्ता और आपत्तियां पेश की हैं, वे वास्तव में विचारणीय हैं । इस बात में कोई शंका नहीं है कि नियमों के द्वारा चली आ रही परम्पराओं को सबको बालाए ताक रख कर पिछली सरकार ने···

(व्यवधान)

अपनी मर्यादाओं और सीमाओं को तोड़ कर यह एक गलत तरीके का एक्शन लिया । जैसा भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि नियमों के अन्तर्गत किया या सिर्फ आदेश के अन्तर्गत किया और अब क्या इसको निरस्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस सारे प्रशासनिक पहलू की जांच की जा रही है । जांच करने के तुरंत पश्चात् एक्शन लिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है प्रश्न सं० 9 को स्थगित करवा दीजिये । महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। समयाभाव के कारण स्थगित करना सम्भव नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने से पहले मैं माननीय सदस्यों के सामने एक सामान्य व्यवस्था देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव के नोटिस देने की व्यवस्था भी सम्मिलित है। यद्यपि हमारे नियम लोक सभा तथा अन्य राज्यों की विधान सभाओं के नियमों के समान ही हैं, किन्तु फिर भी ऐतिहासिक कारणों से स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी नियमों को व्यावहारिक रूप से अमल में लिये जाने के विषय में पिछले कुछ अर्से से यहां कुछ भिन्न प्रक्रियायें काम में ली जाती रही हैं जिनमें से एक तात्विक भिन्नता इस बात में निहित हैं कि यहां पर प्राय: प्रति दिन काफी संख्या में स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त होती है उनमें से कुछ को छोड़ कर जिन्हें आसन की ओर से इस योग्य नहीं समझा जाता, शेष सभी पर आसन की ओर से अध्यक्षीय व्यवस्था सुनाने की प्रक्रिया है। यही नहीं, ऐसे सभी प्रस्तावों, जिन पर आसन द्वारा व्यवस्था सुनाई जाती है, पर प्रस्तावक महोदय को कुछ समय के लिये अपनी बात कहने का अवसर भी दिया जाता रहा है।

मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था न तो नियमानुमोदित है और न इस प्रकार की व्यवस्था अन्यत्र देखने में आती है। किन्तु इसका प्रमुख कारण यह है कि सदन में चर्चा के अन्य अवसर कम उपलब्ध होने के कारण माननीय सदस्यों को लोक महत्व के विषयों पर अपनी बात तात्कालिक रूप से कहने का एक अवसर मिल जाता है और सदस्यों द्वारा उठाये गये ये प्रश्न राज्य सरकार के ध्यान में भी इसी माध्यम से पहुंचा दिये जाते है, जिन्हें प्रक्रिया के अन्य नियमों के तहत राज्य सरकार के पास पहुंचाना सम्भव नहीं है। इतना होते हुए भी मेरी ऐसी मान्यता है कि जो अध्यक्षीय व्यवस्थाएं इस विषय में पूर्व में जारी की जा चुकी हैं तथा जो संसदीय परम्परायें इस विधान सभा में स्थापित हो चुकी है, उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हुए भी कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है। एक प्रकार से इस व्यवस्था को स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के संबंध में एक मिली-जुली तथा सारभूत व्यवस्था भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में माननीय सदस्य इसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। संक्षेप में ये व्यवस्थायें इस प्रकार हैं:—

(1) पिछली विधान सभा में कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि शून्य काल एक बजे मध्याह्नोत्तर समाप्त हो जावेगा। इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, किन्तु मोटे तौर पर माननीय सदस्यों को इसी समय-सीमा पर ध्यान रख कर स्थगन प्रस्तावों आदि पर चर्चा समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये।

(श्री अध्यक्ष)

(2) यद्यपि प्रक्रिया नियमों में इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु सुस्थापित संसदीय परम्पराओं के अनुसार स्थगन प्रस्तावों की सूचना केवल गैर सरकारी पक्ष के सदस्य ही दे सकते हैं। सरकारी पक्ष के सदस्यों के लिये यह सुविधा उपलब्ध है कि वे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दें। तात्कालिक महत्व एवं ग्राह्यता की दृष्टि से दोनों ही प्रस्तावों की स्थिति करीब करीब समान है। मेरा यह प्रयास होगा कि सदन में कम से कम एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रतिदिन रखा जा सके।

(3) ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के संबंध में यह बात माननीय सदस्यों को स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिये कि जैसे ही वे प्रस्ताव की सूचना दें वैसे ही तुरन्त उसी बैठक में उन्हें यह अधिकार नहीं हो जाता कि वे सदन में उस मसले को उठायें जब तक कि उस प्रस्ताव को नियमानुसार ग्राह्य मान कर सदन की कार्य-सूची में उसका समावेश न कर लिया जावे।

(4) स्थगन प्रस्तावों के संबंध में भी यह बात माननीय सदस्यों के ध्यान में स्पष्ट रूप से रहनी चाहिये कि यह प्रस्ताव असाधारण कोटि का होगा जिसका संबंध किसी सामान्य एवं लंबे समय से चली आ रही स्थिति जैसे महंगाई, रोजमर्रा की चीजों का अभाव, भूख हड़ताल, प्रदर्शन, कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट, अकाल, बाढ़ आदि विभीषिकायें, हत्या डकैती आदि की छुटपुट घटनायें व इसी प्रकार की घटनाओं से न होकर किसी निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व की हाल ही में घटित किसी विशेष घटना या स्थिति से है, जिसको सदन का सामान्य काम रोक कर सदन में उठाया जाना वांछनीय हो।

(5) यह भी एक सुस्थापित संसदीय परम्परा है कि सदन में जिस समय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस हो रही हो या बजट पर सामान्य वाद-विवाद हो, उन दिनों स्थगन प्रस्तावों आदि का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि इन दिनों माननीय सदस्यों को प्राय: बिना किसी रोक-टोक से अपनी बातें कहने का पूरा व खुला अवसर प्राप्त होता है।

(6) एक माननीय सदस्य एक दिन में एक ही स्थगन प्रस्ताव की सूचना देंगे। एक से अधिक प्रस्ताव की सूचना देने पर या एक से अधिक प्रस्तावों पर सम्मिलित रूप से हस्ताक्षर करने पर यह आसन पर निर्भर होगा कि वह उनमें से किस प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था दें और शेष प्रस्तावों को बिना व्यवस्था के छोड़ दें। यह भी जरूरी नहीं है कि जिन प्रस्तावों की सूचना माननीय सदस्यों ने दी हो उन सब पर ही व्यवस्था दी जाय। जो प्रस्ताव व्यवस्था के उपयुक्त नहीं समझे जावेंगे, उन पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जावेगी और माननीय सदस्यों, को उनके बारे में सदन में चर्चा करने का अधिकार नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उनके बारे में अध्यक्ष महोदय से उनके चेम्बर में जाकर जानकारी कर सकते हैं। कुछ प्रस्ताव ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने अपने विचाराधीन रखा हो, उनके विषय में भी माननीय सदस्य मुझसे चेम्बर में आकर चर्चा कर सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(7) स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्रति दिन प्रातः 9.30 बजे तक विधान सभा सचिव को उनके कक्ष में या विधान सभा भवन के लिफ्ट कक्ष के बाहर लगी हुई एक मंजूषा में डाल कर दी जा सकती है। जिन प्रस्तावों की सूचना प्रातः 9-30 बजे बाद दी जावेगी उन्हें उस दिन के लिये ग्राह्य नहीं माना जावेगा।

(8) प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव की सूचना कम से कम तीन प्रतियों में दी जानी चाहिये जो यथासम्भव टंकित होनी चाहिये और टंकित नहीं हो तो तीनों प्रतियां सुपाठ्य होनी चाहिये।

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में पूर्व में कई व्यवस्थायें दी जा चुकी है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों द्वारा उन सबका पालन किया जावेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में क्या मैं पहले कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्था स्थगन प्रस्तावों पर दे दूं।

श्री राजबहादुर : मैं इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता,-प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी और सदन में जिस प्रकार की परम्पराएं रहीं हैं उनमें काफी विरोधाभास है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि परम्पराओं को ज्यादा महत्व दिया जावे जो अब तक बीस वर्षों से सदन में कायम हुई हैं अथवा जो अभी सदन में आपने व्यवस्था दी उसका पालन किया जावे?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा यह निवेदन है, जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि बीस वर्षों की परम्परायें रही हैं उनके अनुसार व्यवस्था दी जाएगी अथवा कोई नई व्यवस्था देने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पच्चीस सालों में से तीन सालों में जनता पार्टी रूल रहा है। उनके अलावा जो बाकी के वर्षों में व्यवस्था रही है अधिकांश वर्षों में जो व्यवस्थायें रही हैं, वे यही व्यवस्थायें हैं जो आपने पढ़ कर सुनाई हैं। जनता पार्टी रूल के वक्त में माननीय अध्यक्ष महोदय जो थे, वे स्वयं बहुत लिबरल थे। एक एक स्थगन प्रस्ताव पर जो देने वाले सदस्य होते थे उन्हीं को नहीं बल्कि उनके बाद भी जो दो दो, तीन तीन सदस्य खड़े हो जाते थे उनको मौका देते थे। इस प्रकार की परम्परा भारत की किसी भी विधान सभा या लोक सभा में नहीं रही है। इसको हम परम्परा नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो परम्परा आपने यहां निश्चित की है कृपापूर्वक आप उसी को कायम रखिये और जनता पार्टी रूल के वक्त में जो गलत परम्परायें कायम हो गई हैं उनका पालन करना न तो आपके लिए शोभा की बात है और न इस सदन के लिए।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस सम्बन्ध में एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा। पिछले तीन वर्षों में जो परम्परायें बनी हैं उनमें केवल अध्यक्ष महोदय ही भागीदार हों ऐसी बात नहीं है। मुख्य सचेतक महोदय बोल रहे हैं वे भी उसमें भागीदार थे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे इस बात की तो प्रसन्नता है कि मुख्य सचेतक आज सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले तीन वर्षों में जो गलत परम्परायें पड़ीं उनके लिये वे भी जिम्मेदार हैं और उन परम्पराओं के अनुसार आचरण नहीं किया जाय। सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुख्य सचेतक महोदय को बधाई देता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी········

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :....निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अपने पक्ष की ओर से आपको यह विश्वास दिला सकता हूं न ऐसी किसी बात पर सदन में चर्चा करके सदन का समय लेना चाहेंगे और न हम पिछले तीन वर्षों में आज के सत्तारूढ़ दल ने जो परम्परायें डाली हैं उस पर चलने के इच्छुक हैं। उनमें सुधार किया जावे इसके हम हामी हैं लेकिन इतना निश्चितरूप से निवेदन करना चाहूंगा कि लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्व के प्रश्नों के ऊपर माननीय सदस्य कोई एडजोर्नमेंट मोशन देते हैं तो उस पर निश्चितरूप से उनको चर्चा करने का मौका दिया जावे। चर्चा किस प्रकार से हो, कितने समय तक हो यह सब कुछ इस पर निर्भर होगा कि चर्चा के सम्बन्ध में सरकार कितनी जागरूक है, कितनी सतर्क है, सरकार का उत्तर किस प्रकार का है और उससे संतोष होता है या नहीं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थगन प्रस्तावों के ऊपर समय अधिक लगेगा तो वह विरोधी पक्ष के कारण से नहीं लगेगा बल्कि सरकार यदि सही प्रकार का और संतोषजनक उत्तर नहीं देती है तो माननीय सदस्यों का आग्रह होगा कि सरकार को बाध्य किया जाय कि वह सही और संतोषजनक उत्तर दे। इसके साथ ही सरकार कितनी सतर्क होकर आई है इस पर निर्भर करेगा।

मैं इसके साथ ही यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में किसी भी प्रकार से कटौती न हो इसके बारे में भी निश्चितरूप से सतर्क रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : श्रीमन्, अभी आपने जो व्यवस्था दी उसमें आपने आरंभ में यह कहा कि जो भी इवोल्यूशन हुआ था, विकास हुआ था इस सदन के सदस्यों के अधिकारों का, उसकी चर्चा पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुई थी। फलस्वरूप इस सारे पीरियड में वह अधिकार इवोल्व हुआ। इसके साथ यह भी है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपने प्रोसीजर प्रक्रिया का इवोल्यूशन करते हैं। आहिस्ता, आहिस्ता, शनैः-शनैः स्टेज बाई स्टेज ऐसे इवोल्यूशन होते हैं और राइट्स एक्रू होते हैं मैम्बर्स के। राइट्स आफ मैंबर्स एक्रू हो जाते हैं उनको इस तरह से वापस लेना हैं तो एक एक प्रक्रिया से वे राइट्स दिए गए थे इसलिये मेरा सुझाव यही है कि यदि आप व्यवस्था देने से पहले हम लोगों को सुन लेते, इसकी चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हो जाती। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले हमारे विचार सुन लीजिए। एक बड़ा अधिकार हम से ऊपर

(श्री राजबहादुर)

ले रहे हैं, एक मौलिक अधिकार के द्वारा एडजोर्नमेंट मोशन पेश करते थे आप स्वीकार नहीं करते थे लेकिन आपकी व्यवस्था के बाद भी हमको कहने का अधिकार था। वह मौलिक अधिकार छीनने से हाउस के समय की बचत होगी या नहीं होगी, हाउस का समय बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, यह दूसरी बात है। लेकिन यह सही बात है कि एक राइट बाई बच्यूं आफ प्रिसीडेंस एक्रू होता है, माफ कीजिएगा अंग्रेजी के शब्द आयें तो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था देने से पहले आप हम से परामर्श ले सकते हैं। हम अपनी बात को कह सकते हैं, आप भी अपनी बात कह सकते हैं, फिर अगर नहीं मानें तो आप व्यवस्था दे सकते हैं। फिर भी मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपने निर्णय को पुनः रिवाइज कीजिए, और एक मौका दीजिए कि हम आपके समक्ष आकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपनी बात को कह सकें। इस अधिकार को एक साथ मत लीजिए। हो सकता है कि इस अधिकार को छीनने से हानि ज्यादा हो, लाभ कम हो।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि काल अटेंशन मोशन और एडजोर्नमेंट मोशन लगभग एक से हों, ऐसी बात नहीं है। इसमें बहुत अन्तर है, बड़ा भारी अन्तर है.......

श्री अध्यक्ष : वह सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों के लिए कहा है। वह मैं भी समझता हूं।

श्री राजबहादुर : ठीक है आपने उनके लिए कहा। लेकिन यह अधिकार हम से न लीजिए। हम एडजोर्नमेंट मोशन स्वीकार करने की व्यवस्था के बाद में कुछ कह सकें यह हमारा मौलिक अधिकार हो गया है। सदन का अधिकार है। बयान देने के अधिकार को इस तरह से नहीं छीनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था ने माननीय सदस्य, चाहे इस ओर बैठें चाहे उस ओर बैठें, को किसी तरह से कुण्ठित नहीं किया है। विरोधी पक्ष के माननीय नेता जिस वक्त सदन के नेता थे, उस वक्त बार बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस बात का परामर्श देते थे। ये राज्य सभा में काफी अनुभव प्राप्त कर के सदन में पधारे थे। इसलिये प्रायः इस बात पर जोर देते थे कि एडजोर्नमेंट मोशन प्रति दिन एक ही लिया जाय ताकि सरकार तैयार होकर आये। नहीं तो इस तरह से एडजोर्नमेंट मोशन बराबर लेते रहेंगे तो आप बोलते रहना। इसका कोई भी हल निकलने वाला नहीं है। जीरो आवर जो एक बजे तक चलाते हैं वह आगे नहीं चलना चाहिये। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय किया गया माननीय नेता की सलाह के अनुसार कि जीरो आवर एक बजे समाप्त हो। यही आपने व्यवस्था दी है। यह उस वक्त निर्णय लिया गया था कि काल अटेन्शन प्रति दिन किया जाता है, एक ही काल अटेन्शन प्रति दिन लिया जाये तो सरकार उसका उत्तर देने के लिये तैयार हो जायेगी। वह विषय सूची में आ जायेगा तो निश्चित रूप से उस पर तैयार होकर आयेंगे और उस पर समस्या के समाधान के सम्बन्ध में विचार होगा। आपने जो व्यवस्था दी है उसमें स्पष्ट किया है कि जो कोई भी एडजोर्नमेंट मोशन हो वह हाल ही की ऐसी घटना पर हो जो एडजोर्नमेंट मोशन की परिधि में आता हो।

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं तो एडजोर्नमेंट मोशन पर कोई विचार नहीं होगा। यह व्यवस्था तो पहले से ही रही है। कई दफा माननीय सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन उठाते थे तो माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि उस पर कोई विचार नहीं होगा, मैं विचार करना जरूरी नहीं समझता। अगर माननीय सदस्यों को शंका है तो मैं ऐसा मानता हूं कि शंका निराधार है तो भी आपके चेम्बर में परामर्श कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : पूर्व में जो परिपाटी चली आ रही है यह उसी के अनुरूप है।

श्री नाथुसिंह (बांकीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो व्यवस्था दी है उसमें आपने कहा कि कालिंग अटेन्शन दिन में एक स्वीकार होगा। यहां तक तो मैं सहमत हूं। लोक सभा और राज्य सभा में भी यही नियम लागू किये हुए हैं, दिन में एक कालिंग अटेन्शन जरूर दिया जाना चाहिये। कालिंग अटेन्शन और एडजोर्नमेंट मोशन अलग अलग है लेकिन जैसा कि आपने व्यवस्था दी है कालिंग अटेन्शन...

श्री दिनेश डांगी: कालिंग अटेन्शन नहीं काल अटेन्शन।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज :

श्री नाथूसिंह :-ये कालिंग अटेन्शन दे सकते हैं, एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दे सकते हैं जब कि विरोधी सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन दे सकते हैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हाउस में सदस्यों को समान अधिकार हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विरोधी पक्ष का।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने मुझे सुना नहीं, माननीय सदस्य।

(व्यधान)

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि आपने जो व्यवस्था दी उसका कोई भी सदस्य ध्यान से श्रवण नहीं करे तो दूसरा इंटर प्रिटेशन करने लग जायगा। आपकी व्यवस्था यह थी कि परंपरा यह रही है कि सरकारी पक्ष, ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दिया जाता। यह रूल्स में कहीं प्रावधान नहीं है। रूल्स में काल अटेन्शन तो हमेशा से है। इसलिये परंपरा से एडजोर्नमेंट मोशन नही करते यह व्यवस्था दी आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मदेरणा साहब से इत्तफाक नहीं करता। सरकारी पक्ष के लोग एडजोर्नमेंट मोशन नहीं दें, यह व्यवस्था आसन की तरफ से नहीं दी जा सकती। यदि इस पर कोई व्यवस्था करनी है तो पार्टी स्वयं निर्णय ले कि हमें एडजोर्नमेंट प्रस्ताव नहीं देना। यह कहीं परम्परा नहीं है न नियम है। मैं व्यवस्था को चुनौती देने की दृष्टि से नहीं कहता लेकिन यह ध्यान में जरूर लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

(28)

(श्री अध्यक्ष)

यद्यपि प्रक्रिया और नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है किन्तु सुस्थापित संसदीय परंपराओं के अनुसार स्थगन प्रस्तावों की सूचना केवल गैरसरकारी पक्ष के सदस्य ही दे सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : यह मुख्य सचेतक का काम है ...

श्री राज बहादुर : You are not concerned with it.

श्री अध्यक्ष : सरकारी सदस्यों के लिये यह सूचना जरूरी है। इसका हमने वर्णन किया है कि वे देते नहीं हैं और दें तो हमारी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अभी माननीय सदस्य दिनेश डांगी ने बताया कि कालिंग अटेंशन होता नहीं है। रूल 131 में कालिंग अटेंशन लिखा हुआ है। जो उन्होंने कहा है वह गलत हैं।

श्री दिनेश डांगी : तो क्या हुआ। आप बहुत होशियार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

मैंने जो व्यवस्था दी है उसको थोड़ा सा गलत समझ लिया गया वरिष्ठ सदस्यों द्वारा जैसा कि जब मेरा चुनाव हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था माननीय सदस्यों से कि आसन का कर्त्तव्य यह हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिबेट का अवसर मिले लेकिन ज्यादा से ज्यादा अवसर तब ही मिल सकता है जब हम नियमों का पालन करें। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि स्थगन प्रस्ताव देने नहीं देंगे। ऐसी कोई बाधा नहीं होगी। स्थगन प्रस्ताव की नियमों के अन्तर्गत एक परिभाषा भी हैं लेकिन आमतौर से होता यह है कि एक माननीय सदस्य 7, 8, 10 स्थगन प्रस्ताव दे देते हैं। नियमों को यदि हम स्ट्रिक्टली देखें तो वे स्थगन प्रस्तावों की परिभाषा में आते ही नहीं हैं तो ऐसे प्रस्तावों का क्या करें। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का एक फार्म तैयार करके उनमें कुछ लिख कर दे दिया तो फिर छूट हो गई कि उस पर बहस करेंगे। जो विषय चर्चा के योग्य होगा और वास्तव में अविलंबनीय लोक महत्व का होगा तो माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उनको अवसर मिले उसी प्रश्न को उठाने के लिये। लेकिन 7, 8, 10 इस तरह के प्रस्ताव 1–1 माननीय सदस्य दे दें और उस पर बोलने की कोई सीमा न हो तो नियमों का कुछ स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी अवसर मिले।

दूसरे ये परंपरा किस की हैं, किस के नियम हैं। परंपरा तो आखिर में नियमों के प्रतिकूल हो तो वह कभी परंपरा नहीं बनती, परंपरा को डिफाइन करना भी बहुत कठिन कार्य हैं लेकिन परंपराएं वे बनती हैं जो सभी माननीय सदस्यों ने सर्वमान्य कर ली हों। जो लोक हित में हों वे सभी प्रश्न आप स्वतंत्रतापूर्वक सदन के सामने ला सकेंगे। इसमें मैं निवेदन करता हूं कि कोई बाधा नहीं आयेगी लेकिन 4–5 बजे तक जीरो आवर चलता रहे, यह सोचने की बात है। उसके बाद में भी शंका हो तो आप मेरे कक्ष में आकर इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया, जनहित में एक मसला किसी रूप में हो, यहां सदन के सामने अवश्य आना चाहिये और सरकार

(श्री अध्यक्ष)

को उसका ठीक उत्तर, ठीक जवाब देना चाहिये, यह अवश्य आप स्वीकार करेंगे। इसलिये इस चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आपको कोई शिकायत होगी तो बाद में देख लेंगे....

(व्यवधान)

परम्परा को मैं तोड़ रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। परम्परायें कायम रहेंगी, उनको आगे बढ़ाया जायेगा। नई अच्छी परम्परायें कायम की जावेंगी यही उद्देश्य होगा।

श्री राजबहादुर : एक अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय। आपने कहा, एक बजे बाद जीरो आवर नहीं चलना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : आम तौर कहा है, आपने सुना नहीं।

श्री राजबहादुर : जो भी संशोधन, परिवर्तन करना चाहे प्रस्ताव में...

श्री अध्यक्ष : अधिकार है कोई परिवर्तन, परिवर्द्धन करने का आपके ध्यान में कुछ...

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में व्यवस्था आप सभी दें, जब हम कुछ इस पर चर्चा कर लें।...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अपनी व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए सदन को यह जानकारी दी कि नियमों और परम्पराओं में काफी भेद है, अगर स्ट्रिक्टली नियमों के अनुसार चला जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप और हम इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे नियमों का पालन नहीं हो सकता है, जैसी स्थिति आयेगी उसी के अनुसार मुझे काम करने दीजिये। देख लीजिये काम ठीक होता है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) सर्वश्री भगवानदास शास्त्री, डा. उजला अरोड़ा, रामकिशोर मीणा, भंवरलाल शर्मा, रंगजी, घनश्याम तिवाड़ी, जीतमल जैन व श्रीमती विद्या पाठक सदस्य, विधानसभा की ओर से जयपुर शहर में गत 28 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन्हीं स्थगन प्रस्तावों को सदन में कल दिनांक 10 जुलाई, 1980 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, अतः मैं इनको स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री गोपाल पचेरवाल व श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशोरायपाटन जिला बूंदी के ग्राम गुडली में गत 22 जून को श्री लक्ष्मीनारायण जी के मन्दिर की कृषि भूमि के विवाद को लेकर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में।

(3) श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में डीजल की कमी के विषय में।

(4) श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान नहर की बुर्जी संख्या 350 के टूटने के कारण माइनरों में पानी न चढ़ने के विषय में।

(30)

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान में स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कापियां व पुस्तकें न मिलने के विषय में।

(6) श्री मोहनलाल, सदस्य, विधान-सभा की ओर से श्री नारायणसिंह, सदस्य, विधान सभा दांतारामगढ़ पर दिनांक 6 जुलाई को हुए कातिलाना हमले के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी मंगाई जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से 7 जुलाई, 80 को कम्युनिस्ट पार्टी की जयपुर शाखा के मंत्री श्री प्रेमजी पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमले के विषय में।

इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास उनकी सूचना के लिये भेजा जा रहा है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा जिले में मक्का की फसल को कातरा लगने के विषय में।

(9) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के पागलखाने में निगरानी के लिये तैनात एक सशस्त्र पुलिस के एक सिपाही द्वारा एक विक्षिप्त लड़की के साथ किये गये बलात्कार के विषय में।

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है, फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है एवं मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

इसके अलावा कई बड़ी संख्या में स्थगन प्रस्ताव आये हैं, उनके लिये मेरी यह व्यवस्था है कि अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद होगा, उस वक्त भी इन माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा उठाई जा सकती है। यथासम्भव माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा कि इन विषयों पर चर्चा कर सकें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 29 दिन से जयपुर सड़ रहा है। बीमारी की भारी सम्भावना है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से इस विषय पर स्टेटमेंट हो रहा है।

श्री नाथूसिंह : गटर लाइन बन्द पड़ी हैं। इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करेंगे तो बीमारियां पैदा होंगी। विधान सभा भवन जयपुर शहर के बीच में है, बीमारियों का आक्रमण होने की आशंका है, ऐसी स्थिति में बहस का मौका मिलना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

बराबर यह चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि यदि इस मसले पर विचार नहीं किया गया और जनता सावधान नहीं रहेगी तो बीमारियां फैल सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी है। मेरा नम्र निवेदन है कि कल राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपना स्टेटमेंट दे रही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल तक कितने ही लोग मर जायेंगे।

श्री नाथूसिंह : सरकार सोती रही एक महीना हो गया। एक दिन और चर्चा के लिए टाल रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सरकार इस मामले में तैयार नहीं है। मुख्य मन्त्री जी से मैं अच्छी तरह परिचित हूं···

एक माननीय सदस्य : पूरा प्रयास किया है।

श्री नाथूसिंह : एक कमेटी बनायी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह फाइल मेरे पास है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की कतरने इसमें हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : अभी आपने कहा, अध्यक्ष महोदय···

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क) : अध्यक्ष महोदय, यह तो यहां हल्ला मचाना चाहते हैं। यह सफाई नहीं कराना चाहते। यह हड़ताल कराना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप लोगों ने जान-बूझकर हड़ताल कराई है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

माननीय राजबहादुर जी, कुछ कहना चाहते हैं। श्री राजबहादुर।

व्यवस्था का प्रश्न

अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य व चर्चा

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें अपने प्रश्न शांति के साथ उठाने चाहिए ताकि एक-दूसरे की बात हम सुन सकें। We should not shout at each other and talk to each other.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एडजार्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में बने नियम 52 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें जो कंडीशन लिखी गई है, उसके अनुसार एडजोर्नमेंट मोशन डिसअलाउ हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें यह साफ लिखा है कि एडजोर्नमेंट मोशन का तात्पर्य क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन्स क्या हैं इसकी जो दूसरी कंडीशन है वह मैं पढ़ देता हूं···

"Not more than one matter shall be discussed on the same motion."

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया···

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो इस पर लागू होती हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

एक विषय न होकर कई विषय होते हैं····

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि (i) to (vii) में रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। रूल 52 है।

(i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;

(iii) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(श्री राजबहादुर)

(iv) the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session;

(v) the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time;

(vi) the motion shall not raise a question of privilege;

(vii) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India; and

(viii) the motion shall not raise any question which under the constitution or these rules can only be raised on a distinct motion by a notice given in writing to the Secretary.

यदि नियमों में सरकारी एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं होता है तो रिजेक्ट हो सकता है। इसका दूसरा पपंज यह है कि हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए एडजोर्नमेण्ट मोशन अलाऊ किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अभी कहा, आप स्थगित कर के नहीं ले रहे हैं। अतः यह उसको निरस्त कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय को कोई अधिकार दिया हुआ है? स्थगन प्रस्ताव की जगह कॉल अटेंशन मोशन परिवर्तित कर सकते हैं, यह अधिकार दिया हुआ है?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : यह दिया हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : जब कभी आसन ने ऐसी व्यवस्था रखी है, एडजोर्नमेण्ट मोशन अस्वीकार किया है, सरकार को स्टेटमेण्ट देने को कहा है······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कहा है, कॉल अटेंशन मोशन आएगा। यह लिखा है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे निवेदन पर आपत्ति की है, क्या मैं उस पर कुछ कह सकता हूं।

वह रिजेक्ट नहीं किया गया है। आप नजरसानी कीजिए। मैं जानना चाहता हूं क्या कोई पाबन्दी है। क्या अन्तिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो गया है। हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने एडजोर्नमेण्ट मोशन अस्वीकार कर दिया ...

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आपने एडजोर्नमेन्ट मोशन अस्वीकार किया है किन्तु जो स्थिति है, उस पर डिस्कशन करने से इन्कार नहीं किया है । माननीय सदस्यों के अधिकार को खतम नहीं किया है । यह कहा है कि इस प्रकार से किया जाएगा । इसलिए इन्कार नहीं किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आन्सरेबल नहीं है कि क्यों अस्वीकार किया है । उनके एडजोर्नमेण्ट मोशन में यह है तो क्यों अस्वीकार कर दिया । इसको दूसरे रूप में स्वीकार किया है । यह मेरे खयाल में अध्यक्ष की आथोरिटी को चैलेंज करना है । ऐसा मेरा मानना है ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने 131 (2) के बारे में कहा है । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह है ।

131 "(2) There shall be no debate ou such statement at the time it is made."

मिनिस्टर की ओर से एक स्टेटमन्ट भी दिया जाना है ।

(1) "A memebr may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a minister to any matter of urgent public importance and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date."

मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आगे यह प्रावधान है कि

'There shall be no debate' on such statement at the time it is made.

"There shall be no debate." We cannot. raise a discussion

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अस्वीकार किया था । वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आ गया है । स्थगन प्रस्ताव भी आ गया था । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसके ऊपर चर्चा होगी । इस हाउस में मैंने गवर्नमेन्ट को कल स्टेटमेण्ट देने को कह दिया है कि कल स्टेटमेण्ट दे दिया जाये । इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह रहे ।

श्री राजबहादुर : एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बहस होती है । दोनों में अन्तर है ।

श्री अध्यक्ष : बहुत अन्तर है लेकिन माननीय सदस्य तैयार हों तो ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने रूल्स के इन्टरप्रिटेशन में कह दिया कि नियमों के अनुसार...

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कि जब हमारा सवाल आये तो नियम बता दें। नहीं तो परम्परा में ले लें। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न था। कल इस पर चर्चा होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले स्थगन प्रस्तावों में आज का प्रश्न था। कल की बात कल जानें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। इसमें यह लिखा है--

"A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of the minister to any matter of urgent public importance and the minister may make a brief statement or ask for time to make brief statement at a later hour or date."

मैं 'ब्रीफ स्टेटमेन्ट' पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कालिंग अटेंशन में फर्स्ट स्टेटमेंट ही दिया जाता है जब कि एडजोर्नमेंट मोशन में डिस्कशन होता है।

एक महीने से यह मामला चला आ रहा है। इस पर आपने कहा है, मैं एडजोर्नमेण्ट मोशन स्वीकार नहीं करता हूं। कॉल अटेंशन मोशन स्वीकार करता हूं। मामला इतना महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : कोशिश करेंगे कि वह स्टेटमेण्ट दे दें।

श्री नाथूसिंह : इसमें स्टेटमेण्ट नहीं आ सकता है। अगर हाउस सेटिस्फाई नहीं होता है तो डिस्कशन होता है। कॉल अटेंशन मोशन में ब्रीफ डिस्कशन होता है।

एक माननीय सदस्य : एडजोर्नमेन्ट मोशन में क्या होगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हर नियम से आप परिचित हैं। इसका कुल समय 5 मिनट का होता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह मामला इतना अर्जेंट है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। यह तो आप नियम पढ़ रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इस भावना को ध्यान में रखते हुए मैं निवेदन कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : आप सदन का समय बरबाद करना चाहते हैं। आपका मतलब यही है।

श्री नाथूसिंह : हम मानते है, समय इम्पोर्टेन्ट है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सदन का समय क्यों खराब करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैने निवेदन कर दिया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के प्राविजन हैं। माननीय सदस्य उन नियमों को उद्धृत करते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। मैं चाहूंगी कि आप इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दें। सारा शहर सड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सब आपकी मेहरबानी से सड़ रहा है।

(व्यवधान)

इसके जिम्मेदार आप लोग हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितने चिल्ला रहे हैं, ये हड़ताली नेताओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इनसे कहा जाय कि बैठ जावें।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है –

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया शांत रहें, मैंने आपको निवेदन कर दिया–

(व्यवधान)

आॅडर प्लीज, मुझे बड़ी खुशी होती, यदि नियमों का पालन सभी माननीय सदस्य करते।

मैंने निवेदन कर दिया कि इस पर चर्चा हो, आप जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा मानकर चल रहे हैं, यह नहीं होगा। यह लोक महत्व का प्रश्न है, यह मैंने माना है लेकिन जिस सीमा तक आप समझते हैं वह बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके जिम्मेदार आप हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। आप बैठियेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पहले सुनने की स्थिति में तो होऊं।

मैंने एक व्यवस्था दे दी। आप नियमों का हवाला दे रहे हैं और नियमों को खुले रूप में तोड़ रहे हैं, फिर मैं ही नियमों को मानूं क्या? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जिस रूप में, जितने समय में डिबेट होती है उसके लिये तैयारी हो। आप क्या कहना चाहते हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विवाद को यहीं समाप्त कर दिया जाय। आपको दिक्कत नहीं आयेगी। दिक्कत सामने आई है तो यही कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं इससे सदन का समय व्यर्थ जाता है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक गन्दगी का सवाल है यह एक अहम मसला है, लेकिन गन्दगी तो बहुत सी जगहों पर हो सकती है, इस लिए नहीं बोलें तो काम नहीं चल सकता। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव के बारे में जो अध्यक्षीय व्यवस्था है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं– 'किसी नगर में गन्दगी के विषयों पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।' 1-5-57 को व्यवस्था दी गई। जयपुर नगर की गंदगी संबंधी स्थगन प्रस्ताव

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सदन में प्रस्तुत करने की सम्मति न देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा- "यह मसला ऐसे अत्यावश्यक ढंग का नहीं है जिसके लिये सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।"

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 29 दिन से हड़ताल जारी है, उससे सम्बन्धित प्रश्न है। यह सामान्य प्रश्न नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में आंत्रशोथ की बीमारी फैल चुकी है। अगर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह स्वीकार नहीं करते हैं तो आज भी एम.बी.एस. हास्पिटल में जाकर देख लें कि कितने मरीज पड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देने का अध्यक्ष को अधिकार

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है।

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एडजोर्नमेंट मोशन का मतलब है कि हाउस के बिजनेस को एडजोर्न किया जाय इस विषय को डिस्कस करने के लिये। इस सदन का जो पिछला इतिहास है इसमें केवल दो दफा कन्सेन्ट दी गई है, नियम 50 और 54 के अंतर्गत। इसके अलावा कभी भी एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं किया गया। 1952 में जिस वक्त विरोधी पक्ष के नेता बोलना शुरू कर रहे थे -

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय आप यहां नहीं थे।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो आपको वहां से देख रहा था। मैं यह निवेदन कर रहा था कि एडजोर्नमेंट मोशन कभी स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए यह क्या फंदा है कि हम बहस करना चाहते हैं। स्टेटमेंट देना आवश्यक नहीं हो, यह आपके डिस्क्रिशन पर है। विज़डम पर है

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो सब आप की गरिमा है, अध्यक्ष महोदय ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र में 5 व्यक्ति मरे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की वेदना है कि सदन की सारी चर्चा का भार आप पर है, अच्छा होता यह भार सरकार अपने पर लेती और आपके सामने जो समस्या पैदा हुई है, उसका सरकार स्वयं समाधान करती। यदि सरकार पूर्णत: जागरूक होती तो आपके सामने इस प्रकार समस्या खड़ी नहीं होती। जो 28 दिन से हड़ताल चली आ रही है उस पर स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का इन्तजार किए बिना सरकार को अपनी ओर से स्टेटमेंट देना चाहिए था, सारी स्थिति का ज्ञान सरकार को कराना चाहिए था। सरकार इस प्रश्न पर विफल रही है उस विफलता को छिपाने के लिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को टालना ठीक नहीं होगा। जयपुर में जिस प्रकार की समस्या है उस समस्या को अधिक दिनों के लिए स्थगित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं किया जा सकता । जैसा आपने स्वयं ने महसूस किया है लोक महत्व का अविलंबनीय प्रश्न है, जब आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाद में सरकार का दायित्व है कि सरकार किस प्रकार से पहली अपार्चुनिटी ले जिससे इस समस्या के समाधान के लिए एक वक्तव्य सदन में दिया जाए। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए या तो वह या उनके मंत्री महोदय तुरन्त एक वक्तव्य दे दें ताकि सारी स्थिति की जानकारी मिल जाय तो मैं समझता हूं यह ज्यादा उचित होगा ।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्षजी, जिस वेदना का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उससे कई गुना वेदना मुझे है । हम इस समस्या को केवल राजनीति की या सफाई की समस्या नहीं समझते, मेरी दृष्टि से यह मानवीय समस्या है । जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, जयपुर शहर हमारे भारत का एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है । मैं जानता हूं, सरकार जानती है, मेरी पार्टी पूरी तरह से जानती है इस बात को कि यहां अगर गंदगी फैलती है तो उससे बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां फैलती है तो जयपुर तक ही सीमित नहीं रहेंगी, राजस्थान के अन्य शहरों व गांवों तक जायेंगी, राजस्थान के बाहर जायेंगी, हिन्दुस्तान के अन्य शहरों और गांवों में जायेंगी । यहां विदेशी आते हैं उन तक फैलेगी । जयपुर शहर का जो स्वरूप है, उसकी जितनी जानकारी और किसी को हो सकती है उससे ज्यादा मेरे दल को हो सकती है क्योंकि यहां हमारे दल के विधायक ज्यादा हैं । आज ही यदि सदन में कोई तथ्य देते कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, नगरपालिका के अधिकारी गण क्या प्रयास कर रहे हैं, हमारे विधायक और साथी क्या प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें व्यवधान पड़ जाता । मैं नहीं चाहता कि आज ऐसा वक्तव्य दे दें जिससे मामला उलझ जाए । इसलिए आपने जो व्यवस्था दी है उसका पालन कर रहे है । कल इस सिलसिले में वक्तव्य देंगे । हमें पूर्ण तैयारी से रहना पड़ेगा । नगरपालिका के कर्मचारी मेरे भाई है मेरे बच्चे हैं, उनका प्यार हमको मिला है, उन्होंने वोट दिया है, आगे भी हमको वोट देंगे । इसमें शक नहीं है, वे हमारे अपने हैं

(व्यवधान)

कल इस सिलसिले में सरकार अपना वक्तव्य देगी ।

श्री अध्यक्ष : शून्य काल समाप्त हुआ ।

श्री नाथूसिंह : 150 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको बाद में रखा है·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : आप हरिजनों के हितैषी हो रहे हैं, 28 दिनों से हड़ताल हो रही है, आप चाहते हैं कि हरिजन भूखे

(श्री दिनेश डांगी)

मर जायं, उनकी नौकरियां चली जायं, इस प्रकार की आप कोशिश कर रहे है। आप नहीं चाहते कि हड़ताल खतम हो। आप चाहते हैं कि हड़ताल से सरकार बदनाम हो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ये चाहते हैं कि हड़ताल करते रहें। वे चाहते हैं कि हरिजन कर्मचारी हमको वोट नहीं दें। ये छुआछूत फैला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री दिनेश डांगी: यह छुआछूत में विश्वास रखने वाले हरिजनों का क्या भला करेंगे।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक झाड़ू इनके हाथ मे दे दो ताकि शहर में सफाई कर दें।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने ही यह हड़ताल करवाई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज ! आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो आपकी बात कैसे सुनाई देगी। एक एक माननीय सदस्य बोलें तो सुनाई पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

जब मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि वह इस बारे में वक्तव्य देंगे तो फिर आपको नाराजगी किस बात की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाराजगी की बात नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो यह चाहते हैं कि सरकार की तरफ से इस के बारे में वक्तव्य आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं भैरोंसिंह जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी को जरा सदन की कार्यवाही के बारे में पढ़ावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तैयार हूं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज मुख्य मन्त्री ने कहा कि वह वक्तव्य देंगे लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि वार्ता टूट जाय।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ही हड़ताल करवा रहे हो। सारी गड़बड़ी आपने ही की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह। मैं नाम लेकर कह रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है...

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : यह छुआछूत में विश्वास करने वाले क्या हरिजनों का भला करेंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है मैंने उसको ध्यानपूर्वक सुना है। मैं आपकी व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करूंगा। मैं आपको व्यवस्था के आगे नतमस्तक हूं। मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुख्य मन्त्री ने कहा उससे हमें यह आशंका होती है कि कहीं हड़ताल की वार्ता जो चल रही है वह टूट नहीं जाय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हम परसों मुख्य मंत्री से मिले थे। हमने उनको कहा था कि हमारी पार्टी उनको पूरा सहयोग देगी पर बात यह है कि मसला जो है वह कर्मचारियों और सरकार के बीच है। इससे जनता परेशान है। मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हमारा राजनैतिक लाभ उठाने की कोई इरादा नहीं। जो 150 श्रम कर्मचारी हड़ताल के दौरान में नियुक्त किए गए थे उनके बारे में कठिनाई आ रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि कहीं हड़ताल नहीं टूट जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। जीरो आवर समाप्त हुआ। इस प्रश्न पर अब कोई बहस नहीं होगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यहां पर इतने दिन तक जो हड़ताल के कारण तरह तरह की बीमारियां कोलेरा, मलेरिया वगैरह फैल गई और जो जनता बीमार हो गई उनको क्या राज्य सरकार कोई मुआवजा देगी ?

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : क्या मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हो।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : कौनसा इतने दिन में आसमान गिर पड़ेगा। कौन सी जमीन फट गई या जमीन फट पड़ेगी। यह छुआछूत में विश्वास करने वाले क्या करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।[x]

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित की जाती है।

विधान सभा की बैठक म. प. 1.53 बजे पुनः प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री अध्यक्ष : कुछ समय के पश्चात, जयपुर में जो हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में एक छोटा सा स्टेटमेंट सरकार

X X X अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

की ओर से दिया जायेगा। पूरा स्टेटमेंट कल होगा। सरकार की तरफ से आज जो स्टेटमेंट होगा उसमें प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जायेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ और स्थगन प्रस्ताव थे, जो नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: इन सबके बारे में व्यवस्था दे दी है। इसमें सरकार से जानकारी चाही है। जिस वक्त उस पर व्यवस्था दूंगा, तब आपको अवसर दे दूंगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष, एक-एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट नहीं करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : चूंकि स्थगन प्रस्तावों की जो सूचना देनी होती है और जो चीज कहना चाहते हैं, जिस पर सरकार से सूचना प्राप्त करनी है उसका आशय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दो दो मिनट का समय नहीं देंगे। सुझाव के तौर पर जो बातें कहते हैं उस पर सरकार से सूचना एकत्रित करें।

श्री अध्यक्ष : मेरा आपको निवेदन करना है कि जब सरकार से हमारे पास इत्तला आ जायेगी और उस पर जब हम सदन में व्यवस्था देंगे उस वक्त हम आपको अवसर दे देंगे। यह तय रहा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था····

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में दिया था?

श्री दाऊदयाल जोशी : यहां जयपुर के पागल खाने में बलात्कार हुआ था।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि पिछले 10 दिनों में 7 व्यभिचार के केस 10 जगह राजस्थान में हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बात कही उसके बारे में मैंने यह निर्णय दिया है ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो दो मिनट बोलने दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : जयपुर के पागलखाने के बारे में निवेदन करूंगा कि अगर पागलों के साथ पुलिस वाले इस तरह का व्यभिचार करेंगें तो क्या होगा। मुझे सबसे बड़ा दुःख है, श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जहां से आप स्वयं निर्वाचित होकर आये हैं, वहां पर व्यभिचार हुआ है। फलोदी के क्षेत्र, जहां से कि आप स्वयं जीतकर आये हैं, आपको कान्स्टीट्यूएंसी में व्यभिचार का काण्ड हुआ है 6 व्यक्तियों के द्वारा इससे बड़ी लज्जाजनक बात, शर्मनाक और क्या हो सकती है। जो 10 काण्ड सात दिनों में हुए हैं, उन 10 काण्डों में से 7 काण्डों के अन्दर पुलिस के व्यक्ति लिप्त है। यह जयपुर के पागलखाने में काण्ड हुआ कान्तीलाल के द्वारा। पुलिस अधिकारियों से जब यह पूछा गया कि जयपुर के पागलखाने में यह काण्ड हुआ तो पुलिस अधिकारी कहते रहे कि कोई काण्ड नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि काण्ड हुआ है और आज से दो दिन पहले पुलिस के कर्मचारी को राज्य सरकार ने मुअत्तिल कर दिया है। एक तरफ तो राज्य के

(श्री दाऊदयाल जोशी)

अधिकारी कहते हैं कि कोई काण्ड ही नहीं हुआ और दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी को सस्पेन्ड कर दिया। इसका मतलब है कि कोई न कोई काण्ड हुआ। तो मेरा निवेदन है कि यह काण्ड हो जाने के बाद उस बच्ची के पिता को पुलिस के अधिकारियों द्वारा डराया, धमकाया जा रहा है। उस पर प्रेसर डाला जा रहा है कि किसी प्रकार की बात इधर-उधर मत कहो क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है ......

अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान् के द्वारा यह आदेश दिया गया कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। आज जयपुर के दैनिक नवज्योति ने राजस्थान के सारे राजनीतिक लोगों को चेलेंज किया है, उसने कहा है कि जब सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बागपत काण्ड को लेकर सारा उत्तर प्रदेश सुलग रहा है, सारे उत्तरप्रदेश में.....

अध्यक्ष : दिशान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा यह निवेदन है कि आज हमारे सारे प्रेस वाले यह चर्चा कर रहे हैं। सारे बुद्धिजीवी हमसे कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों को क्या हो गया है। जयपुर और जयपुर के अलावा सारे राजस्थान में एक के बाद एक काण्ड होते जा रहे है.....

श्री अध्यक्ष : इसको अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है। कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है कि अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को जानकारी के लिए.........

श्री अध्यक्ष : हमने कह दिया कि यह नहीं है तो उसके बाद यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का कहां रह जाता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जैसी आपकी इच्छा। मेरा निवेदन करना इतना है कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के बम्पर रेप केस आज तक नहीं हुए जैसे पिछले सात दिनों में 10 केस...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आखिरकार राजस्थान में कोई सरकार है भी या नहीं, स्वयं हमारे कांग्रेस के पक्ष के पत्रकार दैनिक नवज्योति के सम्पादक ने लिखा है कि यहां राजस्थान में कोई राज है या नहीं है। ये कांग्रेस को समर्थन देते रहे हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, नवज्योति के सम्पादक। वे कहते हैं कि हमारे माननीय ट्रेजरी बेंचेज के..... ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के साथ सात दिन में 10 रेपकाण्ड हुए हैं.... ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने अपनी बात फर्मा दी है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था...

(५२)

श्री अध्यक्ष : उस पर व्यवस्था दे दी है

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है यह एक विधायक की हत्या करने का प्रयास किया गया और उस पर सरकार मौन हो

श्री अध्यक्ष : उस पर सरकार से जानकारी मंगायी है, जिस वक्त जानकारी आ जायेगी उस वक्त फिर व्यवस्था दे दी जायेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : 9 बजे मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया था····

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) :विधायक की हत्या के सम्बन्ध में मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है···

श्री मोहनलाल मोदी : यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य की हत्या करने का प्रयास हो ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने सरकार से जानकारी चाही है, सरकार से जानकारी आ जायेगी उस वक्त' आसन इस पर व्यवस्था देगा। उस वक्त आपको कहने का अवसर दे दिया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य सरकार ने शायद खर्चे में कटौती चालू कर दी है और वह कटौती पहले ना पक्ष की लाबी से चल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । सचिव, विधान सभा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (विधान सभा) : मैं राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण प्रस्तुत करता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा व राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त हो चुकी है:--

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त पत्र:--

1) राजस्थान पुलिस(द्रोह उद्दीपन) विधेयक,1979

2) राजस्थान जलदाय व सीवरेज निगम, विधेयक, 1979

3) राजस्थान काश्तकारी(संशोधन) विधेयक, 1979

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त पत्र

1) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1979

2) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1979

3) राजस्थान विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1979

4) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, 1979

5) राजस्थान होम्योपेथिक चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1979

6) राजस्थान आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 1979।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमला एक अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (अध्यादेश, संख्या 1 सन 1980) सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

अधिसूचना

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं गृह (ग्रुप–5) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 12 (1) होम–14/75–11 दिनांक 23 मई, 1980 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: निर्वाचन मंत्री।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (निर्वाचन मंत्री) : मैं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 282/राज/अ.जा. –अ.ज.जा./80 दिनांक 19 अप्रेल, 1980 को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुख्य मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : श्रीमन् मैं आज की कार्यसूची के क्रमांक (ई) में लिखित निम्नलिखित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं:–

1) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम का 24 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79

2) कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत —

i) राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लि. का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978–79

ii) सांभर साल्ट्स लि. का 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977–78,

3) विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 व धारा 75 के अन्तर्गत—

i) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का का 22 वां वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1978–79,

ii) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1978-79।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें समझ में ही नहीं आया क्या बोलें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

घोषणा

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिये समय का बंटवारा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पर बहस के लिये बंटवारा:—

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिये 16 घंटे नियत किये गये हैं। मैंने बहस की सुविधा की दृष्टि से समय का बटवारा दलवार इस प्रकार किया है:

कांग्रेस (आई)	11 घन्टे सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिये जाने का समय भी इसमें सम्मिलित है।
भा.ज.पा.	2 घन्टे
जनता पार्टी (जेपी)	30 मिनट
जनता पार्टी (चरण सिंह)	30 मिनट
कांग्रेस (यू)	30 मिनट
सी.पी.आई.	15 मिनट
सी.पी.एम.	15 मिनट
निर्दलीय	1 घन्टा

उक्त समय का आवंटन आज 9 जुलाई से प्रभावशील होगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद।

संवैधानिक प्रश्न

विधान सभा का अधिवेशन आहूत करने के कारणों का अभिभाषण में उल्लेख

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आन ए पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहा है। इसमें मेरी आपत्ति है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण संविधान के आर्टिकल 176 के अंर्तगत होता है। सदन की जानकारी के लिये मैं उसको आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाना चाहूंगा—

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and the commencement of the first session of each year, the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons."

यह धारा 176 मेंडेटरी प्रोवीजन है डिस्क्रिशनरी नहीं है। इसमें 'shall' शब्द का प्रयोग किया है जो यह इंडिकेट करता है कि सरकार को इसका निश्चित रूप से पालन करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस के आगे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उस अभिभाषण का अंश मैं आपके सामने पढ़ कर यह बताना चाहूंगा उसमें कहीं भी 1 से लेकर 25 पृष्ठ तक इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसी सत्र में बजट के ऊपर चर्चा होगी या इसी सत्र में बजट प्रस्तुत किया जायेगा। यह सब जानते हैं कि बजट सत्र में बजट पर चर्चा होती है लेकिन इसका कहीं भी उलेख नहीं किया गया है। पेज दो पर है, शीघ्र ही वर्ष 1980-81 के आय व्ययक अनुमान माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाएंगे जिसमें भावी सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला जावेगा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसमें सत्र का कहीं भी जिक्र नहीं है। केवल मात्र इतना कहा है कि शीघ्र ही वर्ष 1980 81 के आय व्ययक अनुमान प्रस्तुत किये जायेंगे। इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सरकार इसी सत्र में प्रस्तुत करेगी जैसा कि पेज 24 पर लिखा है 'सरकार इस सत्र में राजस्थान कृषि उपज विपणी (संशोधन) विधेयक, 1980, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों तथा अधिकारियों के परिलाभ तथा पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1980, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक 1980 एवं राजस्थान राजस्थान विक्रय कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 आदि आपके सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत करेगी। यह सारा उल्लेख है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा, आप सदन की परंपरा और आज तक जितने भी अभिभाषण यहां पर राज्यपाल महोदय के हुए हैं उनमें से किसी को भी ले लें। मैं आपकी जानकारी के लिये लेटेस्ट 1978 के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कुछ अंशों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके पैरा 71 में लिखा है—"इस सत्र का मुख्य कार्य, जिसके लिये आपको आमन्त्रित किया गया है, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार विमर्श करना एवं उसे पारित करना है। मुझे विश्वास है कि बजट पर विचार विमर्श करते समय आप राज्य के चहुंमुखी विकास की ओर ध्यान रखेंगे जिस के लिये हम सभी कटिबद्ध है। राजस्थान सरकार इस सत्र में संविधान (44 वां संशोधन) विधेयक, 1977 राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अभिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 आदि आदि आपके समक्ष विचार विमर्श एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी।"

इन दोनों में किस प्रकार का अन्तर है, उससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि 1978 में जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया था, कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 178 के अन्दर जो लेटर एण्ड स्प्रिट है, उसकी कम्पलायेन्स हुई है, जब कि इस भाषण में इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में इस प्रकार के प्रश्न आज से पहले भी उठाये जा चुके हैं और उन पर आपकी व्यवस्था हुई, आसन से व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था में एक बात मोटे रूप से कही गई है, वह मैं मोटे रूप से कह दूं कि इस भाषण में कोई ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिन तथ्यों पर माननीय सदस्य चर्चा कर सकते। अगर आप चाहें और सदन के माननीय सदस्य चाहें तो मैं इस सम्बन्ध में उड़ीसा हाई. कोर्ट में जो एक मामला चला उसके सम्बन्ध में निवेदन करूं उसमें तथ्यों की मीमान्सा की गई है कि इस प्रकार के तथ्य आवश्यक होते हैं और इस प्रकार के तथ्य आवश्यक नहीं होते हैं। यहां माननीय राज्यपाल महोदय ने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है, उन तथ्यों पर विचार करने के लिए विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इन तथ्यो में सिर्फ यह है कि कितने लाइसेन्स दिये गये, कितने पंजीकरण किये गये। आर. एफ. सी. ने कितना लोन दिया, आगे कितना लोन देने का विचार है। राजस्थान में कृषि उपज के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं। यह ऐसे तथ्य नहीं हैं, जिन तथ्यों या घटनाओं के आधार पर अभिभाषण पर बहस की जा सके। जो पहले प्रश्न रखा गया था,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उसको मानते हुए अध्यक्ष महोदय ने यह स्वीकार किया है कि पिछला अभिभाषण जो राज्यपाल महोदय ने दिया था वह कांस्टीट्यूशन की कम्पलायेन्स नहीं करता है। "इसके साथ ही मैं यह दोहराना चाहता हूं, भविष्य में यह कभी नहीं हो कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह कमी रहे। सरकार इसके लिए पूर्णतया उत्तरदायी है। इस विषय में जो प्रावधान है उनका ध्यान रखा जाना चाहिये। अगर हम राष्ट्रपति के अभिभाषण, जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, को देखते हैं तो उसमें इन तमाम बातों का समावेश होता है। उस सेशन में क्या विधायी कार्य होंगे, उसका उल्लेख होता है। इस प्रकार की सारी व्यवस्था होती है, ताकि सबको मालूम हो जाये कि सरकार इस सत्र में क्या क्या कार्य करना चाहती है। इन सबका उल्लेख संविधान के प्रावधानों के अनुसार होना आवश्यक है। इसलिए मैं आपत्ति को स्वीकार करते हुए माननीय सदस्य को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार संविधान में उल्लेख है, उसको ध्यान में रखते हुए अभिभाषण को प्रस्तुत करने में सुधार किया जायेगा।" इसमें यह तथ्य निकलता है कि पिछले सालों में यह व्यवस्था दी गई है कि यह संविधान के अनुकूल नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उस समय यह उचित समझा कि यह पहला अवसर है, सरकार को एक अवसर देना चाहिये, भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार लायें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, चाहे आज का सत्ता पक्ष हो, चाहे हम लोग शासन में रहे हों, इस रूलिंग के बाद आर्टिकल 176 के अन्तर्गत आज तक जितने भी अभिभाषण हुए है, उन अभिभाषणों में स्पष्ट रूप से हमने इन शब्दों का उल्लेख किया है कि यह बजट सत्र हैं, बजट पर चर्चा होगी। अमुक प्रकार के विधेयक लाये जायेंगे जिन पर चर्चा होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में आर्टिकल 176 की पूर्ति नहीं होती है इसलिये इस अभिभाषण पर यहां पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती। संक्षेप में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, यह प्रश्न गम्भीर है और इसको आब्जेक्टिवे में लिया जाय, तब जाकर इस पर चर्चा हो। हम केवल इस पर तकनीकी रूप में चर्चा न करें कि अभिभाषण हो गया, इसलिये चर्चा करना आवश्यक है। इसको हम स्थगित नहीं कर सकते, इससे काम चलने वाला नहीं है। आप जो व्यवस्था देंगे, वह हमें स्वीकार होगी, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था संविधान के विपरीत नहीं होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी थी कि संवैधानिक मसलों पर अध्यक्ष महोदय से किसी प्रकार की रूलिंग न ली जाये, अध्यक्ष महोदय को इसमें शामिल न किया जाये, उनसे व्यवस्था न ली जाये। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक सीरियस कान्स्टीट्यूशनल मेटर है, जिसमें आप व्यवस्था देना चाहें तो आपको हक है, परन्तु मैं आपके शब्दों को रिपीट करना चाहूगा कि संविधान के सबंध में आप किसी प्रकार की व्यवस्था न दें और यह विषय सदन के लिए छोड़ दें कि सदन किस प्रकार से फैसला करता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मेटर है, इन पर ओपिनियन देने के लिए एडवोकेट जनरल को सदन में बुलाया जाय और वह ओपिनियन दें कि इस अभि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भाषण से कान्स्टीट्यूशन की कम्प्लायेन्स हुई है या नहीं। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि सरकारी पक्ष कान्स्टीट्यूशन के अनुसार काम करे तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया उसको सदन में किसी प्रकार से विचारार्थ नहीं लिया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार से धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं की जा सकती। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को लाल फीते से बांध कर वापस राज्यपाल महोदय को भेज दिया जाए। सरकार को चाहिए कि वह राज्यपाल महोदय को दुबारा बुलावे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि संविधान की पालना की जाए और जिन शब्दों का उल्लेख होना चाहिए, उनका उल्लेख उनके अभिभाषण में होना चाहिए। आज कोई नहीं कह सकता कि मुख्य मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे। हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। इस सदन का जो कार्यक्रम बनेगा वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में केवल 4–5 विधेयक का उल्लेख किया है। इस कार्य के लिए सदन को बुलाया जाए यह मैं नहीं मानता हूं कि यह बजट सत्र होगा, इसमें बजट प्रस्तुत होगा। बजट के साथ साथ आपने यह भी कहीं नहीं उल्लेख किया है कि इसमें वोट आन अकाउन्ट पेश होगा। इसका उल्लेख भी नहीं है, और भी कई प्रश्न हैं इसमें कहीं इसका भी उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ी बात बजट के बारे में है, सरकार कटिबद्ध नहीं है कि सेशन के अन्दर बजट पेश करे। मुख्य मंत्री महोदय कह सकते हैं कि इस सत्र के अन्दर बजट प्रस्तुत होगा, उससे समाधान नहीं होगा। मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सरकारी पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राय प्रगट करे, चर्चा करे और आप इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था, मेरा यह निवेदन है न दें। इस प्रश्न को सदन के ऊपर छोड़ दें और एडवोकेट जनरल को बुला कर उनकी राय ली जाए तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पाइन्ट आफ आर्डर ही तो उठाया है।

(व्यवधान)

सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको क्यों आपत्ति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या विधि मंत्री की योग्यता में आपका विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोविंदसिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इसी तरह का एक प्रश्न 27-2-63 को तत्कालीन सदस्य श्री सतीश चन्द्र ने यहां पर उठाया था। उस समय श्री बृजसुन्दर शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़े हुए थे तब इस प्रकार की आपत्ति उठायी गयी थी और यह निर्णय लिया गया था,

48

(श्री गोविन्दसिंह)

अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य का कहना है कि जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया है उसमें उन्होंने यह नहीं बताया है कि काजेज आफ समन्स क्या हैं। अगर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि विशेष तौर से संविधान के अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए वह बनाया गया है लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझ सका हूं और जहां तक मेरी मान्यता है:—"Inform the Legislature of the causes of its summons." का मतलब केवल यह है कि जो भी सार्वजनिक महत्व की घटनाएं हमारे राज्य में हुई है और जिनकी जानकारी देना राज्यपाल महोदय उचित समझते हैं माननीय सदस्यों को इस बारे में सूचित किया जाए, इसका उल्लेख अभिभाषण में है और उसके बाद में हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए राज्यपाल महोदय ने कहा है कि अब सदन इस पर विचार विमर्श करे, जो उन्होंने कहा है। यह आपत्ति भी जो माननीय सदस्य ने रखी है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकती।" आखिर में मैं यह कहूंगा कि जो प्रोसीजर अपनाया गया है इस साल वह हमारी परम्परागत कार्यपद्धति है उसके अनुरुप है। इसलिये कोई भी त्रुटि हुई हैं ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। इसलिए इन कारणों से जो आपत्तियां माननीय सदस्य ने रखी है मैं उसको निराधार ठहराता हूं और जो मोशन प्रस्तुत किया जायेगा उसके प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।"

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अगर आप मुलाहिजा करें पेज 24 का तो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि यह विधेयक सरकार पेश करेगी और जो महत्वपूर्ण घटनाएं इन दिनों में हुई हैं उन सारों का सारांश एक घंटे के भाषण में पेश किया है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने का मौका दिया जाए।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। वह अभिभाषण पढ़ें तो उनको पता चलेगा कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है—"नव गठित केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का निर्माण किया जाना है।"— मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : 1980-85 के प्लान का जो कहा जा रहा है, वह गलत हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह बोलेंगे। आपको आपत्ति क्या हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं जो राज्यपाल महोदय ने इस सदन में कृपा कर परसों अभिभाषण दिया था वह आर्टिकल 176 की पूर्ति नहीं करता है। आम चुनावों का हवाला देते हुए कुछ बातों के बारे में कहा गया है। घटनाएं क्या हुई हैं यह बताया गया है। 25 सूत्री प्रोग्राम लागू करना है यह कहा गया है। दूसरे आपने कहा है कि किन कानूनों में संशोधन लाना चाहते है। विधेयक लाना चाहते

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं 5 का नाम लिखा है चार ही लाना चाहते हैं। काजेज आफ सम्मन यह है कि यह लाना चाहते हैं। यह बजट अधिवेशन है। निश्चित रूप से बजट पेश होगा ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहां लिखा हुआ है?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह लिखा हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : यह लाने दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह लाने इसलिए दिया था कि कम्प्लायेन्स नहीं हुई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं कि बजट का लिखा नहीं है। बजट आगे नहीं आएगा, यह कैसे कह रहे हैं। बजट लाना ही पड़ेगा। माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय जानते हैं, आपने जुलाई के सत्र में बजट पेश किया था।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पहले का भाषण पढ़ लें।

श्री परसराम मदेरणा : यह एडजोर्न हो गया। प्रारम्भ में ऐसा किया, वह हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री विधि मन्त्री जी।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में लिखा हुआ है—

Article 202: -"The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House of the Legislature of the State a statement of the estimated receipt and expenditure of the State for that year......"

गवर्नर के लिए यह है कि वह हर एक साल एस्टीमेट हाउस की मेज पर रखवायेंगे जैसा कि इसके पेज 2 पर लिखा है-"शीघ्र ही वर्ष 1980-81 के आय-व्ययक अनुमान माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।" यह लागू होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह राजस्थान का सौभाग्य है कि श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता यहां के विधि मन्त्री हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको परेशानी है?

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : आपसे तो ज्यादा खूबसूरत हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डांगी जी, आप जरा चुप रहें।

विधि मंत्रीजी ने जो कहा है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। 176 के विषय को आरग्युमेंट की दूसरी साइड मान रहे हैं। आप यह जानते हैं ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको मदेरणा जी ने सब बातें समझा दी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनकी योग्यता पर ही विश्वास था तो उनको ही विधि मंत्री बनाते।

(व्यवधान)

क्योंकि योग्यता के आधार पर मैं जानता हूं.....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : यह गलत है। आपस में मतभेद मत डालिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जल्दी ही अहमदबक्श सिन्धी को बना दें विधि मन्त्री। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

176 में पहले यह है कि जब विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से गवर्नर एड्रेस करेंगे। दूसरे इसी प्रकार से इसमें लिखा गया है कि इन्फार्म करेंगे काजेज आफ से सम्मन आप हमें बता दें, इसमें काजेज आफ सम्मन की सूचना दी है, काजेज का सम्मन का मतलब क्या केवल इतना ही है, घटनाओं का उल्लेख करना। घटनाएं कौनसी लिखी हैं? नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने 20 सूत्री कार्यक्रम की बात की है।

एक माननीय सदस्य : 25 सूत्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 25 सूत्री भी नहीं, 35 सूत्री। 20 सूत्री प्रधान मन्त्री जी के, 5 सूत्री संजय गांधी के, और 12 सूत्री और प्रधान मन्त्री के। इस प्रकार से 37 सूत्री हो गये। मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि क्या ये घटना हैं। ये 37 सूत्री घटना हैं। नाथद्वारा से आने माननीय सदस्य कहते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना पर विचार किया जाएगा। क्या यह भी घटना है? सारे अभिभाषण में एक भी घटना का उल्लेख नहीं है। कार्यक्रम या कोई नई नीति नहीं है। नीति के संबंध में एक ही बात आपको बताऊंगा कि यह हिन्दुस्तान का और राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गवर्नर महोदय के मुंह पर ताला लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा अध्यक्ष महोदय, यहां निवेदन है कि कान्स्टीट्यूशन का आर्टिकल 176 है, उसका पालन होना चाहिए। खेतसिंह जी को पता नहीं है। विधि मन्त्री जी नये हैं। वह आर्टिकल 202 पढ़ कर सुना रहे थे। अच्छा तो यह हो, अध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल को बुला लिया जाये और उनकी राय ले ली जाय। एडवोकेट जनरल अपनी राय देंगे तो सब का ज्ञान वर्धन भी होगा। इससे कान्स्टीट्यूशन की मंशा पूरी नहीं होती है। आपने भी कहा है वह भी इस कान्स्टीटयूशन के मामले, में इस प्रकार के मामले में, कोई रूलिंग नहीं होगी। मैं चाहूंगा सदन को पूरी जानकारी देने के लिए एडवोकेट जनरल को बुलाने की व्यवस्था करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण पेश करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह एक सिम्पल सा प्रश्न है, इतना गहरा नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : चोरी और डकैती की घटनाएं जनता पार्टी के शासन काल में हुई। अब सरकार 37 सूत्री संकल्प को लेकर आ रही है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। कन्टिन्जेन्सी ग्रान्ट से राजस्थान के प्रोडक्शन को स्पीड अप करना चाहते हैं। इसलिए आप ताजीरात हिन्द या सी. आर. पी. सी. की घटनाओं से इसकी तुलना मत कीजिये। सरकार इन कार्यक्रमों को सामने लेकर आई है और इनको क्रियान्वित करना चाहती है। सरकार ने पिछला लेखा-जोखा और आगे का कार्यक्रम पेश किया है, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य को कुछ भ्रान्ति हो गई, उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं भ्रांति यह हो गई कि ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिर हमको भी अवसर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

यह मामला पेचीदा नहीं है, एक मिनट में हल कर देता हूं। यह सिम्पल सा मामला है, मुझे सुन लीजिये, चर्चा समाप्त हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : घटना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर देता हूं। उन्होंने जनता पार्टी के शासन काल में पुलिस की घटनाओं का उल्लेख किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके जमाने में बलात्कार की जो घटनायें हुई हैं उनका उल्लेख उसमें नहीं आया।

(व्यवधान)

आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। ट्रेजरी वेन्चेज के ऊपर चीफ व्हिप आकर नहीं बैठ सकते। उनको कहिये कि अपनी सीट पर जाकर वही से बोलें। अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं इसलिए रिकार्ड नहीं किया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके कहने से मैं नहीं जाने वाला। कोई भी सदस्य किसी भी सीट से बोल सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

आर्टिकल 176 संविधान के तहत यह आपत्ति की गई है कि राज्यपाल महोदय ने जो पहला सत्र बुलाया उसके काजेज आफ सम्मन का उल्लेख नहीं किया है इसलिए यह अभिभाषण अपूर्ण है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। सेशन की डेफिनेशन जो दी गई है-

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काजेज आफ सम्मन नहीं है, बुलाने का कारण बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष : सेशन की डेफिनेशन है-

" 'Session' means the period from the time Assembly meets at the summons of the Governor to the time when it is prorogued by the Governor"

मैं एक ही सवाल पूछता हूं, मान लो यह प्रस्ताव पेश करके सत्रावसान हो जाय, बाद में बजट पेश हो तो आप बतायें क्या स्थिति होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं, पार्लियामेंट की जो हेल्दी प्रेक्टिस है उसमें 'सेशन' का सारा....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुन लीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : तभी तो कहा है, बातें कम और काम ज्यादा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन का सत्रावसान हो या बजट पेश हुआ या नहीं, मेरा यह कोई मकसद नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है "inform the Legislature of the causes of its summons."

श्री अध्यक्ष : वह तो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं है। अगर सेशन आज चालू हो जाय और प्रोरोग कर दें, बजट पेश नहीं हो तो आर्टिकल 202 का वर्णन है, 176 का नहीं। 176 का वायोलेशन तभी होगा जब काजेज के सम्बन्ध में इन्फार्मेशन सदन में नहीं देंगे।

52

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभिभाषण के बाद में कार्यक्रम का निर्धारण होगा। अभिभाषण में यह नहीं हैं। अभिभाषण में इसका भी उल्लेख नहीं है कि बजट पेश किया जायगा या नहीं। तो जो सबसे बड़ी घटना हो सकती है उसका उल्लेख नहीं है। मुझे आपत्ति नहीं होगी लेकिन कान्स्टीट्यूशन की जो कम्पालयेन्स होनी चाहिए वह नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्टिकल 202 में कोई समय नहीं दिया गया है या महीना नहीं दिया गया है जिसमें आय-व्यय का ब्यौरा रखा जायगा। सत्रावसान के 15 दिन में रख दिया जाता है तो परफेक्ट कम्प्लायेन्स है। इसलिए मेरा निर्णय है कि इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है या संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्री राजबहादुर : असेम्बली प्रोरोग हो गई, इसका मतलब यह हुआ। आपने जो व्यवस्था दी हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब कभी सेशन होगा तो उसका सत्रावसान भी होगा। और यदि होगा तो गवर्नर साहब दोबारा आयेंगे और एड्रेस करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सारे सैशन में गवर्नर साहब को आकर एड्रेस करना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 176 की मंशा यह है कि या तो साल में पहली दफा जब विधान सभा का सत्र बुलायें या आम चुनाव हों, इन दो परिस्थितियों में गवर्नर के लिये लाजिमी है कि सदन को सम्बोधित करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो यहीं स्पष्टीकरण चाहते है कि बजट पेश होगा या नहीं।

श्री अध्यक्ष : बजट आगे पेश होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को लेकर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

मेरा दूसरा पाइन्ट यह है.....

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन विषय कोई है नहीं।

श्री नाथूसिंह : धन्यवाद के प्रस्ताव पर है।.

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले प्रस्ताव तो आने दो।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव तो आने दीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। श्री शिवचरण माथुर।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाये:—

"इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय अभिभाषण, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, के लिये अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, 1980 के चुनाव के बाद सम्मानीय सदस्यों का पहला सदन है। इसमें जितने भी सदस्य चुन कर आये हैं वह राजस्थान की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करने के लिये यहां उपस्थित हुए

(श्री शिवचरण माथुर)

हैं। माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जहां एक ओर राजस्थान के बहुमुखी विकास का जिक्र किया है वहां इस बात का बहुत स्पष्ट उल्लेख किया है कि हमारे देश की महान जनता की सूझबूझ के कारण एक परिवर्तन राजनैतिक आधारपर देश में हुआ। एतिहासिक परिवर्तन जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए हमारे देश की जनता धन्यवाद की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आजादी का इतिहास एक शानदार इतिहास रहा है और उसमें देश की महान संस्था कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी की 65 सालों की लड़ाई के बाद कांग्रेस ने देश को आजाद कराया। उसका यह परिवर्तन हुआ कि देश में आजादी आई। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से हमने मुक्ति प्राप्त की और हमारे देश की जनता को यह अवसर मिला कि वह अपनी इच्छा के अनुसार इस देश का विकास कर सके, या जो निर्माण और विकास की सम्भावनायें हों, वह ढूंढ़ सकें और जनता को राहत पहुंचा सके।

आजादी के बाद इस देश को चलाने की जिम्मेवारी महान संस्था कांग्रेस पर आई। उस जिम्मेदारी को निभाने की ओर कृत संकल्प होकर के आगे बढ़ने की हमने चेष्टा की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय जिस समय विरासत में अंग्रेजों से हमें देश मिला, यह देश इतना पिछड़ा हुआ था कि यहां पर न तो शिक्षा की व्यवस्था थी, न चिकित्सा का प्रबन्ध था और आवागमन के साधनों का अभाव था। इस धरती पर बरसात का जो पानी गिरता उसे हमारे देश की नदियां बहा कर समुद्र में ले जाती थीं। कभी भी यह चेष्टा नहीं की गई कि उस पानी को बांध कर हिन्दुस्तान की सारी जमीन पर ले जाया जाये, किसानों के खेतों पर ले जाया जाये और उससे देश के उत्पादन में वृद्धि की जाये। कभी यह चेष्टा नहीं की गई कि औद्योगिक सम्पदा का विकास करके देश के आर्थिक विकास की कल्पना की जाये। यह कल्पना भी नहीं की गई कि हमारे देश की जो खनिज सम्पदा है उसका भी विकास किया जाये। हिन्दुस्तानियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर यहां रखा गया। ऐसी अवस्था में देश के विकास का बहुत कठिन कार्य था लेकिन हमारे देश के नेताओं की सूझबूझ और पुरानी परम्पराओं के इतिहास के आधार पर हमने देश के विकास और निर्माण की कल्पना की। मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी देन जो कांग्रेस हुकूमत ने इस जनता को और इस प्रदेश को दी, वह यह है कि हमने इस बात को स्वीकार किया कि इस देश की हुकूमत जनता द्वारा, जनता के लिये और जनता की होगी। मैं समझता हूं कि इस मौलिक आधार पर ही शासन की बागडोर कांग्रेस ने सम्भाली। हमने स्वीकार किया कि इस देश की जनता को यह मौलिक अधिकार है कि वह शासन चलाने के लिए सरकार बनाये। उस मौलिक अधिकार को स्वीकार करते हुए जहां 30 साल तक हमने जनता की इच्छा से शासन किया वहां जब मौका आया, जनता ने हमको पसन्द नहीं किया तो एक मिनट भी हमने गंवाना पसन्द नहीं किया। जो लोग विरोध में बैठने वाले हैं, वह कहा करते थे कि इन्दिरा ताना-शाह है, वह सरकार को छोड़ना नहीं चाहती। मैं समझता हूं, यह बहुत बड़ा जवाब था

(श्री शिवचरण माथुर)

उनके इस सवाल का कि जब जनवरी 1977 में इमर्जेंसी को लिफ्ट किया गया और चुनाव की घोषणा की गई। चुनाव की घोषणा के बाद में हिन्दुस्तान की जनता ने हमारी छोटी सी गलती को समझा जो जानबूझ कर नहीं की लेकिन नीति के क्रियान्वयन में हमसे कुछ गलती हुई। हमने तेजी से बढ़ने की कल्पना की और यह कल्पना की कि जो समस्याऐं हैं उनको हटा करके देश को तेजी से बढ़ायें। अति उत्साह में हमसे कुछ गलती हो गयी। देश की जनता ने उसको समझा और समझ कर उसने सोचा कि कांग्रेस शासन को बदल दिया जाये। हमने एक मिनट के लिए भी जनता के फैसले को अस्वीकार नहीं किया और सीधा शासन उस समय की जनता पार्टी को सौंप दिया।

मैं कहना चाहता हूं कि 1977 के चुनाव के बाद मार्च 25 को जब जनता पार्टी के नेता श्री मोरारजी देसाई ने देश की बागडोर सम्भाली और जिस समय एक राजनीतिक आधार और पालिटिकल फ्रेम वर्क बनाया, क्या वह देश के जनमानस और देश के मौलिक अधिकारों के अनुकूल था? मैं समझता हूं, नहीं था। प्रजातन्त्र में यह बात आती है कि नीति के आधार पर सरकार के गठन को जनता की इच्छा मानकर कांग्रेस दल विरोधी दल बना। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष में बैठकर माननीय सदस्यों से कि 25 मार्च, 1977 को जिस सरकार का गठन केन्द्र में हुआ वह एक ठोस विचारधारा से बनाने वाली सरकार थी क्या? उस समय जनता की नाराजगी का फायदा उठाते हुए गठबन्धन के आधार पर सरकार बनी। मैं कहना चाहता हूं कि वह बिल्कुल अप्रजातांत्रिक और अनैतिक गठबन्धन था, उसमें लोगों की विचारधारा शामिल नहीं थी। वह सरकार देश में एक प्रकार की व्यवस्था लाना चाहती थी। उस गठबन्धन में जनता पार्टी और जनसंघ भी शामिल था। उस गठबन्धन में सभी पार्टियां शामिल थी। गठबन्धन में किसानों की पार्टी भी शामिल थीं। एक प्रकार से कहा जाये कि भानुमति का कुनबा एक होकर रहे, इसी तरह उन्होंने देश का शासन सम्भाला।

हम तो यह जानते थे, हमारे दल की महान नेता, हमारें दल की ही नेता नहीं बल्कि देश की भी नेता हैं, उस समय कहा कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। हम उनको नमस्कार करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो उस समय नेता को छोड़ कर चले गये थे।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूरा मौका दिया जाये।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी नेता ने उस समय कहा था कि हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं लेकिन साथ साथ यह भी कहना चाहते हैं कि देश की जनता को अपने इस फैसले को अब बिल्कुल बदलना पड़ेगा क्योंकि यह फैसला सही नहीं हुआ है। मैं समझ सकता हूं कि चाहे जनसंघ सत्ता में आता या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती तो बात समझ में आती। एक विचारधारा वाली पार्टी स्वयं इस सत्ता को हाथ में लेती तो बात समझ में आती।

(2.48 म. प.)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारे नेता ने कहा था कि एक न एक दिन वह सरकार फैल होगी। वही चीज हम कहते थे। हम चाहते थे कि 5 साल तक सरकार ईमानदारी से काम करे। इन्दिरा गांधी ने यह बात कही कि 'हम नहीं चाहते कि सरकार गिरे, लेकिन सरकार तो गिरने वाली थी। पता नहीं 28 महीने कैसे चल गई। वह सौभाग्य की बात है कि 28 महीने तक वह सरकार चली जब कि वह सरकार तो 10 महीने भी नहीं चलनी चाहिये थी क्योंकि इस प्रकार का गठबन्धन और जोड़तोड़ बिठाया गया था। हमने कभी भी जनता सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले शुरुआत आप के नेता राजनारायण ने की। उन्होंने दोषारोपण किया।

सभापति महोदय, इनके ही नेताओं ने इनके ही नेताओं के खिलाफ में आरोप लगाये। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इनके खिलाफ में आरोप कभी नहीं लगाये। इसके बाद में आपकी पार्टी के चरणसिंहजी ने यह आरोप लगाया कि मोरारजी भाई का लड़का गलत गलत काम कर रहा है। चूंकि आपकी पार्टी कई पार्टियों के गठ-बन्धन से बनी हुई थी, उस गठबन्धन से बनी हुई जो पार्टी भारतीय जनता द्वारा पांच साल के लिये चुनी गई थी वह जनता पार्टी की सरकार पांच साल के बजाय 28 महीनों में ही समाप्त हो गई। आपने लोक सभा भंग करवादी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो अपने ही लखणों से ही समाप्त हो गई।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी लोग सभा भंग कराई थी सन् 1971 में, हमने भी पार्लियामेंट के चुनाव, जो कि पांच साल में होने वाले थे, सन् 1971 में ही करा दिये लेकिन चुनाव हमने इसलिये कराये थे कि हमें हमारे देश में कुछ प्रगतिशील कदम उठाने थे, कुछ ऐसी नीतियों का क्रियान्वयन करना था जिनसे कि हमारा देश आगे बढ़े। इसके लिये हम जनता के पास मेन्डेट लेने के लिये गये और इसका मेन्डेट लेकर हम आये। हमारी पार्टी कुछ संविधान में चेन्जेज करना चाहती थी। संविधान को बदलने के लिये हमने चुनाव कराये थे। उन मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिये लोकसभा 1971 में भंग की गयी। हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद, लोकसभा के चुनावों के अन्दर बहुमत प्राप्त करने के बाद हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक प्रगति लाने के लिये जो सन् 1972 में चुनाव हुए हमारे देश के विधान सभाओं के उनमें हमारी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में मेजोरिटी मिली। उसके कारण हमने बहुत बड़ी मात्रा में आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लागू करके हमारे देश की प्रगति शुरू की। उसके बाद में सन् 1977 में हमने एक बार और जनता से उसका मेन्डेट मांगा। हम जनता के पास गये लेकिन हमारी एक छोटी सी भूल के कारण जनता ने हमें नहीं चाहा। उसके बाद में कुछ पार्टियों ने गठबन्धन करके जनता पार्टी का निर्माण किया और वह सत्ता में आई। उस वक्त जनता पार्टी के नेता यह कहते थे और समझते थे कि हम अब दस पन्द्रह साल तक सत्ता में बने रहेंगे। वह यह सोचते थे कि कांग्रेस फिलहाल अब दस पन्द्रह साल तक सत्ता में वापिस नहीं आ सकती। जनता पार्टी के नेता लोग भी यही स्टेटमेंट देते थे। मुझे

(श्री शिवचरण माथुर)

एक बात याद आती है, वैसे तो जनता पार्टी के मन्त्रियों की मीटिंग में सुनने नहीं गया पर एकबार एक मकान में जनता पार्टी के मन्त्री को यह कहते सुना गया कि कांग्रेस शासन काल में जो कचरा पिछले तीस साल तक शासन में भर गया था उसको साफ करने में अभी तो हमें दस साल लगेंगे। जनता पार्टी के मन्त्री महोदय ने जो कचरा साफ करने की घोषणा की तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह दो साल में कितना कचरा साफ कर पाये ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनका तो खुद का सफाया हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : मन्त्री महोदय जी ने बात कही कचरा साफ करने की वह कचरा तो साफ हुआ या नहीं हुआ पर इतना जरूर है कि हमारे कांग्रेस द्वारा देश को आगे बढ़ाने की नींव रखी गयी वह जरूर पीछे हो गई। जनता पार्टी के राज्य में ऐसी गलत परम्परा कायम हुई कि देश को जो प्रगति करनी चाहिये थी वह देश प्रगति करने के बजाय पीछे धकेल दिया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सारे देश का मटिया मेट कर दिया।

श्री हजारी लाल शर्मा : अब आप करिये कचरा साफ।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस को जब अंग्रेज सत्ता सम्भला कर गये तब हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक सभी दृष्टि से बदतर हालत थी। पर हमारे देश के महान नेता जवाहरलाल की सूझ बूझ के कारण हमने हमारे देश की प्रगति शुरू की। हम यह नहीं कहते कि हमारे देश के तीस साल के कांग्रेस शासन में हमारी पार्टी की सरकार द्वारा कोई भूल नहीं हुई। भूल हुई होगी। उससे हमारे पिछले तीस सालों में जो भूलें हुई उन्हें हम अब दोहराने नहीं जायेगे। हम देश को आगे बढ़ायेंगे। हम जनता पार्टी के नेताओं वाली बात नहीं कहेंगे कि हम दस साल बाद यह करेंगे। हो सकता है कभी दूसरी पार्टी चुनावों में आ जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह नहीं आयेंगे।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, जनता पार्टी के नेता लोग बड़ी बड़ी डींगें हांकते थे। आज जो विरोधी पक्ष के नेता हैं वह उस समय जनता पार्टी के राज में राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रगतिशील कार्यों के कारण जो प्रगति हुई थी वह सारी की सारी आपके जनता पार्टी के राज में वेस्ट हो गई। जनता पार्टी के राज्य में न सिर्फ एक तरफ बल्कि अगर आप आंकड़े देखें तो क्या सामाजिक दृष्टि से, क्या आर्थिक दृष्टि से क्या खनिज की दृष्टि से जनता पार्टी के शासन में जो भी पिछड़ापन आया है उसको अब कांग्रेस शासन को ठीक करने में समय लगेगा। हमने अपने कांग्रेस राज में जो देश की प्रगति करने के लिये प्राथमिकताओं का निर्माण किया था जिससे हमारे देश में लोगों का धन बढ़े, लोगों की आवास समस्या का हल हो धन दौलत बढ़े धन दौलत का मतलब यह नहीं कि देश में सोना चान्दी बढ़े बल्कि धन दौलत से मतलब

(श्री शिवचरण माथुर)

यह है कि हमारे देश में खेती अधिक हो, उद्योग अधिक लगें जिससे हमारे यहां की धन दौलत बढ़े, हमारे देश की जो खनिज सम्पदा है उसको अधिक से अधिक निकाल कर धन दौलत बढ़ायी जाय। जो भी भागीरथ प्रयत्न हमारे यहां दौलत को बढ़ाने में मदद करें वह किये जायं। लेकिन खेद है कि जनता पार्टी ने 28 महीनों के शासन काल में कांग्रेस की इन सभी प्राथमिकताओं को समाप्त कर दिया। हमारे देश के महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि सर्व मान्य हमारे देश के नेता थे और जिनके बारे में कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं थी, के जमाने में भी इतनी मैजोरिटी कांग्रेस की नहीं आई जितनी कि हमारे देश की वर्तमान महान नेता की नीतियों के कारण आई। अभी 525 सीटों में से लोकसभा में 351 सीटें हमारी कांग्रेस को मिलीं और हमारे देश की 9 विधान सभाओं जहां कि बाद में चुनाव हुए, में से तामिलनाड को छोड़ कर बाकी आठ राज्यों की विधान सभाओं में हमारी पार्टी को दो तिहाई से अधिक बहुमत मिला और आप को जनता पार्टी के रूपमें इतने बड़े बहुमत से आये थे सन् 77 में, 28 महीने बाद ही वापिस सिकुड़ कर बैठ गये। इसका कारण है जनता पार्टी की नीतियों को जनता द्वारा नकारा जाना।

सभापति महोदय, जनता पार्टी का एक घटक जनसंघ, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, के बारे में तो अखबारों में पढ़ने को कुछ अलग ही मिल रहा है। शायद उसके भी एक दो दिन में टुकड़े होने जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़: यह हकीकत है।

श्री शिवचरण माथुर: पता नहीं यह बात कहां तक सच है जो अखबारों में आई है। पर बहुत बड़े पैमाने पर आपके यहां टुकड़े हो रहे हैं।

श्री हजारीलाल : अखबारों में तो आपकी बातें भी आ रही हैं।

श्री शिवचरण माथुर : अखबारों की बात कहां तक औथेन्टिक होती है।

सभापति महोदय, एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में जनता पार्टी का राज्य आया तो हमारे यहां राजस्थान का तो दोहरा दुर्भाग्य रहा, एक तो जनता पार्टी की हुकूमत और दूसरा हमारे राजस्थान में जनता पार्टी के जनसंघ घटक की हुकूमत। सभापति महोदय, जनसंघ घटक की मूल विचारधारा कुछ ऐसी है मुझे क्षमा करेंगे जनसंघ के नेता महोदय क्योंकि जनसंघ इस विचारधारा, इस बात में विश्वास करता है कि हमारे देश हिन्दुस्तान में वहीं रहे जो कि हिन्दु हों, इसके अलावा अलग विचारधारा वाला व्यक्ति इस देश में नहीं रह सकता है। लेकिन हमारी पार्टी की मान्यता यह है कि हमारे देश में जो हमारे देशवासी हैं चाहें हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहें ईसाई हों, चाहे पारसी हों, चाहे जैन हों, सभी को रहने का अधिकार है। हम संकुचित विचारधारा वाले नहीं हैं, हम सभी की प्रगति चाहते हैं। हमारे देश के अन्दर सभी को प्रगति करने का हक होना चाहिये। पर जैसा कि मैंने कहा, यहां पर जनसंघ की सरकार थी उसने यहां पर ऐसी व्यवस्था की, कई सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया और ऐसी विचारधारा वाले लोगों को सरकारी नौकरियों में

(श्री शिवचरण माथुर)

भर लिया जो कि जनसंघ की विचारधारा वाले लोग थे। सभापति महोदय, अगर उनका बस चलता तो वह सभी जगह पर नेकरियों को भर्ती कर देते।

एक माननीय सदस्य : नेकरिये बहुत घुसे हुए हैं।

श्री शिवचरण माथुर : लेकिन जनता ने आपको पहचान लिया और जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आपको पांच साल राज करने के पहले ही रवाना कर दिया। सभापति महोदय, पार्टियां तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पार्टियां भंग भी होंगी लेकिन हमारे देश में ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि हमारे देश को प्रगति हो जिसके द्वारा हमारे राजस्थान का सभी दृष्टि से निर्माण हो, वह जनसंघ घटक वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से निर्माण नहीं हो सकता। हम अगर प्रगतिशील नीतियों को क्रियान्वयन करेंगे तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन संकुचित आधारों पर आपका केवल एकसूत्री कार्यक्रम था। आपका एक ही कार्यक्रम था जो श्रीमती इंदिरा जी देश की महान नेता हैं, जिनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दीं, जिनके पिता ने देश के निर्माण की कल्पना की और उसको साकार रूप दिया और जिस बेटी ने हिन्दुस्तान में 11 साल के शासनकाल में देश को ऊंचा उठाया, उनके शासन से हटने के बाद आपका केवल एकसूत्री कार्यक्रम रहा और वह एक सूत्री कार्यक्रम भी यह रहा कि किस प्रकार से इंदिरा जी को जेल भेजें। आपने इतने कमीशन बैठाये कि मुझे तो उन कमीशनों के नाम और उनकी संख्या भी याद नहीं है। मुझे तो आंकड़े बताये गये हैं कि 9 करोड़ रुपये के करीब इन कमीशनों पर खर्च किया गया। हमारे श्री भैरोंसिंहजी शेखावत, जो कि आज विरोधी दल के नेता हैं और उस समय मुख्यमंत्री थे, ने भी केन्द्रीय सरकार की नकल करके यहां भी आयोगों की झड़ी लगा दी। उन आयोगों के जरिये से इंदिरा जी को कहीं भी आप दोषी करार नहीं दे पाये। आप यदि किसी भी अदालत में कनविक्ट करके उनको जेल भेज देते तो भी मैं समझता कि आपका एकसूत्री कार्यक्रम सफल हो गया। जनता पार्टी के शासन काल में दिल्ली हाईकोर्ट के जज श्री खोसला जी ने इंदिरा जी को दोष मुक्त किया। दूसरे हाई कोर्ट के जज ने उनको दोष मुक्त किया। आपने एक बार कानून को बहुत तोड़ मरोड़ कर इंदिरा जी को जेल भेजने की कोशिश की। उस समय हुआ क्या कि देश के 10 लाख लोग जेलों में गये और आपको जेलों में भी जगह नहीं मिली। राजस्थान में 18 हजार आदमी जेलों में गये। शायद 1942 में भी इतनी संख्या में आदमी जेलों में नहीं गये होंगे जितने कि इंदिरा जी की गिरफ्तारी के समय गये। इन्दिरा जी जब गिरफ्तार हुई उस समय 10 लाख आदमी जेलों में गये। आपको संभालना मुश्किल हो गया। आपने महसूस किया कि सही मायने में शक्ति और ताकत है तो इन्दिरा जी हैं और उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। निर्दोष आदमियों को आपने जबरदस्ती जेल में डाला फिर उसके बाद आप संजय जी के पीछे पड़ गये। मैं तो कहता हूं कि यदि आप में सूझबूझ होती और इंदिराजी को आप वैसे ही छोड़ देते तो शायद आप सफल हो सकते थे लेकिन आपने जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके जनता के सामने अच्छा उदाहरण पेश नहीं किया।

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारे अन्दर क्षमता है, आज सदन को चलाने में आप चाहे कितनी भी डिलेइंग टैक्टिक्स अपना लें लेकिन हमारे अन्दर क्षमता है, आपमें क्षमता नहीं थी। देश की इतनी बड़ी नेता, जो कि विरोधी पक्ष में बैठ गयी, को बर्दाश्त करने की आपमें क्षमता नहीं थी इसलिए देश की जनता ने सोचा कि आपका केवल एक ही कार्यक्रम है कि इंदिरा जी को जेल भेजो, संजय जी को जेल के सींखचों में भेजो और कांग्रेस का नामोनिशान मिटा दो। माननीय सभापति महोदया, मैं बड़े पोजिटिव तरीके से कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से वक्तव्य दे रहा हूं, देश की जनता ने सोचा कि जनता पार्टी के पास न नीति है, न कोई प्रोग्राम है और न ही कोई कार्यक्रम है। उनके पास तो सिर्फ एक ही कार्यक्रम था जिसको जनता स्वीकार करने में इंट्रेस्टेड नहीं थी। जनता पार्टी को इंदिरा जी को जेल ही भेजना था, सारे के सारे आपके रेडियो और प्रसारण माध्यम एक तरह से उसमें लग गये। जनता ने कहा कि इस पार्टी को हटाना चाहिए। 24 महीने के बाद उस जनता ने आपको हटा दिया और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। आपने हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम को तिलांजलि दे दी। देश की गरीब जनता को और पिछड़े हुए तबकों को उठाने के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम निर्धारित किये थे जिसकी मिसाल मैं समझता हूं कि दुनियां में नहीं होगी। उस कार्यक्रम के पीछे हमने चेष्टा की थी, आपके अन्त्योदयी कार्यक्रम की तरह से वह नहीं था। मैं आपके अन्त्योदयी प्रोग्राम के बारे में आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं। आपका स्ट्रांग होल्ड शहरों में था और गांवों में आपको पूछने वाला कोई नहीं था इसलिए किसी न किसी प्रकार से दो चार आदमियों को आपने गांवों में छांटा और अन्त्योदयी के नाम पर सबसे गरीब आदमी को छांटने की कोशिश की लेकिन मैं अपने इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपको लिस्ट भी पेश कर सकता हूं कि जनसंघ के कार्यकर्ता और जिनकी दुकानें थीं उनको अन्त्योदयके नाम पर आपने सहायता दी और उनको छांटा। आप अन्त्योदय कार्यक्रम भी पूरा नहीं कर सके। मैं कहता हूं कि आपने गलत चुनाव किया। गांव का गरीब आदमी आज भी रो रहा है, आज भी पुकार रहा है। हमने कल्पना की थी। हमने गांवों में 5 आदमियों को नहीं चुना था। हमारे कार्यक्रम के अन्दर तो हमने सारे के सारे आदमियों को आइडेन्टीफाई किया था। हमारे विशेष कार्यक्रमों में एम० एफ० एल०, डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम ले लीजिए हर प्रोग्राम में एक सीमा के अन्दर आने वाले गांव के प्रत्येक व्यक्ति को लेकर उसकी आइडेन्टीफाई करके कहा था कि हमें इनको ऊपर उठाना है। गांवों में सिर्फ पांच आदमी ही गरीब नहीं हैं बल्कि बहुत लोग गरीब हैं। लेकिन आपने 5 आदमियों को चुन कर यह बता दिया कि आप आदमी आदमी में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। स्थिति ऐसी हो गयी कि आज उनको कर्ज देने वाला कोई नहीं है आपने उनको सर्टीफिकेट दे दिया। अन्त्योदयी को आज पूछता नहीं है कोई। विरोधी दल के नेता, मैं जो कह रहा हूं उसमें अगर सच्चाई नहीं मानते हैं तो वह मेरे साथ चलें, मैं अपने इलाके में बताना चाहता हूं कि जिनको आपने जमीन बांटी वह जमीन आपने खाल खदर वाली दे दी। अन्त्योदयी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है और उसका विकास करने में अपनी हड्डी पसली भी तोड़ दें तो भी उस जमीन का

(श्री शिवचरण माथुर)

विकास करने की क्षमता उसमें नहीं है। आपने बैंकों से कर्ज लेकर उसको दिया और ब्याज का बोझ डाल दिया। उस कर्ज को वह आज किसी तरह से चुका नहीं सकता।

मैं समझ सकता था कि हमने गलतियां कीं, आप उनको ठीक करते अच्छी बातें करते तो हम आप को बधाई देते, धन्यवाद देते। हमारी बपौती नहीं थी सरकार में बैठने की। आज भी नहीं है। जनता जब तक रखेगी हम रहेंगे और जब जनता नहीं चाहेगी तो हम बाहर चले जायेंगे लेकिन कम से कम यह तो नहीं करेंगे कि देश की जनता के साथ गद्दारी करें। हम देश की जनता के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। उसके आधार पर राजनैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके आधार पर हम अपनी रोटी सेकने की बात नहीं करेंगे।

हमने राजस्थान के विकास के लिए जो मूलभूत आधार तय किये थे उनकी सारी की सारी बातों को आपने बदल दिया। मैं अपने साथ प्लान डाकुमेंट लाया हूं वह जनता पार्टी के समय का छपा हुआ है। मुझे समय नहीं मिला, और समय मिलता तो एक आइटम मैं आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से आपने हमारे प्रोग्राम के सारे प्रारूप को चेन्ज किया और किस प्रकार से आपने विकास को पीछे डाला। जब विकास की गति एक बार आगे बढ़ने से रोक दी जाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपने प्लान को ऐसे टेक आफ स्टेज पर ले आये थे कि उसके बाद में यदि सही दिशा जो हमने बनाई थी उसको लागू किया होता तो देश तीन साल में आगे बढ़ गया होता। लेकिन आपने क्या किया। नेहरूजी ने पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और उनके माध्यम से पहली पंचवर्षीय योजना में 2200 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4800 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 10 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया, चौथी पंचवर्षीय योजना में 22 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया और पांचवी पंचवर्षीय योजना में 56 लाख करोड़ रुपयों का प्रावधान किया। हमारी छठी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए हम तैयार थे वह 100 लाख करोड़ रुपयों की होती। मैं कहना चाहता हूं कि 2200 करोड़ से 100 लाख करोड़ खर्च करने की क्षमता बनेगी तो वह योजनाबद्ध तरीके से बनेगी। आपने उसका क्या किया? आपने पंचवर्षीय योजना की कल्पना को ही समाप्त कर दिया और उसके आधार पर रोलिंग प्लान की आपने कल्पना की। रोलिंग प्लान का मतलब यह हुआ कि जो आपको सूट करे। आप यहां पर वैस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले बैठे हैं, निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति बैठे हैं।

एक समय उनको लगा कि देश की गरीब जनता का हित हमारे कार्यक्रमों में नहीं है। रोलिंग प्लान के नाम पर आर्थिक असमानता के दौर पर जा रहे हैं। रोलिंग प्लान समझ में नहीं आया। तत्कालीन जनता पार्टी के प्लानिंग मिनिस्टर साहब माननीय श्री सुराणा साहब मेरे मित्र हैं। विद्यार्थी जीवन में साथ रहे हैं। मुझ से कहने लगे कि माथुर साहब आपने जितने प्लान बनाये होंगे वह एक साथ जोड़ लिये जायें तो छठी पंचवर्षीय योजना उसके बराबर होती है। मैंने कहा, सुराणा साहब फिगर्स की जगलरी में मत पड़िये। प्लान का आधार देख लीजिये। हर प्लान दूसरे प्लान के मुकाबले दुगना रहा है।

(श्री शिवचरण माथुर)

750 करोड़ की योजना बनाई थी श्राज की जो प्राइस राइज है उसके हिसाब से 1500 करोड़ का प्लान उतना ही होगा । 1500 करोड़ के प्लान का फिजिकल टार्गेट क्या है ? राजस्थान कैनाल को कितना बढ़ाना चाहते हैं । स्टेज वन में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितना श्रागे बढ़ाना चाहते हैं ? केनाल मोहनगढ़ श्रौर रामगढ़ तक जाने वाली है, राजस्थान की मरुभूमि की जो तपती हुई रेती है वह इन्तजार कर रही है पानी का । श्रापने उसको वहां तक लाने के लिये क्या किया ? सभापति महोदया, मैं श्रापसे कहना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार ने सारी प्रायोरिटीज को बदल दिया । पर्सेन्टेज को डिस्टर्ब किया, वह ठीक है लेकिन जानबूझ कर श्रापने ऐसा किया । जो श्राउट ले था, श्रापको खर्च करना चाहिये था, उस श्राउट ले को कम किया श्रापने । राजस्थान केनाल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है । जिस समय यह शुरू हुई तब 73 करोड़ का उल्लेख था लेकिन श्राज स्टेज दो को कम्पलीट करने के लिये 451 करोड़ रुपया हो जाता है । श्रगर चार साल का टाइम है, उसके बजाय पांच साल में करते हैं, जितनी डिले करते हैं तो वही 451 करोड़ 600 करोड़ हो जायेगा । राजस्थान प्लान का जो हिस्सा है, राजस्थान केनाल के नाम पर एक लम्बे श्रर्से तक श्रापको लिखना पड़ा है । बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वह एक निश्चित समय के श्रन्दर पूरे किये जाते लेकिन श्रापने क्या किया । राजस्थान केनाल की श्रौर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनकी प्रायोरिटी बदल दी । श्रापका यह डाकूमेंट है वाटर एण्ड पावर डवलपमेंट । दो मिनिट में कहना चाहता हूं । 1977-78 में जिस वक्त हमारी सरकार थी उस वक्त 32.62 पर्सेंट कर दिया था । श्रापने 78-79 में उसको घटाकर 29.26 कर दिया । यह तो श्रापने बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में किया । दूसरा बाद में इसमें श्रापने लिखा है --

"In the Annual Plan 1978-79, highest priority has been given to water and power development. No doubt the percentage outlay in the year 1978-79 is less than that in 1977-78, but in absolute terms the outlay in 1978-79 is more than in 1977-78."

यह श्रापने खुद स्वीकार किया है । श्रापने श्राउट ले तो कम किया, यह कोई चिन्ता की बात नहीं । लेकिन जो कुछ श्राउट ले श्रापको मिला उसको खर्च नहीं किया, यह राजस्थान केनाल के श्रांकड़े बता रहे हैं । 74-75 में 16 करोड़ 32 लाख का बजट था हमने 16 करोड़ 48 लाख खर्च किया । 75-76 में राजस्थान केनाल का बजट 22 करोड़ 30 लाख का था हमने 22 करोड़ 38 लाख खर्च किया । 76-77 में 24.62 करोड़ के मुकाबले 24.60 करोड़ खर्च किया श्रौर 77-78 में 30 करोड़ के बजाय 29.77 करोड़ खर्च किये । 78-79 में 30 करोड़ का बजट था उस 30 करोड़ के मुकाबले श्रापने 29 करोड़ रुपया खर्च किया । 29 करोड़ में 6 करोड़ की धनराशि तो टूल एण्ड प्लांट्स के लिये है, वह नहर बनाने के लिये नहीं है । इन फैक्ट 29.29 जो एक्सपेन्डीचर बताया है उसमें से 6 करोड़ निकाल देना चाहिये वह टूल्स एण्ड प्लांट्स पर खर्च हुए हैं ।

(श्री शिवचरण माथुर)

मेरा अन्दाजा यह है कि राजस्थान केनाल का प्रोजेक्ट जो 84-85 में खतम हो जाना चाहिये था वह आज शायद आपकी देन के कारण 85-86 तक चल सकता है और भी कारण आ सकते हैं, तो आगे बढ़ सकता है।

इसी प्रकार अर्स की बात बताना चाहता हूं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान कैनाल के संबंध में आप आंकड़े बता दें।

जिस समय कांग्रेस का राज था, ओरिजिनल प्रोजेक्ट बना उस समय से लेकर जिस समय तक आप शासन करते रहे, जो शिड्यूल था उसके अनुसार आपने काम किया है ? फिजिकल टार्गेट बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़: यह डिस्टर्बेन्स नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर : सबसे पहले हमने समय समय पर राजस्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई परिवर्तन किये। उस प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया। जो हमारी मेन केनाल थी, स्टेज वन को बढ़ाने की बात थी, डिस्ट्रीब्यूट्री सिस्टम था उसको एनलार्ज किया। आउट ले बढ़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आउट ले की बात नहीं, फिजिकल टार्गेट बताओ।

श्री शिवचरण माथुर : फिजिकल टार्गेट की बात कहता हूं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केनाल कितने मील बनाना चाहते थे, कितने मील केनाल बनी ?

श्री शिवचरण माथुर : फिजिकल टार्गेट्स उसी हिसाब से चले हैं। इस बात को स्वीकार कीजिये कि राजस्थान के इतिहास में जनता पार्टी के राज में यह बहुत बड़ा सेटबैक रहा है।

अब ले लीजिये डेयरी प्रोग्राम। डेयरी प्रोग्राम के आधार पर हमने एक कल्पना की थी कि हरित क्रांति आई है उसी प्रकार से श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाये। हिन्दुस्तान की अच्छी बोवाइन पोपूलेशन है। कई नसलें अच्छी हैं। राठी नसल अच्छी है। हमने सोचा था, दूध को इकट्ठा करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कल्पना की थी। हमने बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर डेयरी योजना की कल्पना की और उसका प्रारूप बनाया, उसकी रूपरेखा बनाई और यह सोचा था कि इसको और आगे बढ़ायेंगे। मुझे मालूम है सन् 1980-81 तक हमारी कल्पना यह थी कि राजस्थान के सारे संयंत्र पूरे हो जायेंगे। दूध का जो टार्गेट निर्धारित किया था 13 लाख लीटर का उस 13 लाख लीटर के इकट्ठा होने से राजस्थान की ग्रामीण जनता में एक खुशहाली आयेगी लेकिन उस कल्पना को आपने निराधार बनाया। कहीं पर कोई संयंत्र नहीं आया और न ही कोई प्लान पूरा किया। जो डेयरी का कार्यक्रम था वह ठप्प हो गया। कल जो आंकड़े मैंने मांगे उससे मुझे दुख हुआ कि कितने अच्छे कार्यक्रम थे, जो राजस्थान के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकते थे वे काफी पीछे रह गये। 13 लाख का प्रोजेक्ट का जो टार्गेट था वह 8 लाख पर आ गया। पांच लाख लीटर का कम हो गया। जिन संयंत्रों को हम देखना चाहते थे सन् 80-81 तक वे

(श्री शिवचरण माथुर)

पता नहीं कहां चले गये। जब हमारे प्लान आउट-ले को रिवाइज करने की बात आयेगी तो सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर रि-इवेल्यूएट करें और जहां हमने छोड़ा था, उसको जनता पार्टी ने जो धक्का दिया, वहां से उसको तेजी से पूरा करना चाहिये।

इसी प्रकार हमने कल्पना की थी एग्री-कल्चर एक्सटेन्शन की बात को लेकर। जो आज की नई तकनीक है खेती करने की वह हमारे किसान ने अभी तक नहीं अपनाई है। हमारा किसान पुरानी तकनीक के आधार पर खेती करता है। उसको नई तकनीक का ज्ञान नहीं है और यदि ज्ञान भी है तो वह सही ज्ञान नहीं है। हमने सही वैज्ञानिक तरीके से आगे इसको बढ़ाकर खेती करने की चेष्टा की थी और हमारे प्रयास भी उस ओर रहे थे। जो प्लान हमने बनाये थे वे जहां के जहां रुके हुये हैं और जो प्लान आउट ले हैं वह सब सरकारी कर्मचारियों के भत्तों और तनख्वाहों पर खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं यह भी जनता पार्टी की महान देन है। राजस्थान के शासन को जब हमने हाथ में लिया था उस समय 29 लाख टन अनाज पैदा करने की क्षमता थी और जब जनता पार्टी को सौंपा गया तब 81 लाख टन अनाज पैदा करने की क्षमता का सौंपा गया था वह भी पूरा नहीं किया गया।

हमारा राजस्थान रिसर्च के मामले में बहुत पीछे था। हमने बाहर के वैज्ञानिकों को बुलाया। उदयपुर युनिवर्सिटी को रिसर्च करने के लिए कहा कि आप कोई मौलिक रिसर्च करिये और राजस्थान की खेती में क्या नये आयाम हो सकते हैं उसकी खोज करिये। बहुत मेहनत से डिपार्टमेंट के रेसिस्टेन्स को मीट करने के लिए युनिवर्सिटी को ट्रांसफर किया। लेकिन मुझे दुख होता है जनता पार्टी के राज में, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी प्रशासनिक अधिकारी को किसी युनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर बना दिया और समान विचारधारा रखने वाले आदमी को उसका वाइस चान्सलर बना दिया। इसी प्रकार आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर बनाया एक आई. ए. एस. अधिकारी को। ठीक है, वह प्रशासैनिक अधिकारी का काम करे लेकिन यदि आप किसी शिक्षाविद को उसका वाइस चांसलर बनाते तो ठीक होता। जिस अधिकारी का शिक्षा की पालिसी से कोई लेन-देन नहीं है उसको आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर बनाया, यह किसी प्रकार उचित नहीं था···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने भी तो कालूलाल श्रीमाली को बनाया था।

श्री शिवचरण माथुर : वे शिक्षाविद थे। लम्बे समय के अध्यापन कार्य के बाद उनको बनाया गया था लेकिन आपने तो एक आई. ए. एस. अधिकारी को बनाया है। आपकी समान विचारधारा वाले व्यक्ति को बनाया है···

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी जानकारी है नहीं, जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर को किसने बनाया है........

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्री जैन को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राष्ट्रपति शासन में आपने बनाया है···

(64)

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो फाइल पड़ी थी पेन्डिंग आपकी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने गुमानमल लोढ़ा को जज बनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, चीफ व्हिप महोदय को इस तरह से कोई इजाजत नहीं हो सकती है कि जहां जाये, वहीं खड़े हो जायें···

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदया, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उसको जनता पार्टी के शासन ने योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करने का काम किया है। हमने बहुत कठिन समय में किसी से एक तोला, किसी से दो तोला सोना इकट्ठा किया था, बहिनों की मांग का सिन्दूर भरने के लिए और उसे रिजर्व बैंक में इकट्ठा किया। आपने क्या किया, कोई तोड़-फोड़ तो नहीं की लेकिन 13 टन सोना बाजार में बेच दिया। उसको यह कह कर बेच दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय जो प्राइस है सोने की उसके समान प्राइस हो जाय। इसी दृष्टि से उस प्राइस को ठीक करने की दृष्टि से नीलाम कर दिया। सभापति महोदय, जब नीलाम करना चाहते थे तब भी हमने यह कहा था कि 13 टन सोना यदि आप बांटना ही चाहते हैं तो किसानों को भी सोने की आवश्यकता होती है, उनको भी एक-एक, दो-दो तोला सोना दीजिये लेकिन आपने वैसा न कर हिन्दुस्तान के 13 बड़े पूंजीपतियों को 13 टन सोने की नीलामी कर दी····

(व्यवधान)

और उस 13 टन सोने की नीलामी के बाद जहां 500) रु. तोले के भाव थे वहां 1500 रु. तोला सोना हो गया।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं काम के बदले अनाज योजना के बारे में कहना चाहता हूं जिस काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत आप ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा काम करना चाहते थे. लेकिन आपने क्या काम किया ? उसे भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बना लेते और जहां जहां हमने सड़कें अधूरी छोड़ी थीं उनको आगे बढ़ाने और उसमें कहीं गिट्टी या डामर डालने का काम करते तो कुछ हद तक ठीक होता लेकिन मेरा मानना है अकाल में काम के बदले अनाज योजना में. गांव गांव में चले जाइये, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। आपके यहां क्या बोलते है हमारे यहां तो इसको सेर बोलते हैं, जहां सड़क बना दी उसके दोनों ओर खाइयां खोद दी गई हैं। उन खाइयों की वजह से अगर दूसरी तरफ से गाड़ी आ जाय तो उसको रास्ता नहीं मिल पाता है। आपने इस तरह वन-वे ट्रैफिक कायम कर दिया जिससे गांव वालों को और परेशानी हो गई। सभापति महोदया, यदि वन-वे ट्रैफिक भी करते तो कोई बात नहीं थी लेकिन बीच में जहां पुलिया की आवश्यकता होती थी, उसमें भी आपने सरपंचों को तो अनाज दे दिया और दूसरों को नहीं दिया। इसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। जहां हमारे सरपंच थे उनको अनाज नहीं दिया गया और जहां जनता पार्टी के सरपंच थे उनको एक-एक, दो-दो लाख का अनाज दे दिया गया····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपके सरपंच अयोग्य थे, इसलिये नहीं दिया गया।

श्री शिवचरण माथुर : कृपया क्षमता रखिये सुनने की। हम आपकी बातों को सुनने की क्षमता रखते है। तो आप भी उतनी ही क्षमता रखिये।

मैं निवेदन यह कर रहा था अगर आप काम के बदले अनाज की योजना को एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाते और यह करते कि 500 की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ते, जहां कहीं सड़क पर गिट्टी की आवश्यकता होती वहां गिट्टी डालते और जहां डामर की आवश्यकता थी वहां डामर का प्रावधान करते। आज पहली बरसात में सारी सड़कें चौपट हो गई। ऐसे उदाहरण है कि एक ही स्कूल और एक ही सड़क का तीन-तीन बार उद्घाटन हो गया। पहले स्कूल का उद्घाटन हुआ जिसमें प्लास्टर नहीं किया गया था, बाद में प्लास्टर करके उद्घाटन करवा लिया गया और फिर उसके पैसे उठा लिये गये। इसी प्रकार सड़कों का हाल है, एक ही सड़क पर तीन तीन बार पैसे उठा लिये गये। कोटा का उदाहरण बता रहा हूं, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं आप तो क्या जांच करवायेंगे, अब तो हम ही जांच करेंगे। आपने बहुत बड़ा जघन्य अपराध जनता के साथ किया है। देश की अर्थ व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया और आने वाली पीढ़ी के लिये खतरा पैदा कर दिया है मैंने तो मुख्य

(व्यवधान)

मंत्री जी से निवेदन किया था कि पहले श्री भैरोंसिहजी साहब को बोलने दीजिये, उसके बाद मैं बोलूं ताकि कम से कम जो वे बात कहें मैं उनका जवाब पढ़ कर दे सकता। लेकिन उन्होंने मुझे आज्ञा दी पहले बोलने की इसलिये मैं अभी बोल रहा हूं। हमारे और साथी इसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

हमने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये एक बहुत ही सुवैज्ञानिक और सुव्यवस्थित योजना बनायी थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ही सुनियोजित कल्पना की थी जिसके आधार पर जो भी जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुयें हैं वह हर शहर और गांव के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर दुकानों से मिल जायं। लेकिन आपने आकर सबसे पहले जो काम किया वह काम यह किया कि सारी वितरण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। गांव के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट, जो आपका अनुयायी है, को राहत देने के लिये, आगे बढ़ाने के लिये जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से वितरण व्यवस्था बनायी थी उसको समाप्त कर दिया। आज स्थिति यह है कि आज चीजों की कमी है। हम मानते हैं कि आज चीजों की कमी है लेकिन यह कमी एक दिन में दूर नहीं हो सकती। यह कमी भी आपने ही पैदा की है। उदाहरण के तौर पर म आपसे निवेदन करू कि शक्कर की मांग हमारे देश में और प्रदेश में है। शक्कर की दिक्कत किसने पैदा की? हमारे वक्त में 12 ½ रुपये क्विंटल के भाव गन्ना लिया जाता था। जब मैं कृषि मंत्री था मुझे मालूम था राजस्थान की शुगर फैक्ट्रीज को हमने आदेश दिया था कि आपको 12½ रुपये क्विटल के भाव से किसानों का गन्ना उठाना पड़ेगा। मेरे जिले के किसानों का गन्ना जब एक्स्ट्रा रह गया; जब सरप्लस रह गया तो हमने बूंदी की शुगर फैक्ट्री को गन्ना उठाने का आदेश दिया। और जब बूंदी में भी सरप्लस रहा तो दूसरी शुगर फैक्ट्री को कहा। शुगर फैक्ट्री के ट्रक किसान के मकान पर आकर जितना किसान का

66

(श्री शिवचरण माथुर)

गन्ना था ले गये और किसान को गन्ने का पैसा दिया। आपने क्या किया 12 ½ रुपये क्विंटल के भाव को कम करके पांच रुपया क्विंटल कर दिया। एक बलीता की लकड़ी का भाव भी 12 रुपया क्विन्टल नहीं रहता लेकिन आपने जनता पार्टी के राज में 5 रुपया क्विन्टल गन्ने को बिकवाया। मुझे मालूम है कि कई जगह जनता पार्टी के मंत्रीजी को कहा कि आप आकर एक चीज का उद्घाटन कर दीजिये, मेरे खेत में गन्ने के ढेर को आग लगा दीजिये। इस तरह की घटना भी हमारे सामने आयी हैं। आप बताइये, किसान कैसे 5 रुपया क्विंटल के भाव पर गन्ना बो सकता था? आपने क्रोप का पैटर्न बदल दिया, उसने गन्ना उत्पादन करना बंद कर दिया। मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछा था कि आपका शुगर केन का क्रोप, पर्सेन्टेज आफ क्राप क्या है? उन्होंने बतलाया कि और फिनोमिनल क्राप हुई है। इसका कारण यह है कि किसान को भाव नहीं मिला है। कहां साढ़े बारह रुपये क्विन्टल का भाव और कहां पांच रुपये क्विन्टल का भाव इसका नतीजा यह हुआ कि किसान ने क्राप पेटर्न बदल दिया। उसने गन्ना पैदा नहीं किया चीनी की मिलों को गन्ना नहीं मिला और चीनी कम पैदा हुई। हमारी सरकार ने आते ही फिर से उस भाव का निर्धारण किया ताकि किसान फिर से गन्ना पैदा करें। हम देश और राजस्थान की जनता को आश्वास्त करना चाहते हैं कि शुगर केन ज्यादा पैदा होगा, शुगर केन जायेगा मिलों के पास और चीनी अधिक पैदा होगी तो उसकी कमी भी मिट सकेगी। आवश्यकता हुई तो और जगहों से चीनी मंगाने का प्रयास करेंगे लेकिन जो बीज आप बो चुके हैं उसका तो पौधा उगेगा ही और इसका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो चीनी की कमी इस प्रकार दूर होगी।

आज डीजल की शोर्टेज है, उसको भी हमने मिटाया है। आज बड़ी मुश्किल से ऐसी स्थिति आयी है कि आज डीजल मिलने लगा है, किसानों को डीजल मिलने लगा है। इस तरह से आपने जो सारी की सारी व्यवस्था को नष्ट किया और नष्ट करके हमारे लिये एक ऐसी समस्या करदी...

(व्यवधान)

मैं, सभापति महोदया, जनता पार्टी के शासन की पचासों बातें और बता सकता हूं, लेकिन मैं इन सारी बातों के अन्दर जाकर के इस माननीय सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं। मैंने तो कुछ बानगी के तौर पर कुछ बातों का निवेदन किया है, सरसरी तौर पर ताकि आपके सामने चित्र प्रस्तुत हो जाये कि जनता पार्टी ने किस प्रकार की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया और देश को कहां से कहां ले जाने की कल्पना की और आज क्या स्थिति है। दूसरे आइटम्स् में, दूसरे प्रोजेक्ट और फाइन्डिंग्स में नहीं जाकर मैं यही कहना चाहूंगा जिस प्रकार की स्थिति आज हमको देश और राजस्थान में दी है उसको ठीक करने में समय लगेगा। उसको हम बहुत जल्दी से जल्दी ठीक करने का प्रयास करेंगे, यह मैं कह सकता हूं।

राजस्थान के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन सारी कल्पनाओं को इंगित किया है। विकास की धारा के लिये

(श्री शिवचरण माथुर)

योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम को किया है। उस सारी कल्पना की ओर इशारा किया गया है और हमारे संकल्प को दोहराया गया है। सरकार के संकल्प को दोहराया है और यह कहा है कि बहुत सी कठिनाइयों प्राकृतिक, राजनैतिक, सामाजिक इन सारी कठिनाइयों के बावजूद हम अपने दृढ संकल्प के आधार आगे बढ़ना चाहते है। देश की जनता ने जो हमको बहुत बड़ा विश्वास दिया है उसका हमको अहसास है। हम यह मानते है कि हमारे देश की महान जनता ने सूझबूझ के साथ जो इतना विश्वास दिया है, इस समय मेरे पास में इलेक्शन के आंकड़े नहीं है, जिनसे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बताता कि इस बार हमारी जनता ने जो विश्वास दिया है उससे हमारा वोटिंग पेटर्न भी आगे बढ़ा है।

(व्यवधान)

जनता ने इतना बड़ा विश्वास देकर भेजा, हमें उसका अहसास है।

मैं यहां राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जहां बात कहता हूं वहां मुख्य मंत्रीजी, हमारी सरकार और हमारे इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने एक पुरातन इतिहास है। हमारी विरासत है, हमारी परम्परायें है काम करने की, हमारा एक सुन्दर तरीका है और हमारे संगठन का सुदृढ़ आधार है जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से राजस्थान की समस्या को हल करने की ओर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ कर के राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे।

मैं इस संबंध में, मुख्य मंत्रीजी, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 30 साल के अन्दर हो सकता है कि हमसे कुछ भूलें हुई हो, उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण लेकर सुधार करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे राजस्थान और देश में बड़ी बड़ी योजनाये हाथ में ली गई हैं। एक व्यापक तौर पर देश का विकास करने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात थी वह तो कर दी लेकिन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आज किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। उनकी समस्याओं का सीधे व्यावहारिक तौर पर हल निकालने की कल्पना करके चलें। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार और मुख्य मंत्रीजी से कि पिछले तीस सालों का जो भी अच्छा बुरा अनुभव रहा उसके आधार पर व्यावहारिक नीति अपना कर राजस्थान की जनता की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर यह बतायें कि प्रदेश की जनता ने जो अपना विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास के अनुकूल बनने के लिये हम कृत संकल्प है। जनता के सामने हमने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को निभाना पड़ेगा और प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये काम करके ही, मैं मानता हूं, हम राजस्थान की जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ सामाजिक कुरीतियों के बारे में जिक्र किया गया है। मैं संदर्भ के तौर पर माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि यह एक

(श्री शिवचरण माथुर)

बहुत अच्छी बात है कि इसमें सामाजिक कुरीतियों के निवारण के लिये कहा गया है। कुरीतियों के निवारण के लिये जहां भी सरकार ने कानून बनाये हैं वहां व्यवधान उपस्थित हो जाता है और बुराइयां पैदा हो जाती हैं। कोई भी सामाजिक कुरीतियां कानून के माध्यम से देश और प्रदेश में ठीक नहीं की जा सकती हैं। उसके लिये तो व्यापक स्तर पर देश में जनमानस बनाना पड़ेगा। सरकार संस्थाओं की मदद करे तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद करे और देश में ऐसा व्यापक वातावरण बनाये जिससे जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको मिटा सकें।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मृत्यु भोज एक बहुत बुरी रीति है। मैं समझता हूं कि गरीब आदमी खास तौर से बरबाद हो जाता है लेकिन आज मृत्यु भोज कानून के अन्दर जिस प्रकार से पुलिस को दखलन्दाजी करने का अधिकार मिल गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि अब दो तरह के मृत्यु भोज करने पड़ते हैं। एक तो मृत्यु पर मृत्यु भोज करना पड़ता है और खर्च करना पड़ता है, पुलिस को घूस देने के लिये भी रुपया चाहिए। इसलिये मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके व्यावहारिक दृष्टि से सही हल निकालने की कोशिश करें। हम नहीं चाहते कि मृत्यु भोज हो और गरीब किसान हर प्रकार से बरबाद हो जाये। कानून को बीच में लेकर पुलिस के माध्यम से कानून के द्वारा कुरीतियों को मिटाने की बात कम से कम मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी कमियां हैं उनमें सुधार करें और आगे आने वाले समय में राजस्थान की जनता को एक नयी दिशा दें तो मेरा ऐसा मानना है कि हम उनके विश्वास के लायक बन सकेंगे।

बहुत अधिक बातें और भी कहना उचित समझता था लेकिन समय की कमी है, केवल 16 घंटे इस काम के लिये निर्धारित किये हैं, माननीय सदस्य और भी बोलेंगे इसलिये मैं यही कह कर कि राजस्थान की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है और जिसका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है चाहे वह 20 सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे वह संजयजी का 5 सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे वह प्रधान मंत्री का सूखे से निपटने का 12 सूत्री कार्यक्रम हो इन सारे कार्यक्रमों में लेटर आफ स्प्रिट में, और सारी विचारधारा में, सम्पूर्ण तौर पर, जिस से आश्वस्त करते हुए कहा गया है, निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करने की चेष्टा करेंगे।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ राज्यपाल महोमहोदय ने कृपा करके जो अभिभाषण दिया उसके लिये धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि एकमत से इस प्रस्ताव को पारित करें।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य सो रहे हैं। आप हिदायत दें कि कांग्रेस आई के माननीय सदस्य सोयें नहीं।

एक माननीय सदस्य : आप यही ध्यान रख रहे हैं कि कौन सो रहा हैं कौन नहीं सो रहा है।

एक माननीय सदस्य : हम सोये हुओं को जगा देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मेरे से पूर्व वक्ता ने काफी विस्तार से राजनीतिक विषय पर चर्चा की और कारण बताये कि किन कारणों से देश में जनता पार्टी के शासन का पतन हुआ और कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़ हुई। मैं उनमें से जो कुछ खास मुद्दे रह गये थे उनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यह बात जाहिर है कि जिस वक्त 77 में इमर्जेंसी को समाप्त करके आम चुनावों की घोषणा की गई थी उस समय, सभापति महोदया, जो विभिन्न दल थे देश के अन्दर उनमें आपसी मनमुटाव खड़ा हुआ क्योंकि एक तरफ मोरारजी देसाई जनता पार्टी के चेयरमैन बनना चाहते थे दूसरी तरफ चौधरी चरणसिंह बनना चाहते थे। यह सब कुछ हुआ, जयप्रकाशजी के इंटरवीन करने पर मोरारजी देसाई जनता पार्टी के चेयरमेन बने। सत्ता में आने के पहले से ही उनमें मनमुटाव था। सत्ता हथियाने के लिये जिन्होंने नापाक गठबन्धन किया था सत्ता प्राप्त करने के बाद उनमें आपस में मतभेद पैदा हुआ। मतभेद राजनीतिक आधार पर था। क्योंकि उनकी नीतियां एक नहीं थीं, उनके कार्यक्रम एक नहीं थे, उनकी दिशा एक नहीं थी। उसका रूप सामने आया 6 माह पहले। जब चौधरी चरणसिंह ने जनता पार्टी को छोड़ा और प्रधान मन्त्री पद को संभाला उस श्रृंखला के क्रम के अन्दर यह हुआ। सभापति महोदया, देश के अन्दर जिन पार्टियों को मिला कर जनता पार्टी का गठन किया गया था, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, बी. के.डी. भारतीय क्रांतिदल, लोग कहते हैं पार्टी थी, मैं कहता हूं कुछ भी पार्टी नहीं थी। भगवान जाने क्या था, समझ में नहीं आता। उनके आपस के मनमुटाव के कारण उनकी सरकार टूटी केन्द्र में और देश की जनता ने आम चुनावों में जिस तरह से विभिन्न दलों को छोड़ कांग्रेस को पुनः सत्ता सौंपी यह अपने आप में ऐतिहासिक बात है। किसी देश के इतिहास के अन्दर किसी दल को इतनी बुरी तरह से परास्त करने के के बाद सत्ता सौपना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इससे कल्पना की जा सकती है कि जो देश के चहुंमुखी विकास की बात करते थे जिन्होंने ढाई साल के शासन में देश का सत्यानाश कर दिया, यह कहा जाय तो गलत नहीं होगा। सभापति महोदया, जो आर. एस. एस. का रोल रहा देश की राजनीति के अन्दर, मैं जनसंघ और आर. एस. एस. को अलग नहीं मानता चाहे वह देश की राजनीति में रहा हो, चाहे राजस्थान की राजनीति में रहा हो। जिस प्रकार से उनका कार्यक्रम था जिस प्रकार से उनकी नीति थी वह भी जनता पार्टी को तोड़ने के अन्दर एक बहुत बड़ा कारण बनी। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से मंत्रिमन्डल का गठन हुआ, जिस प्रकार के घटकवाद से मंत्रिमन्डल का गठन हुआ, जिस प्रकार से विभाग बांटे गये, जिस प्रकार से जो अच्छे अच्छे महकमे थे वे जनसंघ ने हथिया लिये और बाकी दूसरे लोगों को सौंपे चाहे इरिगेशन हो, चाहे पावर हो, चाहे एजूकेशन हो और चाहे पुलिस विभाग हो ये इन्होंने अपने पास रखे और दूसरे....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कुछ तो गलत कहेंगे ही।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा था राजस्थान का शासन किस प्रकार से इन्होंने चौपट किया।

आज, सभापति महोदया, इस प्रस्ताव में कुछ अमेन्डमेंट्स दिये गये हैं जो कि मेन मुद्दा बना कर चलना चाहते हैं सदन में सरकार लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं कर पाई, सरकार पर मंहगाई और भ्रष्टाचार का आरोप, बेरोजगारी का आरोप लगाना चाहते हैं। मैं इनको एक एक करके आपके सामने लूंगा।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में साफ शब्दों में कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति राजस्थान में बिगड़ी है हम उसको सुधारने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। आज लॉ एण्ड आर्डर की बात कहते हैं। सदन में यह मामला उठाया गया लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदया, इनके 32 माह के शासन के अन्दर 25 हजार क्राइमों की संख्या बढ़ी। मैं आपको फिगर्स देकर बताना चाहता हूं। कांग्रेस के 32 साल के शासन में जितने क्राइम हुए....

एक माननीय सदस्य : इमर्जेंसी की बात कह रहे हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इमर्जेंसी के पहले के फिगर दे सकता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनके 32 माह के शासन में 32 हजार क्राइम की संख्या बढ़ी। राजस्थान में जिस प्रकार क्राइम हुए मर्डर डकैती, लूट, 16.4 प्रतिशत, डकैती 50 प्रतिशत, चोरी 14.8 प्रतिशत और....

श्री परसराम मदेरणा : पुलिस विभाग के पास कंप्यूटर है उसमें ये आंकड़े दरसाये गये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : लॉ एंड आर्डर सुधारने की फुरसत थी किसको आपस की लड़ाई से....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपस से इंट्रिक्स ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दौलतराम जी ने कहा कि होम डिपार्टमेंट दे दीजिये तो एक ऐसे आदमी को होम डिपार्टमेंट सौंप दिया जिनको यह पता नहीं कि एक-एक थाने में 10-10 थानेदार काम कर रहे हैं। कोरसपोंडिंग 8 महीने पहले के दिसम्बर, 79, जनवरी और फरवरी 80, मार्च अप्रेल में प्रेसीडेंट रूल रहा, इन तीन महीनों में जनता पार्टी शासन में जो हीनिअस क्राइम हुए उनके फिगर्स आपके सामने पेश करता हूं। दूसरी बात, सभापति महोदया. मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो कि आज विरोधी पक्ष के नेता हैं, ने माणक चौक चौपड़ पर भाषण दिया था कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। सदन में भी बहुत लम्बी चौड़ी बात किया करते थे। क्या हुआ भ्रष्टाचार को समाप्त करने का....

एक माननीय सदस्य : तुम समाप्त हो गये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कहां गया भ्रष्टाचार को समाप्त करने का नारा ? वह माणक चौक से रवाना होकर पूरे राजस्थान के गांव गांव में फैल गया। आर. एस. एस. ने किस प्रकार राजस्थान के अन्दर इन्टरफियरेंस किया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया वह कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा का क्या था।....

एक माननीय सदस्य : फ्रोड था...

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो प्रौढ शिक्षा कार्य क्रम चलाया गया, उसमें आर. एस. एस. के कार्यकर्ताओं. प्रचारकों की फिक थी। देश के पढ़े लिखे लोगों की, बेरोजगारों की फिक नहीं थी कि इन लोगों को किस तरह से रोजगार दिये जावें। इन्होंने अपने हजारों कार्यकर्ताओं को 300-400 रुपये माहवार पर प्रौढ़ शिक्षा की आड़ के अंदर, प्रौढ के अन्दर रखा। यह इनका प्रौढ शिक्षा कार्य क्रम था।

इतिहास बदलने की बात कही गई। पुस्तकें बदलने की बात कही गई। इसके ऊपर दिल्ली के अंदर अखबारबाजी की गयी दुनियाभर की। परन्तु ये इसके अंदर सफल नहीं हो पाये। इसका बस चलता तो हिन्दुस्तान का इतिहास बदल देते। इनकी नीति सफल नहीं हो पाई। प्रशासन के अन्दर, अध्यापकों के ट्रांसफर के अंदर कोई नेकर वाला पहुंच गया और सलाम कर दिया तो उसका ट्रांसफर कर दिया। दूसरे दल के लोगों को परेशान करने की इनकी नीयत थी उनका ट्रांसफर दूर-दराज कर दिया गया। भरतपुर वाले को बाड़मेर, जोधपुर वाले को भरतपुर भेज दिया। यही इनकी ट्रांसफर की नीति थी। इन्होंने लोगों को परेशान किया, विक्टीमाइज किया।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र के हामी थे। चुनाव में मुद्दा था लोकतन्त्र की रक्षा करो, लोक तन्त्र बचाओ, यह इनका सबसे बड़ा नारा था। राजस्थान के अंदर जिन नगरपालिकाओं के चुनाव हो गये थे, उनको इन्होंने भंग कर दिया और चुनाव नहीं कराये। पंचायत समितियों को भंग किया। को-आपरेटिव की जितनी इंसटीट्यूशन थीं, उनको भंग किया। कृषि उपज मंडी को भंग किया। एक बात समझ में नहीं आती है कि जितने बोर्ड और कार्पोरेशन थे, वहां के लोगों को आप हटा सकते थे, लेकिन आपने किया यह कि जिन नगरपालिकाओं के सवा साल पहले ही चुनाव हो गये थे, उनको आपने भंग कर दिया और उन सब को भंग करके ढाई साल के शासन काल में आपने इनके चुनाव नहीं कराये। यह तो आपकी जनतंत्र में आस्था है। यह आपका प्रजातन्त्र में विश्वास है। हमने कहा कि प्रधानों के चुनाव होने चाहिये पंचों के जरिये चुनाव होने चाहिये। हमारे लोगों ने इस बात को मांग की, चुनाव नहीं करेंगे सरपंच। काम के बदले अनाज योजना के तहत अनाज बांटेंगे, बी.डी.ओ. के जरिये उनके सर पर तलवार लटका देंगे, और इस तरह प्रधान चुन लिये जायेंगे। ये इनकी नीति थी। ये यह करना चाहते थे।

अब, सभापति महोदया, मैं दूसरे मुद्दे पर आना चाहता हूं। मैं राजस्थान की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे वह दिन याद है, जिस दिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दिन श्री भैरोंसिंह, जो आज विरोधी दल के नेता हैं, ने यह कहा था कि हमें भूखा नंगा राजस्थान विरासत में मिला है। हमने कहा ऐसी बात नहीं है। आज राजस्थान की माली हालत बहुत अच्छी है। राजस्थान सरकार का पहली दफा बैंकों में धन जमा है, सिक्योरिटी है, पर मैंने सदन में कहा था आज क्या स्थिति है, राजस्थान को 100 करोड़ का घाटा है, सभापति महोदया। खजाने का दिवाला निकाल करके रख दिया। आज हमको समय लग सकता है, जो हालत छोड़ कर गये हैं उनको सुधारने

(72)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में। सभापति महोदया, सही मायने में भूखा नंगा राजस्थान हमको विरासत में मिला है, तब नहीं मिला था आज मिला है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, आज जो इसका रुख है, पहले जो अल्पसंख्यकों के प्रति रुख था, यहां पर बड़े गौरव के साथ कहते थे हमारे कार्यकाल में राजस्थान के अंदर कोई भी काम्यूनल राइट्स नहीं हुए, दंगे-फसाद नहीं हुए, इस बात की डींग हांकते थे। परन्तु चित्तौड़ में मीनार के पास घटना हुई थी, हम लोगों ने इस मामले को सदन में उठाया था, तो चुपचाप कहा गया, इसके बारे में बात मत करो। माहोल खराब होता है। आप और हम बैठकर बात कर लेंगे। किन्तु आज दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई है। यह तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय आप इन्दिरा गांधी के विरोधी थे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने शुरू से ही आपका विरोध किया है। मैंने कभी आपकी चिलम नहीं भरी, मैंने पहले भी आपका विरोध किया था, यह रेकार्ड कह रहा है। सदन की कार्यवाही, प्रोसिडिंग निकाल कर देख लीजिये। मैंने हमेशा आपका विरोध किया है। मैंने पहले दिन से ही आपका विरोध किया है और विरोध करता रहूंगा, जब तक आर.एस.एस. का इन्टरफियरेंस रहेगा। इस देश की जनता गरीब जरूर है, लेकिन मूर्ख नहीं है। आपको सत्ता नहीं मिलने वाली है वह आपके हाथ में सत्ता कभी नहीं सौंपेगी।

सभापति महोदया, आज प्राइस राइज की बात कही गई। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। परन्तु कारण क्या है, कभी इस तरफ भी सोचा आपने। अकाल का साल था। अकाल के बाद हमेशा कीमतें बढ़ी हैं। ऐसा अकाल पहले कभी नहीं देखा गया। पूरे देश में 500-500 मील तक अकाल था, लेकिन उसके बाद भी देश में प्रोडक्शन काफी हुआ। आज अनाज की किल्लत नहीं है। किल्लत आ रही है, चीनी की। एडिवल आयल की। इनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, आसमान को छू रही हैं। मैं चीनी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर माननीय शिव चरण माथुर ने प्रकाश डाला। सभापति महोदय, शुगर प्रोडक्शन का हाल क्या है। 1977-78 के अन्दर शुगरकेन का जो टोटल एरिया था वह 32 लाख हैक्टेयर था। 77 में इनका राज आ गया। इनका राज आते ही क्या गन्ने की फसल हो गई? यह पूर्व सरकार की नीति थी जिसकी वजह से देश के अन्दर गन्ने की फसल काश्तकारों ने अच्छी पैदा की और उनको उचित मूल्य मिला। गन्ने की फसल अधिक पैदा हुई इसलिए चीनी के दाम उस साल में गिरे हुए थे और गिरते चले गये जिसका ये श्रेय लेते हैं कि चीनी हमने ढाई रुपया बिकवा दी। आसमान से चीनी उतार कर नहीं लाये। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद हालत क्या हुई, किसानों को गन्ने की कीमत उतनी नहीं मिलती थी कि वह ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वहन कर सके। खेत से फैक्ट्री तक गन्ने को ले जा सके। जिससे हजारों एकड़ के अन्दर लोगों ने गन्ने की खड़ी फसल को जला दिया। यही कारण है कि देश के अन्दर गन्ने की

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

पैदावार में कमी आई और उसके साथ जुड़ा हुआ शुगर प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सभापति महोदया, 78–79 के अन्दर 32 लाख हैक्टेयर रकबे से कटकर यह रकबा 26.30 लाख हैक्टेयर रह गया। यह आपने किया। तब आपका राज था, आप ने क्या किया उस समय शुगर प्रोडक्शन में शुगर प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए गन्ने की उपज को बढ़ाना आवश्यक था। आपने कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा नुकसान मेरठ और मुजफ्फरनगर के किसानों का हुआ है। गन्ना पैदा करने वाले किसानों का हुआ है।

एक माननीय सदस्य : बागपत में हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गन्ने की पैदावार कम हुई इसलिए चीनी कम हुई।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने कालाबाजारी करवाई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने कालाबाजारियों को प्रोटेक्शन दिया है। आपने कितने बन्द करवाये हैं? ढाई साल में आपने क्या किया है? जो व्यापारी गलत काम करते थे, वह यह समझ बैठे थे कि अब राज उन्हीं का हो गया। 80 के लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए। सारे देश में क्या हुआ है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

(3.55 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, आज देश में डीजल की समस्या है। क्रूड आयल बाहर से आता है, उनको मालूम था। काश्तकारों को मानसून का अच्छी प्रकार से मालूम था। आज आप अपने को किसानों का मसीहा कहने वाले हैं। अगर आप इस अकाल को रोकना चाहते तो देश में डीजल का इन्तजाम कर सकते थे। पिछले तीन वर्षों में शासन की ओर से गांवों में डीजल की सुविधा दी जाती तो हमको इस अकाल का आभास नहीं होता। डीजल के अभाव के कारण यह अकाल हुआ है। मैं उन जिलों का जिक्र कर रहा हूं जो मेरे जिले से लगे हुए हैं। उनके बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने कुछ और बात कहना चाहता हूं। इस अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उनके लिए कार्यक्रम घोषित किया है। आगे उनको अमल में लाया जाएगा। एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम है जिसमें कोई एक करोड़ वृक्ष लगाने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पहले भी पेड़ लगाये गये थे। उनमें से सभी पेड़ मर गये। उनको इनके अन्दर पूरा करने जा रहे हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि आपने दो और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राज्य कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए आपने पुलिस और रेवेन्यू का मिला जुला दस्ता उपखण्ड स्तर पर गठित किया है। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि आपने लोगों के मन को बहलाने के लिए पुलिस हैडक्वार्टर पर उड़न दस्ता बनाया। उसकी क्या हालत बना दी है? मगर यह भी वैसा ही हो तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

दूसरी बात मैं अनएम्प्लायमेण्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मोरारजी भाई ने

74

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

एक कार्यक्रम दिया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने भाषण में कहा था। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जायगा। मोरारजी भाई ने कहा था कि 10 साल से बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। ढाई साल में वह 55% भी नहीं हो सकी। वह एक थोथा नारा था। वह नारा इसलिए दिया था कि दस साल तक लोग बैठे रहें। आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध कराना सरकार का परम कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान की हालत जो है उसको देखते हुए यह सरकार 60 करोड़ का घाटा बरदास्त नहीं कर सकती है। 40 करोड़ की अस्थायी आमदनी है। 60 करोड़ का घाटा इस सरकार को होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा, मोरारजी भाई ने कहा था कि हम पैसा देंगे। पर उन्होंने कुछ दिया लिया नहीं। मैंने मोरारजी भाई को एक पत्र लिखा था। राजस्थान में तीन जिले गंगानगर, जयपुर और उदयपुर, इन तीनों जिलों में नशाबन्दी नहीं की जाये। लेकिन मोरारजी भाई आ गये धमकी में। शराब आपके राज में पहले भी मिल रही थी और आज भी मिल रही है। लोगों ने यूरिया मिला मिला कर जहर पिया है। कानून बनाने के बाद भी लोगों की शराब बनाने की आदत नहीं छूटी है। कुछ और देशों और प्रान्तों की भी मिसाले हैं जहां शराबबन्दी लागू की गई है। आप राजस्थान में शराबबन्दी नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में सरकार को नये सिरे से सोचना पड़ेगा, मेरा यह राजस्थान सरकार को सुझाव है।

दूसरा मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में सुझाव है। पावर आपके पास नहीं है जबकि सवा लाख के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, उसके लिए क्या किया जा रहा है। कोटा में ताप बिजलीघर के लिए जो सरकार ने किया · · · · ·

श्री दाऊदयाल जोशी : जनता पार्टी की सरकार में वह योजना चालू हुई है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि आज पूर्वी जिलों में जो अकाल पड़ा है, ऐसा 40 साल पहले कभी अकाल पड़ा। यह 40 साल के बाद अकाल पड़ा है। आज हमारे यहां पर भी लोग बिजली के कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने के लिये आपको कदम उठाने पड़ेंगे, दूसरे प्रान्तों से आपको बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर कोई काम चलने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव है सरकार को। सहकारी ऋण वसूलियों के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि ऋण वसूली में परिवर्तन किया गया है। लेकिन लोंग टर्म लोन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। भूमि विकास बैंक के कर्जे की वसूलियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हमारी होल्डिंग्स बहुत छोटी है, लोगों की आमदनी इतनी नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि जो आपकी वसूलियां हो रही हैं आपको उनको स्थगित करना चाहिए तब कहीं जाकर किसानों को सही मायने में राहत मिलने वाली है। रोजमर्रा के तकाजों और अपमान से भी किसानों को बचाना होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन वसूलियों को स्थगित कर दिया जाय तब कहीं जाकर के किसानों को राहत मिलने वाली है।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अध्यक्ष महोदय, एक बात और है, और बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। एक हमको आर्डिनेन्स लाना पड़ा। कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने के लिये आर्डिनेन्स लाना पड़ा। बहुत आवश्यक था, चुनाव से पहले जिस तरह से कृषि विपणन बोर्ड के आफिस का, उसके स्टाफ का, उसके फण्ड्स का और ट्रान्सपोर्ट का मिसयूज किया जा रहा था, उसको देखते हुए यह आवश्यक था कि आर्डिनेन्स के जरिये उनको हटाया जाता वहां के टेलिफोन, स्टाफ और ट्रान्सपोर्ट का राजनीतिक आधार पर इस बात को निगाह में रखते हुए कि राजनीतिक लाभ मिलेगा, मिसयूज किया गया, उसके फण्ड्स को बांटा गया जो उनके क्षेत्र थे उनमें लाखों रुपया बांट दिया। अध्यक्ष महोदय, यह एक भेदभाव की नीति थी, इसलिए राष्ट्रपति शासन में ही इनको हटाना पड़ा। इसके लिए मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सज्जन को रवाना किया वरना क्या हालत होती बोर्ड की।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखिये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आर. एस. एस. के बारे में।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपच है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी हां, मुझे अपच है।

अध्यक्ष महोदय, खेल के मैदान हथिया रखे हैं, आर. एस. एस. के लोगों ने, उनको वापस स्कूलों को दिलवा दीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज वहां दूसरे लड़के खेल नहीं सकते, कहते हैं कि हमारा कब्जा है। एक पीला झन्डा लगा देते हैं ताकि दूसरे लड़के वहां खेल नहीं सके।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब कैन्सिल होंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनसंघ ने नया नारा लगाया और नया रूप रख लिया। कहते हैं, विद्यार्थी परिषद कह रही है कि असम से विदेशियों को निकालो। फिर आपने राजस्थान के हित को ध्यान में रख लिया। हमारे यहां के लोग सारे प्रान्तों में फैले हुए हैं इसलिए आप इस संकीर्ण विचारधारा को निकालिये। देश के परिप्रेक्ष्य में आपको सोचना पड़ेगा। आज राजस्थान का निवासी सारे हिन्दुस्तान में फैला हुआ है। आज अगर आपने इसको सपोर्ट किया तो आप राजस्थान का अहित करेंगे।

अन्त में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य शिवचरण जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उसको प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा। इसलिए पार्टी के अन्य माननीय सदस्य या जिस – जिस तरीके से नाम देंगे, उसी हिसाब से नाम बोले जायेंगे।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह स्टेटमेन्ट हो जाय मिनिस्टर साहब का।

(76)

एक माननीय सदस्य : 5 बजे होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 4 बजे के लिये आदेश हुए थे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने आदेश दिया तो उसकी पालना क्यों नहीं हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : 4 और 5 में क्या है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने 4 बजे के लिये कहा है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने 4 बजे का फर्मा दिया था लेकिन अन्त में यह तय हुआ था, इम्पोर्टेन्ट मीटिंग बुलाई थी, भैरोंसिहजी 4 बजे के लिये इन्सिस्ट कर रहे थे, लेकिन 5 बजे का तय हुआ था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये । आपका मतलब है कि वहां पर हुआ इसके विपरीत ।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : you are trying to provoke the chair.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, बोला या नहीं, आपने आदेश 4 बजे का दिया था ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके सामने जो बात हुई थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आपने यह तय किया था कि 5 बजे का समय रखा जाय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि सुनने में भूल हुई ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जितनी अच्छी परफार्मेन्स दिखा रहे हैं उससे मैं कह सकता हूं कि मन्त्रिमण्डल में आपको शामिल कर लिया जायगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है । आप कहेंगे तो उल्टा पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार बजे के लिये कहा था या 5 बजे का ।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, समय नहीं बताया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे याद है । आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं बताया समय, आपने गलत सुना है । प्रोसीडिंग्ज मंगा लीजिये, देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : मुझे जहां तक याद है, समय नहीं बताया ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं बताया । इससे क्या है माननीय सदस्यों को समर्थन करने दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद और उसका समर्थन करने के बाद हमेशा विरोधी दल के नेता बोलते हैं । अगर उनके पास मैटीरियल न हो तो हमारे माननीय सदस्य, जिनकी हमने सूची दी है, को सम्बोधित किया जाए कि वे बोलें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोधी दल के नेता के पास कितना मैटीरियल है, जब सुनोगे तब पता लगेगा ।

(77)

श्री चन्दनमल वैद : अब समय 4-20 है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने ठीक समय चुना। आपका पाइंट बिल्कुल ठीक जगह गया। प्रश्न होल्ड अप करने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने समय नहीं दिया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि 5 बजे लिया जाएगा। मैंने कहा कि 5 बजे तो सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी तो आपने 4 बजे का कहा था।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है। आसन समय को आगे, बढ़ा सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप चेयर को गाइड नहीं कर सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। बाकी जिद्द में तो मोरारजी ने राज गंवाया, आपने भी गंवाया।

श्री अध्यक्ष : विरोधी पक्ष के कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी दल के नेता चतुर्वेदी हो गए क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी सारी शंकाओं का वह समाधान करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसे मैं दो भागों में देखने का प्रयास कर रहा हूं। माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जहां कुछ अचीवमेंट्स की चर्चा की है वहां उसका पक्ष शायद कुछ गौण समझा है। पहले भाग को शायद सत्ता में बैठे हुए माननीय सदस्य देखेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि वे अचीवमेंट्स केवल उस वर्ष के हैं जिस वर्ष में जनता पार्टी सत्ता में थी। प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न बिन्दुओं पर प्रत्येक प्रकार के अचीवमेंट्स की चर्चा माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में की है किन्तु यदि उसका दूसरा पत्र देखने की कोशिश करें। उसके दूसरे विषय को देखने की कोशिश करें तो शायद कुछ सूत्री प्रोग्राम को छोड़ कर किसी भी क्षेत्र में कोई दिशा दी हो ऐसा नहीं है। तो मुझे कहने में संकोच नहीं होगा कि यह भाषण दिशाहीन भाषण है।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि राष्ट्रपति शासन यहां कुछ महीनों के लिए रहा.....

श्री जय कृष्ण शर्मा : चतुर्वेदी का खुद का शासन दिशाहीन रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : राज्यपाल की बातों को तो सही मानते हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप ही के लोगों ने कहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ महीने राष्ट्रपति शासन यहां रहा और पिछले सवा महीने से शायद, पूरे दिन में गिन नहीं सकता, मुख्य मन्त्री जी सदन के नेता हैं। किन्तु आज राजस्थान के कोने-कोने में चले जायें सचिवालय के एक एक कमरे में घूम जायें फाइलों के अम्बार लगे हुए हैं। उन पर से धूल नहीं मिटी। कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। कुछ निर्णयों की चर्चा हुई है। अगर फुरसत नहीं मिली मुख्य

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मन्त्री को पूरे मंत्रिमंडल की घोषणा करने की तो लाजिमी इतना तो करते कि यहां रहें, चाहे दिल्ली रहें, यहां रहें या गेस्ट हाउस में रहे, मुझे कुछ कहना नहीं लेकिन सवा महीने में दिमाग तो चलता है, बुद्धि चलती है, विचार होता है, मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, उसमें विभिन्न विभागों के बारे में कुछ न कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते थे। आप इस भाषण की प्रति को पढ़ें। कुछ विषयों को छोड़कर किस डिपार्टमेंट को दिशा दी गई है? इसलिए राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा वह सरकार का डाक्युमेंट है, सवा महीने की दिशाहीन राजस्थान को कहां ले जाएगा?

मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के नेता महोदय से कि राजस्थान का विकास आपके हाथ में है, देर मत कीजिए मंत्रिमंडल बनाने में, जो है उनको पूरा काम दीजिए. केवल असेम्बली सवालों के उत्तर देने के लिए विभागों का वितरण मत कीजिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें क्या दिशा होती है। मैं केवल सेक्रेटेरियट की चर्चा नहीं करता, राजस्थान के कोने-कोने में घूम जाइए।

इस भाषण को राजनैतिक रूप से लच्छेदार रूप में कहने की कोशिश की गई है। आगे भी चर्चा करके बाद में भी चर्चा करके राजनैतिक रूप दिया गया है। जैसा मैंने निवेदन किया राज्यपाल महोदय का अभिभाषण न केवल दिशाहीन है अपितु कुछ संकेत करने वाला भी नहीं हैं। भगवान की कृपा हो गई इसलिए कोई सूखे की इन्टेंसिटी नहीं है किन्तु मुझे यह देख कर कष्ट हुआ कि अभिभाषण में सेना को धन्यवाद दिया गया है। कभी विपत्ति आ जाए, फ्लड्स आ जायं, कोई देवी प्रकोप हो जाए तो मेरी समझ में आता है कि सहयोग के लिये सेना खड़ी हो जाए। सेना का सहारा तब लिया जाता है जब फ्लड्स आ गया हो, सारी जमीन पानी से भर गई हो, देवी प्रकोप हो गया हो, बवंडर हो गया हो। राज्यपाल महोदय के भाषण में सेना को धन्यवाद दिया जाए कि चार जिलों में पानी सप्लाई करने में वह सहयोग कर रही है, अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही शर्म की बात है कि पीने के पानी के लिये सेना का सहयोग लिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि सेना का सहयोग क्यों लिया जा रहा है, राज्य सरकार क्या कर रही है, क्या कर रहें हैं राज्य सरकार के अधिकारी लोग? सेना का सहयोग लेने की पीने के पानी के लिये क्या आवश्यकता हुई?

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया?

श्री नाथूसिंह : इन्होंने जो किया वह आप करेंगे तो आप को भी ढाई साल में हटा दिया जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, विषाक्त पानी पीने से लोगों की मृत्यु हो गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह तो भगवान की कृपा समझो कि थोड़ा पानी बरसात के कारण आ गया और लोगों की जान बच गयीं वरना कई लोगों की जान जाती। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबर आई कि विषाक्त पानी से मृत्यु हो गई।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(व्यवधान)

मैं जवाब दूंगा । आप चिन्ता नहीं करें ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसका विश्लेषण यहां पर अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने आंकड़ों का जाल फैला कर करने की कोशिश की पर, अध्यक्ष महोदय, आप प्रत्येक दिन प्रातःकाल प्रत्येक अखबार में पढ़ेंगे, चोरी, डकैती, लूटमार की खबरें । लगातार यह वारदातें बढ़ रहीं हैं । आखिर यह वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, इसका कारण क्या हैं ? कौन है यह वारदात करने वाले ?

श्री सूरजपाल सिंह : जनता पार्टी वाले ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप को तो जनता पार्टी का फोबिया हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के इतिहास के गुप्तकाल को जनता याद करती है, मौर्य काल को लोग याद करते हैं लेकिन हमारे राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़ियाजी के काल को जनता सरकार बलात्कार कान्ड काल के रूप में याद करेगी । आज प्रतिदिन प्रत्येक समय यहां पर बलात्कार की घटनायें होती जा रही हैं । इसका कारण यह है कि उन लोगों को राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है । इसी कारण पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है यह मेरा आरोप है ।

(व्यवधान)

यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में मैं यह नहीं कहता कि कभी कोई बलात्कार के कान्ड नहीं हुए हो पर उनको रोकने के लिये प्रयास किये जाते थे । पर आज यहां पर रोकने के बजाय उन्हें राजनैतिक संरक्षण दिया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जनता पार्टी के ढाई साल के शासन काल के समय मैं हमारे जो मुख्य मन्त्री थे, आज जो विरोधी पक्ष के नेता हैं उन्होंने कभी भी किसी को भी राजनैतिक संरक्षण नहीं दिया । मैं यहां पर भरतपुर में जो मिथिलेश बलात्कार कान्ड हुआ उसकी विशेष रूप से कोई चर्चा नहीं करना चाहता पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजबहादुर जी बैठे हैं दो महीने हो गये उस कान्ड को हुए पर अभी तक कोई भी मुलजिम नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि उस काण्ड में जो लिप्त थे उनके लिये यहां से एक बड़े मिनिस्टर साहब का फोन गया था ।

(व्यवधान)

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीस सालों में, कांग्रेस शासन काल में राजनैतिक संरक्षण मिलने के कारण लगातार इस प्रकार के कान्ड होते रहे हैं । स्थिति तो यहां तक है कि कोई जुर्म होता है तो उसके लिये कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है । लेकिन खेद है कि ऐसी वारदातों का इस अभिभाषण में कोई प्रकार का जिक्र तक नहीं है ।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने केन्द्रीय सरकार से जितना पैसा हमारे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान की जनता के लिये प्राप्त किया उतना पहले कभी किसी भी मुख्य मन्त्री ने प्राप्त नहीं किया। इतना ही नहीं हमारे राजस्थान के विकास की योजनाओं के लिये जो 380 करोड़ रुपये की प्राथमिकता थी अब जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद 325 करोड़ रुपये की ही प्राप्ति का अनुमोदन किया गया है। मतलब 20 प्रतिशत की कमी हो गई। मूल्य वृद्धि के कारण यह किया गया है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

राज्य की 325 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना 1980-81 का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा किया गया है। राज्य के ससाधनों पर पुनर्विचार कर योजना के आकार में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा। अब इसके लिये आपकी सरकार को भी कर भार लगाना पड़ेगा।

इसलिये यह बजट जो है वह एक दिशाहीन बजट है In seems to be negative

मैं यहां पर, अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस के तीस सालों के राज्य में अन्तिम सालों में जाकर कहीं किसानों को सिर्फ राजस्थान के 6 जिलों में सब्सिडी दी गयी, वह भी सीमान्त कृषकों और लघु कृषकों को। लेकिन जब जनता पार्टी का राज्य आया तो राजस्थान के सभी 26 जिलों के सभी सीमान्त और लघु कृषकों को 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी गयी।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सवाल राजस्थान के विकास का है विकास की स्थिति तो यह है कि कांग्रेस के शासन काल में विकास का चक्का ही जाम हो गया था। जब राजस्थान में जनता पार्टी का राज्य आया तो पिछले ढाई साल में राजस्थान के विकास के चक्के को गति मिली। इस बात का पता इस प्रकार लग सकता है कि सन् 1977-78 से लेकर 1979-80 के बीच में सिचाई वृहत योजनाओं के अन्तर्गत 2 लाख 46 हजार हैक्टेयर जमीन क्षेत्र पर सिचाई की गयी। अकेले चम्बल के क्षेत्र में 38 हजार हेक्टयर जमीन में सिचाई की गई। सन् 1978 में 3 लाख 98 हजार एकड़ जमीन में सिचाई की गई। इसी प्रकार सन् 1979-80 में 5 लाख 2 हजार एकड़ जमीन में सिचाई की गयी। इसके विपरीत आपके राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आप देखेंगे, उसमें लिखा है कि सिर्फ 60 हजार हैक्टयर जमीन ही अधिक सिंचित हो सकेगी। बाहर से आकर राज्य करने वालों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज्य में इस साल 94 हजार हैक्टेयर अधिक जमीन पर सिचाई करने की योजना थी उसके बजाय आपने 60 हजार हैक्टेयर पर सिचाई करने की योजना बनायी है। आपके कांग्रेस शासन काल की प्रगति ....

श्री सूरजपाल सिंह : इतना विकास आपने किया तो फिर आप इधर कैसे पहुंचे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने गलत आंकड़े दिये होंगे। हमने तो सही आंकड़े दिये हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सरकारी कागजों में आप आंकड़े देख लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सब देख लेंगे। सारी पोल खुल जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं बिजली के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। पिछले तीस सालों में कांग्रेस का राज्य था उसमें सिर्फ 8518 गांवों में विद्युतीकरण हुआ था। विद्युतीकरण के बारे में पहले भी सदन में कई बार चर्चा हुई है। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी के शासन काल में जो काम हुआ वह कांग्रेस के पिछले तीस सालों में नहीं हुआ।

(व्यवधान)

1976-77 तक 8518 गांव विद्युतीकृत थे और हमने 5 हजार 324 गांवों को विद्युतीकृत किया . . .

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भूल गए 5 हजार नहीं 7 हजार थे।

श्री सूरजपालसिंह : आप तो बतायें कि 33 के.वी. स्टेशन कितने बनाये? आपने खम्बे गाड़ दिये जिनके उपर इन्सूलेटर नहीं, तार नहीं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कागजों के ऊपर विद्युतीकरण हो गया। एक्चुअल में कहीं भी विद्युतीकरण नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोसिंह शेखावत : मुझे आपत्ति नहीं होगी इस तरह से इन्ट्रप्ट करने में।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया वाद-विवाद में बाधा उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

बिराजें। आर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुओं की चर्चा करना चाहता हूं। जिस कुए पर बिजली पहुंची और किसानों के सूखे खेत को पानी मिलता है ऐसे हमें 108080 विरासत में मिले थे। कितने से कुओं को बिजली दी तीस सालों में कांग्रेस के राज में और अंग्रेजों के राज में। 1977-78 में 20,987 कुए, 1978-79 में 27027 कुए और 1979-80 में बाद के एक महीने में हम नहीं थे तब भी 22,000 तक पहुंच गये। और लक्ष्य हमारा था 30 हजार का। कुल मिला कर 70117 कुएं हैं जिनको बिजली दी गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह केवल राजनैतिक दृष्टि से नहीं है। मैं जनरेशन की भी चर्चा करूंगा जो कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने की लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान हमारा पिछड़ा नहीं है। मैं बिजली उप मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पिछड़ेपन को दूर करना है तो कोई लक्ष्य रख कर चलना पड़ेगा जिससे हम राजस्थान का पूर्ण विद्युतीकरण कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : जैसा आपने रखा था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट की चर्चा की। मुझे याद है, बिजली मंत्री के नाते मैं रहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद इस प्रकार की चर्चा पहले चल रही थी कि राजस्थान थर्मल पावर प्रोजेक्ट को वहां से हटाया जाये। प्रयास हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी ऐसी योजना थी कि 1981 के मार्च महीने में 110 मेगावाट का प्रथम यूनिट पूरा हो जाये, सितम्बर में 110

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मेगावाट का दूसरा यूनिट पूरा हो जाये लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि यह काम होगा अब 1981 और 1983 में। पांच महीने में आपने यह हालत कर दी राष्ट्रपति शासन सवा महीने रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की कमी की चर्चा आप करते हैं। आज चर्चा की जा रही है, मैं जानता हूं कि मारवाड़ के क्षेत्र में बिजली बहुत दूर है। जनता पार्टी सरकार ने वहां पर लिग्नाइट प्लान्ट लगाने का प्रयत्न किया था लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक भी शब्द इसके बारे में नहीं लिखा है। लिखा इसलिए नहीं है कि कोई बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है। विचार है तो मानसिक स्थिति नहीं बनी है उस नाते से कहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज अपील करना चाहता हूं कि क्षमा करके समयबद्ध कार्यक्रम रखिये। ऐसा मत कीजिए कि प्रोजेक्ट लेट हो जाये। बिजली की बड़ी कीमत है, सिंचाई की बड़ी कीमत है। मैं सिंचाई का जिक्र करना चाहता हूं। यहां सिंचाई की चर्चा की गयी...

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि दिल थाम कर बैठना जब भैरोंसिंह जी बोलें। अभी तो केवल हमारे छटंकी पहलवान ही बोल रहे हैं। जब भैरोंसिंहजी बोलेंगे तो मुझे डर है कि खेतसिंह जी को दिल का दौरा पड़ने लगेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अणुशक्ति की दूसरी इकाई की चर्चा की गयी। वह इस साल लग जानी चाहिए थी शिड्यूल के अनुसार किन्तु इसमें वर्णन है.....

श्री छोगाराम बाकोलिया : पहले क्यों नहीं? कनेक्टेड लोड बहुत बढ़ा दिया था और जनरेशन नहीं बढ़ाया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जनता पार्टी की सरकार ने 10 करोड़ का प्रावधान किया था और अब की सरकार ने विचार ही नहीं किया है। सैकिण्ड यूनिट की कोई चर्चा नहीं की गयी है। विद्युत वितरण के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं यह स्पष्ट ही कोई दिशा नहीं देता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में वर्णन करते हुए राज्यपाल महोदय ने प्राइमरी एजूकेशन को सार्वजनिक शिक्षा बनाना चाहा है और इस पर जोर दिया है। यह शब्द बहुत अच्छे हैं। Primary education is a must. इतनी सी बात कहने से क्या काम चलेगा। उसके लिए कौन से कदम हैं यह आपको बताना चाहिए। जुलाई मास आ गया है और स्कूल खुलने के दिन आ गये हैं। तो क्या अगस्त सितम्बर या अक्टूबर में होगा यह सब विचार करने का मसला है। एक-एक व्यक्ति के पास हम प्राइमरी शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमें लक्ष्य रखने की आवश्यकता है। उसका विचार नहीं किया गया। उसकी जरूरत नहीं समझी। जनता पार्टी के राज्य में इस प्रकार का प्रयास हुआ था और साढ़े सतरह हजार गांवों में प्राइमरी स्कूल चलते थे।

श्री दुलाराम : आपकी जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा का इतना बेड़ा गर्क किया था.........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 17500 गांवों में प्राइमरी स्कूल थे किन्तु दूसरी ओर 2½ साल के समय में 3 हजार प्राइमरी स्कूल जनता पार्टी की सरकार ने अपने राज्य में खोले.............

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : अध्यापक कितने लगाये थे ?.... ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । आपस में बात नहीं करें ताकि डिबेट अच्छी तरह से आगे बढ़ सके ।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह जी की इमेज क्यों खराब कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : × × × मत बोलिये ।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द एक्सपंज किया जाये ।

श्री दुलाराम : शब्द असंसदीय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अपने आप में नहीं है । जिस संदर्भ में कहा गया है ।

श्री अहमद बक्श सिंधी : × × × बोलने का लाइसेंस है इनके पास ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन के नेता महोदय से कि राजस्थान के बच्चों का विचार करे । राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 1981 में राजस्थान में जो कुछ एजूकेशन का विकास हो इसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो कि कौन-कौन से स्कूल खुलेंगे, मापदण्ड तय किये जायें । प्राइमरी स्कूलों, सैकण्डरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों के बारे में विचार करें । हमें 4960 मिडिल स्कूल मिले थे जिसको हमने बढ़ाकर 5660 कर दिया । जहां 30 साल में 900 सैकण्डरी स्कूल खोले गये वहां हमने 2½ साल में 700 स्कूल खोले ।

श्री शिवचरण माथुर : यह बिलकुल XXX है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस अभिभाषण में टैक्निकल इन्स्टीट्यूशन खोलने की जरूर चर्चा है । सच बात है रीजनल कालेज की बहुत बड़ी आवश्यकता है । राजस्थान में केवल 244 विद्यार्थी इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश कर पाते हैं....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाये ।

कई माननीय सदस्य : 6 बजे तक ।

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया है ।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री अध्यक्ष : पहले जो सरकार के वक्तव्य देने के बारे में विवाद खड़ा हुआ था, इस पर अध्यक्ष की व्यवस्था इस प्रकार की है —

कुछ समय के पश्चात, जयपुर में जो हड़ताल चल रही है उसके सम्बन्ध में एक छोटा सा स्टेटमेंट सरकार की ओर से दिया जायेगा और उस पर पूरा स्टेटमेंट कल होगा। सरकार की तरफ से आज जो स्टेटमेंट होगा उस पर प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप क्षमा करें, अगर हाउस की सावरनिटी को कायम रखना है तो टेप रिकार्डर को सुनवा दीजिये। मुझे सुनने में आया था कि आपने चार बजे के लिए कहा हैं। कोई दिक्कत नहीं आप सेक्रेटरी को कह दीजिये, टेपरिकार्डर सुना दे।

श्री अध्यक्ष : आपके समझने में भूल रही है, जो है वह सुन लीजिये।

माननीय चतुर्वेदी जी अपना वक्तव्य समाप्त कर लें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

क्या सदन की राय है कि सदन की कार्यवाही का समय दो घण्टे और बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां पक्ष को आपने हां कहने का मौका नहीं दिया, ना पक्ष को ना कहने का मौका नहीं दिया। आपने फैसला दे दिया। रूल आफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है वह प्रोसीजर हाउस में फोलो करना पड़ेगा चाहे चेयर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विरोधी दल के माननीय नेता है। यह तय हुआ था कि 16 घण्टे की डिबेट होगी। जीरो आवर अगर ज्यादा चले या और कोई ऐसा प्रश्न आ जाये तो अपने को ज्यादा बैठना पड़ेगा। उसमें यह तय किया गया था कि हमेशा राज्यपाल के अभिभाषण पर चार घण्टे अवश्य दिये जायेंगे। 5 बजे मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे। 2½ घण्टे बाद डिबेट शुरू की गई है इसलिए 7 बजे तक का समय बढ़ाना चाहिये। ऐसा एतराज आप मत कीजिये। इस प्रकार की नाराजगी उचित नहीं लगती। आपके वक्त में 11 बजे तक हम लोग बैठे हैं....

एक माननीय सदस्य : एक बजे रात तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नर एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए नहीं बैठेंगे।

श्री राजबहादुर : मैं आपसे केवल इतनी विनती करना चाहता हूं। आपने जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा चलाई थी, मुझे याद है आपने खुद 11 से 5 बजे तक कहा था....

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह कभी नहीं कहा। मैं वहां मौजूद था।

श्री राजबहादुर : महोदय, आपने कहा था 11 से 5 बजे तक का समय होगा। एक घण्टा ज्यादा लगा तो 6 बजे तक कर दें। जिस प्रकार से वोटिंग हुआ, वह ठीक नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा यह निवेदन है कि अगर 6 बजे तक पाबन्दी करते हैं तो जैसा तय हुआ था भारतीय जनता पार्टी को 2 घण्टे, और दूसरी पार्टियों को 20 मिनट हमारी पार्टी को 11 घण्टे मिलेंगे। उसकी पूरी पाबन्दी रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय का वितरण भी ठीक प्रकार से नहीं हुआ। समय ज्यादा मिले इस प्रकार का प्रयत्न करें।

श्री अध्यक्ष : आप सहयोग करें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कई तरह की बातें होती हैं उनको सदन में रखना आपने यह कहा था, ठीक नहीं।

श्री राजबहादुर : मैं अनक्वालिफाइड विथड्रा करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे भी अनक्वालिफाइड विथड्रा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो बात हुई है, सामने हुई है। मैं किस बात के लिए विथड्रा करूं। जो निर्णय लिये गये थे आपके सामने रखें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : ये चीफ व्हिप जी बहुत जिद्दी है।

श्री अध्यक्ष : इसके मायने यह हुए कि माननीय चतुर्वेदी का भाषण अधूरा रहेगा अच्छा यह होगा आप अपना भाषण पूरा कर दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप समय बढ़ा दीजिये, पांच बज रहे हैं, समय बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हां, ना करके बढ़ाया है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था केवल 200 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया है जब कि 218 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हायर सैकण्डरी पास करते हैं। 400 ऐसे छात्र हैं जो 80-85 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं और जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। आप दूसरे प्रदेशों को देखें। मध्यप्रदेश में 10, कर्नाटक में 15, तमिलनाड में 10, पंजाब में 5।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। हाउस से डेकोरम मेन्टेन नहीं करें और सदन में नारायण, नारायण शब्द का प्रयोग करें।

(व्यवधान)

इनको जरा समझाइये, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सदन सर्वोपरि रहा है, राजस्थान के सदन की मिसाल है इस प्रकार नारायण -नारायण शब्द हाउस में बोला जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन में नारायण नारायण नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

कृपया भाषण देने दीजिये।

86

एक माननीय सदस्य : नारायण नारायण कहना है तो हिमालय में जाएं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जाय।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो भाषण हो रहा है, कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में व्यवधान उपस्थित न करें। इससे व्यर्थ में सदन का समय जाता है।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : : नारायण तो ईश्वर का नाम है और नारायण का नाम लिया जा सकता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : आसन की व्यवस्था को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। आसन ने व्यवस्था दी है। अगर चैलेन्ज करते हैं तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा, माननीय दुला राम जी को हिमालय में भेज दें, वहां ये नारायण-नारायण करते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

नारायण का नाम लेना हो तो समय पर ले लीजिये ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार सदन में पांच रुपये का नोट निकाल कर।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पांच रुपये की रिश्वत देना चाहते थे ... ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो। × × ×

श्री नाथूसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री नाथूसिंह : कोई भी माननीय सदस्य बोल रहा हो तो।

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : कोई भी माननीय सदस्य भाषण दे रहा हो तो बीच में कोई दूसरा माननीय सदस्य तब तक व्यवधान नहीं कर सकता है जब तक कि वह अपना भाषण समाप्त न कर ले। नारायण शब्द कहना असंसदीय नहीं है लेकिन उनकी जो इन्टेंशन है, वह इन्टेंशन खराब है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लोगों ने राज्य करने के लिये चुना है, अगर आपको नारायण नारायण ही करना है तो यहां से चले जाइये और हिमालय पर जाकर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : x x x

---

xxx अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुखलाल सैणवा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है गांवों में जब ज्यादा झूठ बोलते हैं तो बूढ़ा आदमी पास में बैठा बैठा कहता है —नारायण-नारायण ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठ जावें । आप कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : नारायण नारायण करने वाले सब को आप मंदिर में भेज दीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बता रहा था कि माननीय सदस्यों को अधिकार है, जब उनका अवसर आए तब वे अपनी बात को साबित कर दें । हम अगर गलत हों तो हमें गलत साबित कर दें या मैं उन्हें गलत साबित कर दूंगा····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस नाते से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में 15 कर्नाटक, तमिलनाड में 10, महाराष्ट्र में 10, पंजाब में 5 कालेज हैं । इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में हैं और उन प्रदेशों में दो लाख पर एक इंजीनियरिंग कालेज है जबकि राजस्थान में 11 लाख पर एक इंजीनियरिंग कालेज है । तत्कालीन सरकार ने इस पर विचार किया था । उस समय यह सोचा गया था कि कोटा ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोला जावे । मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से इसमें कोई वर्णन नहीं किया गया है । इंजीनियरिंग कालेज के लिए कोटा नगर उपयुक्त स्थान है । बड़ा साइंटिफिक स्थान है । इस बात के लिए प्रयास किया जाय और जैसा मैंने निवेदन किया कि पहले की कमेटी का जो निर्णय था उसको पूरा करने की कोशिश करें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय बजट में आपने देखा होगा कि शिवपुरी, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, से रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा है । सर्वे चालू है । मैं समझता हूं कि पिछले ढाई सालों में जो हवा रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री केन्द्र से सलाह मशविरा करके, कभी कभी रोष में तो कभी कभी स्नेह से, वहां से धनराशि लाते रहे और राजस्थान के विकास में लगाते रहे । जब शिवपुरी तक रेल्वे की लाइन आ रही है तो बारां, जो बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लिए प्रयास किया जाय । बारां से शिवपुरी, जो बहुत छोटा स्थान है, अगर सर्वे होता है तो केन्द्र पर दबाव डाला जाय कि उसको भी इसमें लिया जाय ।

शाहबाद बनवासी तहसील है । मुझे फिर कहना पड़ता है कि किशनगंज-शाहबाद दो तहसीलें हैं जहां सहरिये, वनवासी लोग रहते हैं । पिछले तीस सालों में 425 गांवों में से एक गांव में बिजली पहुंची । कैसा विकास वनवासियों का हमने किया कि 425

(88)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गांवों में से एक गांव में बिजली पहुंची। हमने इतने से समय में 80 गांवों में बिजली पहुंचा दी। इसलिए अगर बारां से शिवपुरी तक...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : केन्द्र से आग्रह करके रेलवे लाइन का व्यापक सर्वे कराया जाय तो पता चलेगा कि वनवासी इलाका, वह जंगल का इलाका है। जंगल में सब प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, वनवासियों को और जनता को ऊपर उठाया जा सकता है। जनजाति के लोगों के जीवन को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि केन्द्र में सरकार जब बनी थी तो सड़क कांग्रेस का एक अधिवेशन यहां पर हुआ था जिसमें केन्द्रीय परिवहन मंत्री पधारे थे। उस समय हमारे यहां के मुख्य मंत्री और आज विरोधी दल के नेता श्री भैरोंसिंह जी शेखावत उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अपनी कुशलता से तरीके से, अध्यक्षीय भाषण में इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी राजस्थान के लिए वह बहुत फायदेमन्द साबित हुई। उस समय केन्द्रीय परिवहन मंत्री ने घोषणा कर दी कि जयपुर से भोपाल तक की जो सड़क है उसको राज मार्ग बनाऊंगा। लेकिन बड़े आश्चर्य का विषय है कि छः सात आठ महीने हो गए, मुख्य मंत्री महोदय यहां पर नहीं हैं, और दूसरे मंत्री बिराजे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर वे आग्रहपूर्वक दबाव डालें कि जो घोषणा केन्द्रीय परिवहन मंत्री यहां पर करके गए थे, उसको पूरा करायें। हजारों ट्रक चलते हैं सिंगल लाईन पर, हालत बहुत खराब है। डेढ़ सौ मील यहां से कोटा जाने के लिए झालावाड़ जाने के लिए चार घण्टे की जगह छः छः, सात सात घण्टे लगते हैं बरसात में केन्द्रीय मंत्री इस प्रकार की घोषणा करके गए, घोषणा करने के बाद उसका पालन नहीं करें तो माननीय मुख्यमंत्री उस घोषणा का पालन कराने के लिए प्रयास करके जोर लगायें। शायद इसकी भी चर्चा करके मेरे मन की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई।

राजनैतिक चर्चा मैं नहीं करना चाहता था। वोटों के विभाजन से यह हो गया। कैसे हो गया? चाहे फूट के कारण से हो, चाहे वोटों के विभाजन के कारण हो लेकिन जो हो गया उस पर इतने गर्वित नहीं हों, इतना अहंकार नहीं होना चाहिये, यह तो मौके की बात है। तीस सालों में यह समझते थे कि हमें कोई नहीं बदल सकता है। तीन सालों तक अहंकार से बैठे हुए थे और यह समझते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक के बाद एक, नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनाने की सारी प्रक्रिया थी। जनता में बहुत ताकत है। जनता में वह ताकत है कि हम लड़े तो हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ा और दूसरे वोटों का विभाजन हुआ और यह स्थिति बनी। इसलिए ज्यादा अहंकार करने की बात नहीं है।

अन्त में एक बात कह कर समाप्त करता हूं। इस अभिभाषण में कई जगह संजय गांधी का नाम लिया गया है। आज संजय गांधी हमारे बीच में नहीं है, हम सब ने मिल कर श्रद्धांजलि भी दी है। उन्हीं

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के शब्दों को इसमें प्रकट किया गया है कि बातें कम और काम ज्यादा करें। किन्तु एक दफा राजस्थान के अन्दर जब वे भाषण करने के लिए आए तो जयपुर में, शायद राजस्थान कांग्रेस के मंत्री इस बात को जानते होंगे, उनकी जो इच्छा थी, जो उनका अनकांशस माइण्ड था, उनमें उनके मुंह से निकल गया कि बातें ज्यादा काम कम। और सब लोग इस पर हंस पड़े थे। इसलिए कांग्रेस के शासन को सवा महीना हो गया और बातें ही बातें हो रही हैं, किया कुछ नहीं जा रहा है। प्रशासन ठप्प पड़ा हुआ है, फाईलों के ढेर पड़े हैं, सारे लोग सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं, विकास के कार्य रुके पड़े हैं, और सिंचाई के बारे में तो मैं आरोप लगा रहा हूं कि पिछले पांच छ: महीनों से तो सारे सिंचाई के कार्य ठप्प पड़े हैं। लघु सिंचाई के किसी प्रकार के कांम नहीं हो रहे हैं। राजस्थान केनाल पर सीमेंट एक स्थान पर पड़ी हुई है और दूसरे स्थान पर सीमेंट नहीं जा रही है तो वहां पर काम नहीं हो रहा है। लघु सिंचाई .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें कि इस प्रकार से बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता था। मैं अब अधिक समय नहीं लेते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम विकास के कार्यों में आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। अन्त में इतना ही निवेदन करते हुए कि जैसा मैंने शुरु में निवेदन किया कि धन्यवाद प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया और दूसरे माननीय सदस्य ने जिसका समर्थन किया है, मैं घोर विरोध करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से वक्तव्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सरकार ही नहीं है, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आश्वासन दिया गया था कि माननीय मुख्य मन्त्री इस पोइन्ट पर कुछ कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से वक्तव्य देने की बात थी, मुख्य मन्त्री की ओर से नहीं था।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में 11 जून, 80 से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल का नोटिस 3 तारीख को दिया गया था और 11 तारीख से हड़ताल प्रारंभ हुई। इसके पहले 5-4-80 को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था और उसमें 9 मांगे उठाई गई थीं। उसके बाद 18-5-80 को एक लिखित समझौता सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच में हुआ था। उसमें यह भी निश्चत किया गया था कि आगामी छ: महीनों तक कोई हड़ताल नहीं होगी। किन्तु इसके विपरीत जैसे ही विधान

(९०)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

सभा के चुनावों के परिणाम सामने आये वैसे ही जो समझौता किया गया था और जिस समझौते में यह भी कहा गया था कि 6 महीने तक हड़ताल नहीं होगी उसका उल्लंघन करते हुए एक हड़ताल का नोटिस दिया गया। नियमानुकूल हड़ताल का नोटिस 14 दिन का होना चाहिए था किन्तु शायद वह भी उन्होंने 3 तारीख को नोटिस दिया और 11 तारीख से हड़ताल चालू कर दी। पूर्व में 9 मांगे थी और अब 11 मांगें उनकी ओर से रखी गई हैं। मुझे लगता है कि हड़ताल के लिए जो मांगे रखी गई हैं उसके पीछे कुछ ऐसी भावनाएं हैं, जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति मैं बाद में करूंगा। पहले मैं जो 11 मांगे रखी हैं, वह सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और उनके सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है वह सदन के सामने रखना चाहूंगा।

पहली मांग जो उनकी थी कर्मचारियों को स्थाई करने की बात थी। इसके अलावा 1-9-66 से राणावत वेतन शृंखला के पेटे जो जो धनराशि बकाया थी वह दी जाय। दूसरी मांग यह थी कि अनाज की अग्रिम राशि सभी कर्मचारियों को दी जाय। तीसरी मांग थी की न्यू गेंग में लगे हुए कर्मचारियों को स्थाई करना और साथ ही साथ मलेरिया की गेंग को स्थाई करना। इसके अलावा डेली वेजेज के कर्मचारी जिनको काम पर लगाया गया, को हमेशा के लिये काम पर रखना, तीन वर्ष की बकाया वर्दी सभी को दिलाई जाय, ग्रेच्यूइटी पेंशन लागू की जाय, सीवरेज कार्य के लिये फावड़े हाथगाड़ी आदि दिये जायं और सीवरेज के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स व आधुनिक उपकरण दिलाये जाय। 17 वर्ष से बकाया ग्रेड इन्क्रीमेंट का भुगतान हो, वैक्सीनेशन के कर्मचारियों को साफा व वर्दी दी जाय, हड़ताल पीरियड में अनुपस्थित हड़ताली कर्मचारियों को हाजिर माना जाय। 3 तारीख, जबसे हड़ताल का नोटिस मिला, से प्रशासक नगर परिषद् के साथ उनकी कुछ वार्ताएं हुई और वे वार्ताएं 4, 5, 6, 8 व 9 तारीख को चली। उसके बाद नियमानुकूल श्रम विभाग की ओर से समझौते की दृष्टि से कर्मचारियों को सूचना दी गई कि साथ बैठकर समझौता किया जाय किन्तु कर्मचारी श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद 13-6-80 को फिर श्रम विभाग के अधिकारी और ये लोग आपस में बैठे ताकि कोई रास्ता निकालने की बात सूझे, यह हुआ। उसके बाद फिर से मिलने का निर्णय हुआ किन्तु उसके बाद मिलना नहीं हुआ। जैसे जैसे समय निकलता गया, प्रयत्न किये जाते रहे शासन की ओर से कि हरिजनों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान न केवल प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाय, बल्कि समस्या को भावनात्मक दृष्टिकोण से भी देखा जाय, यह दृष्टिकोण प्रशासन का रहा। कई हड़ताली भाईयों के साथ बैठ कर बात करने का प्रयत्न किया गया। जयपुर के नव-निर्वाचित विधान सभा सदस्यों को भी इसमें डाला गया और सभी बातों को करने का प्रयत्न किया गया। मैं सदन के समक्ष बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि करीब करीब सभी मांगों पर पारस्परिक सहानुभूति से वार्ता हुई किन्तु

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

जैसा मैंने कहा कि हड़ताल का उद्देश्य कुछ और था एवं कुछ और है। यही कारण है कि कुछ बातों से हमेशा कुछ बात अड़ती रही है। मूल प्रश्न तो दो ही थे। एक तो यह था कि जयपुर नगर के सफाई अभियान के दौरान करीब 350 कर्मचारी रखे गये थे जिनकी नियुक्ति केवल सफाई अभियान की दृष्टि से की गई लेकिन यूनियन ने मांग की कि इनको स्थाई किया जाय। सफाई अभियान न केवल जयपुर में चलता है बल्कि यह राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों में चलता है। अब सफाई अभियान के दौरान कुछ कर्मचारियों को रखा जाता है और ज्यों ही अभियान समाप्त होता है उनको हटा दिया जाता है। यही वर्षों से निरन्तर हो रहा है। किन्तु इस मांग पर भी हमने कहा कि आपकी जो मांग है, हम जयपुर की स्थिति को देखते हैं, सफाई की स्थिति को देखते हैं, आवश्यकता को देखते हैं, जनसंख्या को देखते हैं हम कोई रास्ता निकाल सके तो निकाल देंगे मगर उसके लिये कुछ तो समय चाहिये, कम से कम 15 दिन तो दिये जायं। यानि उनको काम पर लाने की हर ओर से कोशिश की गई। उन्होंने आज जो फैसला मुझ पर छोड़ा था कि हमको मान्य होगा किन्तु जैसा कि मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा उनकी एक और भी मांग यह थी कि हड़ताल के दौरान करीब एक सौ कर्मचारियों को जो नियुक्ति दी गई है उनको पृथक किया जाय यानि काम पर नहीं रखा जाय। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के कल्याण की बात सोची जा सकती है भलाई की बात सोची जा सकती है। परन्तु यदि कोई ऐसा कर्मचारी संगठन हरिजनों को निकालने की बात करता है तो समझ में नहीं आता। एक ओर तो सफाई अभियान में रखे गये कर्मचारियों को रखने की मांग की जाती है और दूसरी ओर अलग रखने की बात की जाती है इसकी पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? यह सदन सोच सकता है। हमने कहा कि यह तो मुमकिन नहीं। जिन्होंने हड़ताल के दौरान काम किया है उनको निकालने की बात किसी भी दृष्टि से प्रशासनिक ही नहीं मानवीय दृष्टि से भी नहीं की जा सकती। मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि साहब नहीं निकालते हैं तो एक काम किया जाय कि जो 350 कर्मचारी सफाई अभियान के दौरान रखे गये हैं उनको हड़ताल का भी पैसा दिया जाय। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं, उनके इस वेतन की मांग समझ में न आने वाली बात है। तो मैंने सदन के सामने जो प्रशासनिक स्थिति है वह स्पष्ट कर दी है। उनकी मांग हमारा मतभेद नहीं है। सरकार की ओर से जो राणावत वेतन आयोग का सवाल है, वर्दियों को देने की सुविधा के लिये तैयार है। अण्डर ग्राउण्ड कर्मचारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिये उसके लिये तैयार हैं बल्कि उनकी कंपलसरी इंश्योरेंस की जाय, जो उनकी मांग में पाइन्ट नहीं थी, जिसके 12 रुपये साल के लगते हैं, वह काम करने वाले कर्मचारियों की म्युनिसिपैलिटी की ओर से की जाय यह बात भी सरकार ने मानी। इसके बाद अनाज अग्रिम देने का प्रश्न था वह भी प्रशासन को देने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक तरह से करीब करीब उनकी सभी मांगे मंजूर कर लीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थिति बहुत संक्षेप में आपके समक्ष रखी। मैं अब भी सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कोई बदले की भावना से काम करना नहीं चाहती है और न बदले की भावना से काम करेगी

92

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

क्योंकि हरिजनों का जो प्रश्न है यह और किसी वर्ग का नहीं उस वर्ग का है जो वर्ग आज सदियों से पिछड़ा हुआ है। जहां तक कांग्रेस आई के सिद्धान्तों का प्रश्न है उनके कल्याण की दृष्टि से जो कुछ कदम उठाये जा सकते हैं वे उठायेंगे। किन्तु साथ ही प्रशासन का भी उत्तरदायित्व होता है उससे मुकर नहीं सकते। वे 350 कर्मचारी, जिनको 15 दिन तक रखा, हड़ताल के दिनों का वेतन का प्रश्न और दूसरा मैंने कहा जिन कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों में रखा उनको निकालने का प्रश्न, ये दो मूल प्रश्न हैं जिन पर सारी बात रुकी हुई है। तो सदन के माननीय सदस्यों को मूल प्रश्न निवेदन किये हैं, मतभेद आपके सामने रखे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समझौता अप्रेल में हुआ था और जिस समझौते में 6 महीने में हड़ताल न करने की निश्चित रूप से गारन्टी दी गई, क्या कारण हो गया कि उस समझौते को तोड़ने की आवश्यकता उनके समक्ष उपस्थित हो गई। मैं मान कर चलता हूं कि विधान सभा के चुनाव के परिणाम सामने आये, देश का राजनैतिक नक्शा बदला तो कुछ तत्व हरिजनों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे कांग्रेस आई का जो संगठन है और जिस सरकार का एक हरिजन मुख्य मंत्री हो उसको बदनाम करने की कोशिश जयपुर में की जा रही है।

(व्यवधान)

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। जो मैंने बिन्दु रखे हैं वे आपके समक्ष हैं। ये जो आज विरोधी दल में बैठे हुए लोग हैं वे भी मना कर चले गये, यह अनुशासन रखा तीन साल तक। यदि निष्पक्ष रूप से, राजनैतिक दुर्भावना से रहित होकर जो मैंने निवेदन किया है उस पर विचार करेंगे तो आप सरकार से सहमत होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो आप लोगों से सभी साथियों से इस सदन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो हड़ताल जयपुर की समस्या बनी हुई है वह हरिजनों की समस्या नहीं है वह निश्चित रूप से ऐसी समस्या बना दी गई है और उन लोगों के द्वारा उलझा दी गई है जिनका काम जयपुर के अन्दर वातावरण को दूषित करना है। यह मुझे आपसे निवेदन करना है। संक्षेप में मैंने निवेदन कर दिया है। इस सम्बन्ध में और कोई जानकारी करना चाहे तो कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर लें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। आप कतई नहीं पूछ सकते ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय ने कहा कि हरिजन मुख्य मंत्री हैं, तो आप हरिजनों की समस्या क्यों नहीं सुलझाते ?

धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद, श्री सी. पी. जोशी

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राजस्थान की जनता को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने इस चुनाव में बड़े भारी बहुमत से

(श्री सी. पी. जोशी)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विजयी बनाया। यह गौरव की बात है कि आजादी के बाद हमारे देश में युवकों को राजनीति में उचित स्थान मिला है। मैं उस नेता का शुक्रगुजार हूं जिसने यह मौका हम युवकों को दिखाया।

श्रीमान, मैं आपका ध्यान ढ़ाई साल के शासन काल की ओर दिलाना चाहता हूं, उस तथाकथित जनता पार्टी के शासन काल की ओर, जिसके बारे में मेरी मान्यता है कि यह जेबी संस्था है. ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसने ढ़ाई साल हमारे देश का शासन संभाला, जिस रूप में इसने काम किया वह मैं बताना चाहता हूं। यह कहा गया प्रधान मंत्री द्वारा कि भय मुक्त वातावरण होगा इस भय मुक्त वातावरण में राजस्थान में सामन्तशाही और साम्प्रदायिक शक्तियों में वृद्धि हुई। माननीय भैंरोंसिंह जी के मुख्य मंत्रित्व काल में जो घटनाएं हुई हैं। उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भीलवाड़ा नगर के अन्दर एक प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री परमानन्द त्रिपाठी पर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री दाऊदयाल जोशी : नाथद्वारा में बलात्कार हुआ है उसका सम्बन्ध कांग्रेस से है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : राजस्थान के मुख्य मंत्री, राजस्थान के सामन्तशाही और साम्प्रदायिक मुख्य मंत्री श्री भैंरोंसिंह शेखावत के राज्य में भयमुक्त वातावरण आया, उसका सीधा उदाहरण मैं यहां पर देना चाहता हूं। भीलवाड़ा के प्रसिद्ध नेता श्री परमानन्द त्रिपाठी पर महज इसलिए आक्रमण किया गया वहां पर भयमुक्त वातावरण था और एक पर्टीक्यूलर विचारधारा को वे नहीं मानते थे। जिस तरह राजस्थान में साम्प्रदायिक और सामन्तशाही शक्तियों के सहारे इन्होंने एक विशेष विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया। यह मैंने केवल मात्र एक उदाहरण दिया है।

शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो ऐसे कई उदाहरण हैं। संकीर्ण विचारधारा को फैलाया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और विश्वविद्यालय के अन्दर जिस तरह से नामीनेशन किया गया उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने इसका दुरुपयोग किया है। उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर वे एक सिन्डीकेट के मेम्बर बने। यह तत्कालीन जनता पार्टी का ढ़ाई साल का शासन काल था।

श्रीमान्, मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह कहा गया कि मानवता को वोट दो। 90 लाख की हल्दी घाटी की योजना थी। उस योजना को ढ़ाई साल के जनता शासन काल में क्रियान्वित नहीं किया गया। यह मानवता का नारा लगाते हैं। हिन्दुस्तान में धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं। गांधी की

(९४)

(श्री सी०पी० जोशी)

समाधि पर शपथ लेते हैं। यह वही लोग हैं जो धर्म निरपेक्षता का नाम लेते हैं और साम्प्रदायिकता को बढ़ाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो लोकतन्त्र का नाम लेते हैं और नगरपालिकाओं, पंचायत समितियों के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। ये वे ही लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर लोगों से चन्दा लेते हैं, पूंजी पैदा करते हैं। अब ढाई साल के शासन काल के बाद शासन बदला है। यहां बहुत समस्याएं हैं।

श्रीमान्, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं...........

(5.35 म. प.)

(श्री सम्पतराम, सभापति पदासीन)

राजस्थान का विकास हो, मरु प्रदेश का विकास हो परन्तु राजस्थान के जिस भू--भाग से मैं आया हूं वह अधिकांश पठारी भाग है। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान के विकास की बात करें तो निश्चित रूप से यह सोचें कि इस पठारी भाग में प्रदेश के 26 लाख आदि. वासी रहते हैं और वहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। जहां मरु प्रदेश में गंगानगर का विकास करें तो मैं कहना चाहूंगा कि हम पठारी क्षेत्र के विकास के बारे में भी सोचें। मैं इस क्षेत्र का प्रति- निधि हूं, मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि जो रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी को दूर करने की बात करते हैं तो ऐसी तक- नीकी संस्थाओं की स्थापना आदिवासी इलाके में होनी चाहिए ताकि वहां के आदिवासी बच्चे शिक्षा ले सकें और उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्रीमान, यह कहा गया भूतपूर्व मन्त्री महोदय द्वारा कि उन्होंने 425 स्कीम्स सेंक्शन की थी। श्रीमान यह हमारे जिम्मे- दार भूतपूर्व मन्त्री ने कहा है। मैं उनके ही आंकडे बता रहा हूं जिनमें उन्होंने कहा है कि 20 प्रतिशत ही काम हुआ है। 425 ऐसी जगह विद्युतीकरण किया गया। यह एक उदाहरण है। जितने आंकड़े सिंचाई, स्कूल और विद्युतीकरण के बारे में दिये गये हैं उनका 20 प्रतिशत ही काम हुआ है ढाई साल में। यह जो चतुर्वेदी ने सत्य कहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने आंकड़े दिये हैं उनका 20 प्रतिशत काम हुआ है। परन्तु वास्तव में क्या हुआ है यह तो जनता जानती है। परन्तु मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर कोई विद्युतीकरण की योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। वहां पर खम्भे खड़े कर दिए गए हैं। विद्युतीकरण के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हजारों रुपयों का चन्दा लिया है। गांव में खंभे लगे हैं परन्तु विद्युतीकरण नहीं हुआ है। जो डीलर हैं, मशीन देता है उस आदमी ने 75 प्रतिशत पैसा बैंक से उठा लिया और कुए पर मशीन नहीं लगी है.....

श्रीमती उजला अरोड़ा: विधान सभा में जो भी बात कही जाए वह जिम्मेदारी के साथ कही जाए। आप चन्दा लेने की बात करते हैं, एक भी रसीद बताइये।.....

श्री सी. पी. जोशी : मैं गम्भीरता से बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्य सचेतक, नवनीत पालीवाल ने हजारों रुपये चन्दे के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो चन्दे की बात कही है वह गलत है, रसीद तो पेश करें।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने करोड़ों रुपया चंदे का लिया है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर आप के पास ऐसा सबूत है तो पेश करें। हमें अपनी ईमानदारी पर नाज है। हमने अपना घर नहीं बनाया।

आपके पास एक भी उदाहरण है तो बताइये।

(व्यवधान)

हम आपको पूछ रहे हैं। आप पेश कर दें।

(व्यवधान)

हमने कोई डाके नहीं डाले हैं। हमने ईमानदारी से काम किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम बेईमानी करते तो वहां बैठे होते। आपने बेईमानी की है तो वहां बैठे हैं। हम ईमानदारी से यहां बैठे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ईमानदारी से तो हम यहां बैठे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ईमानदारी से यहां नहीं बैठे हो, उजला जी।

(व्यवधान)

श्री सभापति - माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं चैलेंज से कह रहा हूं किताबों के बारे में जाकर देखो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी तो बहुत सी बातें हैं थोड़ी थोड़ी आपके सामने आ रही हैं।

एक माननीय सदस्य : गिरधारीलालजी का नाम भी आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिन्धी : आपने क्या किया है।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, आप भी उस सरकार में रह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लें।

एक माननीय सदस्य : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति - आप बाद में कहें।

मेरा कहना यह है कि सदन का भी एक रवैया होता है। कहने का भी एक रवैया होता है। आप कोई बात कहते हैं तो उसका सीधे तरीके से जवाब दे सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि वहां खराबी थी। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप लगाते हैं तो निश्चित रूप से कोई एग्जाम्पल होने चाहिए। आरोप स्पेसिफिक होना चाहिए। उसका उदाहरण होना चाहिए।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो आपने कहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं । जो माननीय सदस्य महोदय ने आरोप लगाये हैं, उनको वापिस लेना चाहिए । उनको सदन की कार्यवाही से निकालना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : उनको सदन की कार्यवाही से निकालना चाहिए।

श्री सभापति : उसके बारे में मैंने अपने आब्जर्वेशन्स दे दिये हैं ।

श्री दुलाराम : इन्होंने कई-कई धन्धे किये हैं। मैं खोलखोल कर सामने रखूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं । जो सदन में आरोप लगाये गये हैं, अगर वह सिद्ध हो जाते हैं तो मैं राजनीति को छोड़कर चला जाऊंगा ।

(व्यवधान)

मैं खुला आह्वान करता हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस सदन की परम्परा रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य ।

सभी माननीय सदस्यों को बैठकर काम करना है। आवश्यक है तो सरकार के दोष भी निकालना है । यह एक पक्ष का काम है अगर किसी के खिलाफ स्पष्ट आरोप हैं, आपके पास ऐसे उदाहरण हैं तो आपको बहुत मौके मिलेंगे । संसदीय परम्परा में आपको वह कहना होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : दूलाराम के साथ यह नहीं है ।

श्री सभापति : सभी माननीय सदस्य बड़ी जिम्मेदारी से बिराजे हुए हैं । किसी के करेक्टर के बारे में यों ही नहीं कहना चाहिए। वह बहुत बड़ी चीज है । आपको कोई शिकायत का मौका आ जाये तो आप कह सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा नहीं करें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, सदन की यह परम्परा रही है ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में बिराज रहे थे तो सदन की क्या हालत थी ? इस सरकार ने जो खर्चों में कटौती की है, उसी का यह परिणाम सदन में प्रकट हो रहा है ।

एक माननीय सदस्य : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

एक माननीय सदस्य - This is no point of order

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी । आप सदस्यों को पानी नहीं पिला सकते हैं।

श्री सभापति : This is no point of order

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन में पानी की व्यवस्था तो हो । मैं कैण्टीन में गया, बिना पानी पिये लौट कर आया ।

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : आप पानी पानी क्यों कर रहे हैं। आपने पानी की व्यवस्था नहीं की है।

एक माननीय सदस्य : यह पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारा राज आ गया है मुंह खोलकर खड़े हो जायें तो आसमान से पानी आ जाएगा।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सदन में कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो तो सदन में चर्चा नहीं होती है। जब माननीय ललितजी यहां नहीं थे तो चर्चा शुरु की गई। श्री शिवचरण जी चर्चा कर रहे थे। जोशी जी चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने जो भी गालियां कहीं, जो भी आरोप लगाये यदि उनके पास कोई आरोप नहीं हैं तो जो कुछ कहा गया है, वह विधान सभा की कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री दुलाराम : किस नियम के तहत ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक जिम्मेवार सदस्य हूं और--

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पूर्व अध्यक्ष व सम्बंधित मंत्री को सूचना।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। अभी माननीय सदस्य ने कहा, किस नियम के तहत। नियम 273 के तहत किसी व्यक्ति के बारे में आरोप के सम्बन्ध में प्रक्रिया है--

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय हम जानते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग ली है मगर--

(व्यवधान)

श्री हंसराज (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं उन्हें कार्यवाही से निकाला जाय या जिस व्यक्ति ने लगाये हैं यह माफी मांगे या साबित करें।

श्री दुलाराम : मैं माफी नहीं मांगता, जो आरोप लगाये सही हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति × × ×
मैं किसी भी स्पीच को रिकार्ड नहीं करने दूंगा। नम्बरवाइज कहना है वही कहिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय दूलारामजी को आराम करने के लिए भेज दें।

श्री सभापति : कोई भी आराम करने के लिये जा सकता हैं।

श्री राव बहादुर : यह काम आपका या लीडर आफ दी हाउस का है कि जिस तरह का व्यवहार सदन में हो रहा है या जो आरोप लगाये गए हैं वे नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं तो उनको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री सभापति : स्पेसिफिक चार्जेज लगाये गये हैं और नोटिस नहीं दिया है तो रिपोर्ट नहीं होगा।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही हैं वह बहुत गम्भीर है। नरेन्द्रपालसिंह जी और नवनीत पालीवाल, हालांकि मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराज जावें। मेरा निवेदन यह है कि जो व्यक्ति इस हाउस में उपस्थित नहीं है उसके खिलाफ आरोप नहीं लगाये जायं तो ठीक हैं।

---

xxx सभापति महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(98)

श्री राजबहादुर : एक्सन्ज कराया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे शब्द विधान सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जावें।

श्री सभापति : देखिये मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री सी० पी० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले ढाई साल की परिस्थितियों का वर्णन करना चाहता हूं। उसकी जांच करवाई जावे। मैं बड़ी गम्भीरता से बात कह रहा हूं। जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन में लूट-पाट, भाई-भतीजावाद का शासन रहा, यह शर्म की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेदन करना चाहता हूं उदयपुर विश्वविद्यालय में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी सिण्डीकेट के सदस्य थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी थे। वे को-आर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी थे। राजस्थान वनवासी कन्या परिषद के नाम से जमीन हथिया ली, मैं यह कहना चाहता हूं। इस तरह से पाठ्य पुस्तक

(व्यवधान)

श्री सभापति : बीच में कोई अवरोध नहीं करें।

श्री सी० पी० जोशी : मैं इतना ही गम्भीरता से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप उससे मत कहिये, मेरी तरफ देख कर कहिये।

श्री सी०पी० जोशी : इन लोगों ने ढाई वर्ष में आदिवासी इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, विश्वविद्यालय के सिण्डीकेट गठन में चुन चुन कर अपने आदमियों को भरा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय में दो साल की जगह चार साल की अवधि कर दी। अपने इलाकों में सैकण्डरी स्कूल खोल दिये। श्रीमान्, सम्पूर्ण क्रांति का नारा इस जनता पार्टी के राज में चला। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने गन्दा वातावरण पैदा किया! छात्रों के आंदोलन हुए। जात-पांत को बढ़ावा मिला और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय 15 अगस्त को खुलेगा और अगस्त में ही खुलेगा। यह देन है जनता पार्टी की।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, यह हमारा दावा है कि राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। हम यह चाहते हैं पंचवर्षीय याजना में आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हम चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो

(5.58 अ.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई अध्यक्ष, पदासीन)

पहाड़ी आदिवासियों को शिक्षित किया जाये।

श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं चार करोड़ की इन्होंने एक योजना बनाई, इन्होंने क्या काम किया, यह मैं गम्भीर शब्दों में कहना चाहता हूं। चार करोड़ रुपयों का ढाई साल में उपयोग किया? क्या उपयोग किया? ढाई वर्ष के शासन में लोकतन्त्र और धर्म निरपेक्षता की जगह भाई-भतीजावाद का वातावरण पैदा किया। अभी ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह वातावरण दूषित रहे। मैं राजस्थान की जनता को बताता हूं कि 30 वर्ष बाद कोई सामन्ती, साम्प्रदायिक मुख्य मन्त्री नहीं है, पिछड़े वर्ग का मुख्य मन्त्री है। ढाई वर्ष में

(श्री सी०पी० जोशी)

इन्होंने समझा कि राज हमारा हो गया। गांव में रहने वाला हर फ्यूडल कहता था कि सरकार मेरी है। इन्होंने देखा भी या नहीं कि राजस्थान का विकास हो। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। ये तो यह जानते हैं कि किसी क्षेत्र को दूषित कैसे किया जाए। शिक्षा मन्त्री ने 30-40 हजार ट्रांसफर्स कर दिए। अप्रैल माह में नाथद्वारा कांड हुआ। क्या शिक्षक हों, डाक्टर हों, डी. वाई. एस. पी हों, हमारी जनता पार्टी के मनपसन्द शिक्षक, डाक्टर, डी.वाई.एस.पी.। बहुत अच्छा प्लानिंग किया। उसका नतीजा यह हुआ कि दो महीने पहले नाथद्वारा कांड हुआ। यह ढाई वर्ष के जनता राज की यह उपलब्धि है कि शिक्षकों, पुलिस व डाक्टरों के मनपसन्द ट्रांसफर्स किए। नाथद्वारा में एक एडेड संस्था चलती है, उसका जो संचालन करने वाले हैं, ढाई साल शासन करने वाले हैं उनकी जांच करें। जो कांड हुआ है वह उस संस्था से सम्बन्धित है। जनता पार्टी ने उस संस्था को कितना पैसा दिया, उसकी जांच कराई जाए। हम युवक तो आजादी के बाद पैदा हुए। आप चाहते हैं कि हम हल्ला करके अपनी विचारधारा को थोप सकें। हमारी अच्छी मजबूत विचारधारा है।

मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सिस्टेमिक ढंग से सबसे पहले राजस्थान का विकास करें। शिक्षा के क्षेत्र में वाता-वरण दूषित हो गया है। गांव गांव, पंचायत शहर में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने ट्रांसफर्स किए, वे राजनीति से प्रेरित थे। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का विकास हो। विकास का मापदंड यह होना चाहिए कि यदि रेगिस्तानी इलाका है तो पहले उसकी ओर ध्यान दें। जहां शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई वहां रोजगार उपलब्ध करायें। आप तकनीकी संस्था खोलना चाहते हैं वह शहर में न हो, गांव में खोलें जिससे आदिवासी लोगों को फायदा हो। ट्राइबल डवलपमेंट निगम में 4 करोड़ का बजट है, मैं चाहता हूं कि उस के रीयल डिवीडेन्डस आदिवासियों को मिलें।

माइनिंग विभाग का एम.डी. है वही माइनिंग डिपार्टमेंट का कमिश्नर बनाया जाए, यह जनता पार्टी के ढाई साल के शासन में हुआ। जो एम.डी. है वही आदमी माइनिंग डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी है। मैंने गंभीरता और जिम्मेदारी से बात की है, मैं व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहता लेकिन ढाई साल में जितने ट्रान्सफर्स किए गए उनके लिए कहा गया कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। इन्होने गांव 2 में भ्रष्टाचार को पहुंचा दिया। तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह ने गांव 2 में भ्रष्टाचार को पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी दूर करूंगा, गरीबी दूर नहीं हुई लेकिन सामन्तशाही का राज बना दिया। इसलिए राजस्थान का विकास चाहते हैं तो मिलजुल कर काम करें।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जो शिव-चरणजी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि राज-स्थान के विकास में योगदान देंगे।

कई माननीय सदस्य : 6 बजे तक का समय था।

श्री अध्यक्ष : 7 बजे तक का है। विपक्ष से कोई बोलना चाहे तो बोलें। श्री सूरज पाल सिंह।

किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पूर्व अध्यक्ष व सम्बन्धित मंत्री को सूचना

श्री भंवरलाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। जब आप यहां विराजे हुए नहीं थे तब नाथद्वारा के माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय पर चार्ज लगाया...

(व्यवधान)

भूतपूर्व मन्त्री महोदय पर कुछ चार्जेज लगाए उन चार्जेज के बारे में यहां विवाद खड़ा हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। कृपया शांत रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय संपतराम जी जब पीठासीन थे तो उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्तिगत चार्ज होंगे तो वे विधान सभा कार्यवाही से एक्सपंज करा देंगे उस पर मेरा आपसे निवेदन है कि वह देख लें। अगर व्यक्तिगत चार्ज रिकार्ड हुई है तो एक्सपंज करा दें, जैसा कि निर्णय हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : किसी पर कोई व्यक्तिगत चार्ज हो और एक्सपंज किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन कोई गलत आरोप हो, मानहानि वाला हो तो उसके लिए व्यवस्था यह है कि जो माननीय सदस्य इस तरह से आक्षेप लगायें उन पर ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन लायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आसन पर माननीय सम्पत्त रामजी विराजमान थे उन्होंने कहा था केवल उस निर्णय की पालना करनी है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसे आरोप हों जिनका नोटिस नहीं है तथा जिससे उनकी निश्चितरूप से मानहानि होती है तो उसको एक्सपंज करवायेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने पाइंट आफ आर्डर रेज किया था कि नियम 273 के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया बनी हुई है। जिन माननीय सदस्यों के खिलाफ कोई आरोप लगाने हैं तो उनको नोटिस देना पड़ता है उसके बाद में...

श्री अध्यक्ष : इसमें विपक्ष को कठिनाई ज्यादा होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गलत बोलते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, चंदे की बात गलत कही गई।

(व्यवधान)

श्री दुला राम : उन्होंने कहा कि अगर यह साबित हो जाएगा...

श्री रामरघुनाथ चौधरी : प्रक्रिया के नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया तो आरोप और प्रत्यारोप इतने हो जायेंगे कि संभालना मुश्किल हो जायेगा। अगर इस तरह के आरोप हों तो पहले नोटिस देकर फिर रखें।

श्री अध्यक्ष : आप कौनसा नियम बता रहे हैं ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : 273

श्री दुलाराम : उन्होंने कहा कि अगर साबित हो जायगा तो मैं सन्यास ले लूंगा। फिर इनको तकलीफ क्यों है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से पहले यह व्यवस्था दी गयी है कि अगर किसी के खिलाफ में बिना कोई नोटिस दिये अशोभनीय आरोप लगाये जायं तो वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा निवेदन है कि रूल 273.

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, बेईमानी नहीं तो फिर क्या है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : अगर, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की व्यवस्था रहती है तो फिर उनको अधिकार हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले जब व्यवस्था दी गयी थी तो उसका पालन किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम : बेईमानी से बचना चाहते थे•••

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इतने पोथे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। [माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया शांत रहें।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है यह प्रश्न मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था। किसी एक माननीय सदस्य ने किसी भूतपूर्व मन्त्री के खिलाफ में कुछ मान हानिकार शब्दों का प्रयोग करके उनके खिलाफ में आरोप लगाये इसके सम्बन्ध में तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस बारे में जो व्यवस्था दी गई थी उसके लिये मैं सदन की कार्यवाही मंगा कर देख लूंगा कि सभापति महोदय ने क्या दी। जहां तक रूल 273 का सवाल है इस रूल का स्ट्रिक्टली पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है,

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो मत करिये।

श्री अध्यक्ष : हर स्तर पर इसमे बाधा उपस्थिति हो जायेगी। एक पक्ष का सदस्य बोलेगा और वह अगर विपक्ष के किसी सदस्य के खिलाफ में बोल रहा होगा चाहे वह आलोचना के रूप में ही हो तो फिर यह बहुत ही कठिन बात हो जायेगी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसमें ऐसा है कि साहब बोलते हुए कोई पासिंग रेफरेन्स दे दें तो ठीक है।

श्री राजबहादुर : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिये। यह तो बड़ा ही डेन्जरस प्रिसीडेन्ट हो जायेगा। हमारे यहां पर जो रूल्स हैं उन्ही के अनुसार ही कार्यवाही होनी चाहिये वरना तो यहां पर इस कदर नुक्ता चीनी होगी कि माननीय सदस्य एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि रूल 273 का पालन किया जाना चाहिये ताकि कोई किसी पर कीचड़ न उछाल सके। अगर ऐसा होगा तो यहां पर जो लोग बैठे हैं वह क्या देखेंगे?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं पर कई बार इससे दिक्कतें आयेंगी।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, वही तो आपके इम्तहान का मौका होगा।

श्री अध्यक्ष : वैसे रूल 273 का स्ट्रिक्टली पालन तो बहुत मुश्किल से होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप स्ट्रिक्टली पालन करना चाहेंगे तो हम आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। आप अगर स्ट्रिक्टली रूल लागू करते हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्ट्रिक्टली पालन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अगर आप स्ट्रिक्टली रूल का पालन करना चाहते तो मेरा यह कहना कि है जहां तक सवाल प्रासीडिंग्ज का है वह तो कल तक आपके पास आयेगी और तब तक अखबार में यह अखबार छप जायेगी। जब यह डीफेमेट्री खबर में छप जायेगी तो फिर बाद में अगर आप इसको एक्सपन्ज करते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जब तक प्रोसीडिंग्ज आपके पास न आ जायें तब तक आप ऐसी व्यवस्था दे दें कि यह खबर अखबार में नहीं प्रकाशित की जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो तब तक, माननीय सदस्य, कोई भी अंश प्रकाशित अखबार में नहीं किया जायेगा।

श्री सूरजपाल सिंह।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल) : अध्यक्ष, महोदय राज्यपाल महोदय श्री रघुकुल तिलक ने जो सदन में अपना अभिभाषण दिया उस पर माननीय सदस्य श्री शिवचरण माथुर ने जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, सन् 77 में चुनावों में जब जनता पार्टी भारी मात्रा में जीत कर आई तो जनता को जनता पार्टी से बड़ी आशायें और आंकाक्षायें थीं लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। यहां पर थोड़े समय पहले जैसा कि भूतपूर्व विद्युत मन्त्री जी ने अपने भाषण में जनता पार्टी की प्रशंसा के पुल बान्धे और उन्होंने विद्युत की उपलब्धियों के बारे में काफी बड़ा लेखा जोखा रखा और कहा कि जनता पार्टी के राज्य में तीस हजार कनेक्शन दिये गये। मगर, अध्यक्ष महोदय, इसके विपरीत मैं यह कह सकता हूं कि जनता पार्टी के राज्य में तीस हजार विद्युत के कनेक्शन काश्तकारों को नहीं दिये बल्कि तीस हजार काश्तकारों को उन्होंने गोली मार दी। आपने तीस हजार कनेक्शन दे दिये लेकिन आपने उन कनेक्शनों पर कितनी जगह पर बिजली पहुंचाई। अगर कनेक्शन देने से ही विद्युत आ जाती तो कांग्रेस सरकार इतनी मूर्ख नहीं थी कि वह काश्तकारों को कनेक्शन नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली देने का प्रश्न है मैं आक्षेप लगाना चाहता हूं कि हमारे यहां गाँव पूनासरा, जा कि जालौर डिट्रिक्ट है, में 33 के. वी. का ग्रिड स्टेशन बनने का प्रावधान सन् 1979 में था। वहां पर चार सौ कनेक्सन दे दिये गये जनवरी में वहां पर लोगों को बिजली नहीं मिल सकी। इसका नतीजा यह हुआ कि बिना बिजली के काश्तकारों की फसल बरबाद हो गई। तो यह है आपकी उपलब्धि। अभी जनता पार्टी के विद्युत मन्त्रीजी बैठे हुए नहीं है पर

(श्री सूरजपाल सिंह)

शिक्षा मन्त्रीजी बैठे हैं, आपने बड़े विद्यालय तो खोल दिये पर उन विद्यालयों, जो कि आपने हजारों की तादाद में खोले, आपको अध्यापक भेजने को नहीं मिले। आपने तीन हजार विद्यालय खोले पर अध्यापक उन स्कूलों में नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं करें। बैठे बैठे नहीं बोलें।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां जहां पर स्कूल खोले उसमें से कई स्कूल ऐसे थे जहां पर सौ सौ विद्यार्थी थे पर उनमें अध्यापक एक ही था। तो जो प्राथमिक स्कूल आपने खोले, अगर वहां पर अध्यापक नहीं थे तो फिर उसका क्या फायदा हुआ। उसीका नतीजा है कि आप जो कि सत्ता पक्ष में बैठते विद्युत मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्री जी, आपको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। आपको पांच साल के लिये चुना गया था किन्तु आपकी गलत नीतियों के कारण 28 महीनों में ही इधर से जाकर उधर बैठना पड़ गया। अध्यक्ष महोदय, जो देश कांग्रेस के तीस वर्षों के शासन काल में विशेषतौर से हमारे देश की महान नेता इन्दिरा गान्धी की प्रगतिशील नीतियों पर चलकर विकास की ओर गति से बढ़ रहा था उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी का राज्य आया तो जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री बनते ही भैरोंसिंह जी ने यह कहा था कि जनता पार्टी के शासन काल में, मैं सभी भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा और जो भ्रष्टाचार करेगा उसको नाक से निकलवा लूंगा। लेकिन उनकी यह घोषणायें थोथी ही रहीं? उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दिया। भ्रष्टाचार का बड़ा कोई मामला तो हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी के हाथ तो आया नहीं सिर्फ चुंगी चौकी पर 9 आने की गड़बड़ी करने पर एक व्यक्ति को जरूर पकड़ा था। अध्यक्ष महोदय जनता पार्टी की सरकार की यह नीति थी कि जो काम कांग्रेस सरकार ने किया उसके विपरीत वह काम करती थी। हमारे यहां पर पहले एक विद्यालय कांग्रेस काल के शिक्षा मंत्रीजी ने खोलने का प्रावधान किया था किन्तु जनता पार्टी की सरकार जब 77 में बनी तो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी ने कांग्रेस के शिक्षा मंत्रीजी के विद्यालय खोलने के आदेश को निरस्त कर दिया।

भीनमाल में भी कन्या माध्यमिक पाठशाला खोली गयी उसको निरस्त कर दिया गया यह कह कर कि पापुलेशन के हिसाब से नहीं है। उसका पापुलेशन का घनत्व बताया गया। पापुलेशन के हिसाब से ही था तो भीनमाल में 30 हजार की पापुलेशन थी और उन्होने 15 हजार की पापुलेशन पर खोले। तो इन्होंने ढाई साल में एक बात की तो जरूर उपलब्धि की है कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने कांग्रेस के लीडर हैं उनको किसी तरह से परेशान किया जाये, डीमोरेलाइज किया जाये। द्वेष की भावना से आपने काम किया उसका नतीजा आज यह है कि नतमस्तक होकर विरोध पक्ष की बैंचेज पर बैठ कर उलझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक भूल देश की जनता ने जरूर की मगर मैं इस देश की जनता को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिसने इस भूल को स्वीकार किया और यह आज

(104)

(श्री सूरजपाल सिंह)

बिखरे हुए बैठे हैं। जनवरी के अन्दर हुए पार्लियामेंट के चुनाव और मई के अन्दर हुए विधान सभा के चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि बड़े ही लचीले भाषण देने की जनसंघ वालों की आदत है। निश्चितरूप से हम इतने लचीले भाषण नहीं दे सकते लेकिन कार्य करने की क्षमता यदि किसी में है तो वह कांग्रेस (आई) में है। आपके पास कुछ नहीं है सिवाय लचीले भाषणों के मैं आपको लेखा जोखा दे रहा हूं, आपके मंत्री यहां नहीं हैं मुख्य मंत्री जी थे वे भी नहीं हैं। अन्त्योदय के नाम पर क्या किया आपने ? आज लोगों के नाते नहीं हो रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। अन्त्योदय के अन्दर जिन पांच परिवार वालों को आपने चुना उनको आज कोई बच्चों देने के लिए तैयार नहीं हैं।

आपने रेवेन्यू अभियान चलाया। आपने रेवेन्यू अभियान के अन्दर किया क्या ? म्युटेशन के केसेज निपटाये ....

एक माननीय सदस्य: मौके पर दे दिया

श्री सूरजपाल सिंह : क्या दे दिया आपने मौके पर।

आपने म्युटेशन के केसेज पांच लाख या सात लाख निपटाये तो यह कोई अभियान नहीं है। यह तो ड्यूटी होती है। म्यूटेशन तो भरा ही जाना चाहिए, आज भरा जाय कल भरा जाय। आपने कितने लोगों को न्याय दिला दिया ? आपने हजारों लीटर पेट्रोल जला दिया और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। यह उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि होती तो यहां नहीं बैठते।

कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है। जितने सब इन्सपैक्टर्स थे उनका प्रमोशन किया। जोधपुर डिवीजन के सारे सब-इन्सपेक्टर्स को लाकर यहां सी.आई. बनाकर बैठा दिया। उनको इस एरिया का ज्ञान नहीं, इस एरिया का अनुभव नहीं। यहां वालों को जैसलमेर में बैठा दिया। वह अनभिज्ञ आदमी है और उसको मालूम नहीं है कि कौन चोर है और कौन साहूकार है। यहां सारे ऐसे ट्रान्सफर्स कर पोस्टिंग्स कर दिये गये कि जिससे ला एण्ड आर्डर की स्थिति आपकी बिगड़ रही हैं। न उनको ज्ञान है और न जानकारी है कि कौन साहूकार है इसलिए आये दिन इस जयपुर शहर के अन्दर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, बदमाशियां हो रही हैं। उनको जानकारी ही नहीं है। आपका एस. पी. अपने डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है लेकिन थानेदार डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह सकता। अगर थानेदार को उसी डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया जाये तो वह ज्यादा विजिलेन्टली वर्क कर सकता है क्योंकि उसको लोगों की जानकारी होगी। जो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है वह भी जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण बिगड़ रही है।

मैं जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि व्यापारियों को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी, कालाबाजारियों और मिलावटियों को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी क्या यह बतायेगी कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 28 महीनों में कितने केसेज खोले।......

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक भी नहीं।

श्री सूरजपालसिंह : ''व्यापारियों और कालाबजारियों के बलबूते पर जीतकर आने वाले क्या उनके केसेस खोलेंगे ? तत्कालीन खाद्य मंत्री जी 21-11-79 को भीनमाल पधारे थे। पांच हजार बोरियां चीनी के व्यापारी ने रातों रात गायब की थीं। मैंने भूतपूर्व खाद्य मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया थीं। मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिये मैं पांच हजार बोरी पकड़वाता हूं। वह कौन व्यापारी था ? जनता पार्टी का अध्यक्ष था। आखें नीची किये हुए हैं जो यहां भी नहीं बोल सकते। यह व्यापारियों से मिले हुए हैं। व्यापारियों को साथ लेकर जो काम करने वाली गन्दगी थी वह खतम हो गयी। यह काफी साफ हो गयी है।

इसी तरह से डीजल को लीजिए। खाद्य मंत्री जी को हमने बताया कि 600 रुपये का ड्रम वहां पर दो हजार रुपये में बिक रहा है। मैंने कहा कि क्या खाद्य मंत्री जी इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर सकते हैं यह तो बतायें। उस समय श्री बिरदमल जी सिंघवी थे खाद्य मंत्री, उनकी तो जमानत भी जब्त हो गयी। तो काश्तकारों को मिलने वाला आइल जो कि 600 रुपये ड्रम में मिलना चाहिए वह दो हजार का बिक रहा था। भूतपूर्व खाद्य मंत्री जी को ज्ञापन देने के बाद भी वह किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सके। अब क्या फैक्ट्स चाहिए और किस तरह के कारनामे चाहिए जो आप सुनना चाहते हैं। आपका गठबंधन कालाबाजारियों और मिलावटियों से था इसी कारण आपको इस देश की जनता ने ठुकरा दिया। अब क्या कहूं वह तो फल भुगत चुके हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है इस भाषण में जो दिशा निर्देश दिये हैं, जो बीस सूत्री कार्यक्रम की बात कही गयी है, पांच सूत्री कार्यक्रम की बात कही गयी है और प्रदेश के विकास के लिए डी-पी.ए-पी. के प्रोग्राम की बात कही गयी है, कृषि विभाग के लिए, खनिज विकास के लिए और मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया उसके लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव श्री शिवचरण जी माथुर ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

श्री बी. डी. कल्ला

श्री बी. डी. कल्ला : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया इसके प्रति कृतज्ञता प्रगट करता हूं और सम्माननीय श्री शिवचरण जी माथुर ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के लोग जो लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाओ के के नाम पर चुनाव जिन्होंने लड़ा था उनको सोचना चाहिए था कि चिकमगलूर से श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था उसमें क्या जनता ने वोट नहीं दिया था ? जार्ज फर्नांडिस, जिसके ऊपर बड़ौदा डाइनामाइट काण्ड के गम्भीर आरोप थे, मुजफरपुर से जीतकर आये थे तब तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि माने गये लेकिन इन्दिरागांधी चिकमंगलूर से जीतकर आई थी तो उनके चुनाव को जनता पार्टी सरकार ने अवैध करार कर दिया था। यह लोकतंत्र की हत्या थी। इन्होंने क्या किया ? मुझे एक बात याद आती है एक मयखाना था,

(श्री बी. डी. कल्ला)

एक सनम खाना था। रिंद और शेखजी में बड़ा फर्क था क्या मोअम्मा था। दोनों में बनती नहीं एक इधर जायेगा और एक उधर जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी आपस में यह लड़ पड़े। भानुमति का कुनबा जो कि संतरे की फांक की तरह था टूट टूट कर अलग हो गया। मोरार जी देसाई कुछ बात कहते थे तो चरणसिंह जी कुछ बात कहते थे। एक पूंजीवाद की बात करता था तो दूसरा साम्यवाद और समाजवाद की बात करता था ...... यह बे मेल खिचड़ी सरकार चल नहीं पाई क्योंकि इनके पास कोई सिद्धांत नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था। 275 अनुच्छेद की धारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को ग्रांट इन एड मिल सकती थी जो लगभग 50 करोड़ के ऊपर हुआ करती थी लेकिन जनता सरकार ने अपनी इस हठधर्मी प्रवृति के कारण कि हम पिछड़े हुए नहीं है, हमारा प्रांत बहुत विकसित है, इस ग्रांट इन एड को छोड़ दिया। जनता सरकार ने राजस्थान के लोगों के साथ धोखा किया, प्रांत की पिछड़ी हुई जनता कभी इसे माफ नहीं कर पायेगी। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार इस सहायता को पुनः चालू करवाये

इसके अतिरिक्त हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग है, मरुस्थल है जो मृत मार की तरह है यह लगभग आधे से ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पूनमचन्द विश्नोई की अध्यक्षता में एक मरु विकास आयोग स्थापित किया गया था। इन्होंने मेहनत कर ठीक काम किया। राजस्थान के विकास के लिये अपनी रिपोर्ट के माध्यम से काम किया था किन्तु सबसे पहले जनता सरकार ने इस आयोग को डिस्बेण्ड कर दिया जिसकी भर्त्सना करता हूं। वर्तमान सरकार इसको पुनः चालू करे।

दूसरा, योजना मण्डल के पुनर्गठन की बात राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कही है। पिछली सरकार के समय दिक्कत तो यह है कि योजना मण्डल नाम की कोई वस्तु नहीं थी। डा. विजय शंकर व्यास, जो पिछले योजना मण्डल के सदस्य थे, ने अपने इस्तीफे में इस बात का वर्णन किया है कि ऐसी निष्क्रिय सरकार नहीं देखी जो विशेषज्ञों की राय कभी नहीं मानती है और हमारी राय आज तक नहीं ली गई है। ऐसी सरकार के योजना मण्डल में रहना उचित नहीं। मैं राज्यपाल के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होने अपने अभिभाषण में सरकार के माध्यम से योजना मण्डल के पुनर्गठन की बात कही है। मरुस्थल के विकास के लिये समय समय पर CAZRI के विशेषज्ञ राय देते रहते हैं और इसके विकास के लिये काम करते रहते हैं परन्तु पिछली सरकार ने तीन वर्षो में उसके एक प्रतिवेदन को नहीं माना और न इसका प्रयोग राजस्थान के विकास के लिए किया। मैं वर्तमान सरकार से अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, निवेदन करना चाहता हूं जो प्रयोग सफल स्थापित हुए हैं उनको खेतों एवं किसानों तक पहुंचाया जाये। राजस्थान में ड्राई फार्मिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित होने वाला था। उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये व्यवस्था करें। तथा रीजनल लेबोरेट्रीज बनाने का प्रावधान करें।

(श्री बी. डी. कल्ला)

शिक्षा विभाग के बारे में विरोधी दल के कुछ नेताओं ने यह बात कही कि हमने हायर सैकण्डरी स्कूल खोले, कई प्राथमिक स्कूल खोले। आप लोगों ने शिक्षा विभाग में 24 लाख का घाटा दिया जो इस बात का सबूत है कि संतुलित विकास के आधार पर शिक्षा होनी चाहिये थी, उसके आधार पर न होकर आप लोगों ने केवल मात्र अपने ही क्षेत्रों में स्कूल खोले। बीकानेर डिवीजन का हैड क्वार्टर है जहां एक भी प्राथमिक स्कूल नहीं खुला।

इसके साथ ही पलाना थर्मल पावर स्टेशन के बारे में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर पिछले तीन वर्षों में बहुत उपेक्षित रहा है। पलाना थर्मल पावर स्टेशन में कोयले का उपयोग कर काम करने के उत्सुक लोगों को रोजगार देने के लिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि इसको प्राथमिकता देने का प्रयास करें।

इसके अतिरिक्त पिछली सरकार ने जो राजस्थान नहर परियोजना के बारे में आंकड़े दिये थे मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के शासन में 9 करोड़ रुपये का बजट लैप्स हुआ जो विकास की योजनाओं पर खर्च होना चाहिये था। पुराने चेयरमैन श्री भीमसिंहजी ने कोलायत, गजनेर लघु सिंचाई योजना को निरस्त कर दिया। बीकानेर माइनर विकास के लिए आवश्यक था उसके काम को बन्द कर दिया। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह का काम पुनः चालू किया जाये ताकि इस मरुस्थल का विकास हो सके और राजस्थान के कृषि उत्पादन मे अभिवृद्धि हो सके। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सम्मानीय मुख्य मंत्री जी श्री पहाड़िया जी ने पेय जल की समस्या को प्राथमिकता से निपटाने का वचन दिया है। वास्तव में पिछले तीन वर्षों में योजना नाम की कोई चीज नहीं थी जिसके कारण आज पानी की समस्या हर इलाके में है। निश्चितरूप से इकानामिक फाईनेन्स के बारे में पहाड़िया जी खुद अनुभवी हैं उनके अनुभव का लाभ लेकर राजस्थान को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार की मदद लेकर पीने के पानी की समस्या का निदान प्राथमिक रूप से करेंगे।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में विपुल मात्रा में खनिज उपलब्ध है। बीकानेर ऊन की एशिया की प्रसिद्ध मण्डियों के रूप में माना जाता है। दूध भी बीकानेर में काफी अधिक मात्रा में होता है। इनके ऊपर आधारित उद्योग धन्धों को विकसित किया जाये तो राजस्थान की अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में ज्यादा नमक है, लाइम स्टोन है। इस पर आधारित उद्योग धन्धे उन्हीं स्थानों, जहां पर कच्चा माल निकलता है, पर खोले जायें तो निश्चित-रूप से राजस्थान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और राजस्थान विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

मैं पुनः अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं और राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री हंसराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। यह परम्पराओं के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने रख दिया है। विपक्ष से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अमराराम।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम मैं परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं, जनता पार्टी के एक भूतपूर्व मंत्री ने बालोतरा के अन्दर एक आम सभा में कहा था कि एक कांग्रेसी दिखाओ और एक हजार रुपया लो लेकिन ईश्वर की कृपा है कि इसी सदन के अन्दर आज 134 कांग्रेस के सदस्य मौजूद हैं, वैसे हिन्दुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों कांग्रेसी हैं। मैं उस जनता पार्टी के भूतपूर्व मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जो आपने एक हजार रुपये की घोषणा की थी वह 134 सदस्यों में तो बांट दो। जनता पार्टी आपस में झगड़ती रही। पिछले साल जुलाई में हमारे क्षेत्र के अन्दर जब बाढ़ आई उस समय भी भूतपूर्व मुख्य मंत्री दिल्ली में अपने झगड़ों में बैठे हुए थे। उनको यह ध्यान नहीं था कि राजस्थान बाढ़ की चपेट में है। जनता पार्टी ने कोई इत्तला नहीं दी। हजारों लोग गांवों से चले गये, हजारों पशु बह गये, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई लेकिन जनता सरकार ने लोगों को पहले से इत्तला करने की कोई व्यवस्था नहीं की। बाढ़ हमारे यहां से 2030 में भी आई थी लेकिन उस समय सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन जनता पार्टी के शासन में हजारों लोग बाढ़ के समय पेड़ों पर बैठे रहे, कपड़ों से इशारे करते रहे किन्तु हैलीकोप्टर ने जो पानी में डूब रहे थे, उनकी किसी प्रकार की सहायता नहीं की। हैलीकोप्टर भी तीन दिन बाद आया और एक पैकेट पानी में गिराया। किसी प्रकार जनता सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं की। जब पानी उतर गया तो मंत्री जी पधारे और कई बड़े बड़े आश्वासन उस समय दिये थे। ऐसा कर देंगे, पुल बना देंगे, ऐसी सुरक्षा बालोतरा को बचाने के लिए करेंगे और जहां जहां बाढ़ से नुकसान हुआ है वहां गढ़बन्दी करायेंगे। उन्होंने अपने पूरे समय में कुछ भी नहीं किया।

इसके अलावा पीने के पानी के बारे में भी ढाई साल में कुछ भी नहीं किया। जो पानी के लिए गड्ढियां बनी हैं, वह जनसंख्या के आधार पर बनी हैं लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, जिसमें मैं रहता हूं वह रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पशुओं की गिनती नहीं की गई है। जनसंख्या और पशुओं की जनसंख्या के आधार पर गड्ढियां बनाई जाय तो कोई पानी की कमी नहीं रहे। जहां नल कूप बनाये गये और कांग्रेस सरकार में जो चालू थे, वे भी जनता सरकार में बन्द पड़े रहे। ऐसी ऐसी स्कीमें जो नलकूप वगैरह की बनाई-हीरा की ढाणी, पोखर, खरड़ा यानी पचपदरा के जो गांव हैं उनमें हजारों रुपये लगाकर लाइने लगाई गई उसको जनता सरकार के अन्दर तोड़ा गया। इस कारण ढाई साल में पानी बिल्कुल नहीं आया। इस प्रकार जनता सरकार ने कोई अपने शासनकाल में मदद नहीं की है।

मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप योजनाएं बनायें उनमें जनसंख्या के साथ साथ पशुओं की संख्या को भी ध्यान में रखें और उसी अनुसार पानी की व्यवस्था की जाय। रेगिस्तान में जो भेड़ों की समस्या बनी हुई है हमारी जो भेड़ें बाहर

(श्री अमरा राम)

जाती हैं। यदि नलकूप हो जायेंगे तो हमारी भेड़ों के लिये भी पानी मिल जायगा और दूसरे प्रान्तों में जाने की जो गतिविधि है वह नहीं होगी ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण में बात कही है कि सस्ता अनाज मिलेगा, पानी की समुचित व्यवस्था होगी, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं । जो व्यवस्था मैंने बताई है कि किस प्रकार गरीबों के लिये योजना बनायें, वह बहुत अच्छी है, इस पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी काफी प्रकाश डाला है इसलिये मुझे इस पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अन्य कोई सदस्य बोलना चाहे विपक्ष से ?

श्री सूरज पाल सिंह : इनके पास बोलने को कुछ रहा नहीं है ।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं भी समर्थन करता हूं....

(व्यवधान)

इस अभिभाषण में सरकार के जो पीने के पानी के अभाव वाले इलाकों पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है, खासतौर से राज्य सरकार ने भारत सरकार से जो इन्तजाम करने का जो इशारा किया है, उसके लिये हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। माननीय मुख्य मंत्री जी से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस राजस्थान के र एरिया में जहां अभी तक भी भारत 15-15 किलोमीटर से दूर अपने सि पानी का भार उठाकर लाती है ..

(व्यवधान)

श्री सूरज पाल सिंह : वह प्रोग्राम भी कोटा में ले गये ।

श्री अमीन खां : हमारा क्षेत्र वह है जो सारे हिन्दुस्तान की जनता की सुरक्षा में भागीदार है । पाकिस्तान के बार बार हमले हुए हैं। कई बार हमारा क्षेत्र 40 मील तक खाली रहता है और कई मीहनों तक वह क्षेत्र आबाद नहीं होते हैं । यह सारे राजस्थान का काम है कि बोर्डर एरिया में जो समस्याओं का मुकाबला करके हम जी रहे हैं उस क्षेत्र में राजस्थान का धन ज्यादा लगाया जाय यह क्षेत्र हमारी ही शान नहीं है सारे राजस्थान की शान है बल्कि राजस्थान की ही शान नहीं हैं समूचे भारत की शान है ।

हमारी कांग्रेस सरकार ने पिछले 30 वर्षों में जहां गांवों के रास्ते भी मालूम नहीं थे वहां काली डामर की सड़क बिछाई है लेकिन जनता पार्टी ने विकास के बड़े बड़े भाषण दिये थे किन्तु बालोतरा में मैंने एक भी काम होते हुए नहीं देखा है । हमारे सरपंचों को एक अच्छा काम यह बताया, ग्राम पंचायतों को काम के बदले अनाज की योजना का काम जरूर दिया, मगर उसमें भी उसको गुमराह करने की योजना थी । समझदार आदमी अच्छी तरह से समझ सकता है कि अकाल राहत के तहत काम दिया गया लेकिन वह भी काम अच्छी तरह से सफल नहीं हुआ । कांग्रेस सरकार ने बाड़मेर जिले में लाखों मजदूरों की व्यवस्था की थी वहां केवल इन्होंने 30-35 हजार से ज्यादा की व्यवस्था नहीं की । यह सरकारी रिकार्ड पर है, इसलिये राजस्थान की भोली जनता गुमराह नहीं हो सकती। वह पूरी तरह जागरूक है जनता ने मध्यावधी चुनावों में जनवरी में जो

(110)

(श्री अमीन खां)

लोक सभा के चुनाव हुए और मई में विधान सभाओं के चुनाव हुए उसमें अच्छी तरह बता दिया। अकाल के नाम पर जो काम कराये जाते हैं उसमें भी इन्होंने अपने सरपंचों को ज्यादा खुश करने की नियत से काम किया है। मगर हर पंचायत में तीन तीन हजार जो आदमी थे वे इस काम से खुश नहीं हैं। हजारों की तादाद में लोग भूखे हैं प्यासे हैं, पानी की व्यवस्था के लिए हमारे बाड़मेर में कई स्कीमें लाखों रुपयों की तादाद में बनाई गई थी मगर जनता सरकार ने एक भी लाख की स्कीम अमल दरामद में नहीं लाई। एक हमारी जो शिव की स्कीम थी रातड़ी मोखा से झाक पीने के पानी की राजस्थान की जनता सरकार ने गुजिश्ता साल में उस स्कीम को बदल कर एक व्यक्ति को वह नल कूप सुपुर्द कर दिया, खेत की सिंचाई के लिए दे दिया। कहते हैं कि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं। हमारी सरकार ने, मुझे ज्ञान है, बाड़मेर और जैसलमेर में किसी भी कांग्रेस को चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे मुख्य मंत्री का परम प्रेमी ही क्यों न रहा हो नल-कूप उसके खेत के लिए सुपुर्द नहीं किया। आज बाड़मेर जिले के बारे में निवेदन है कि हिन्दुस्तान की आजादी के 30 वर्ष के बाद भी हिन्दुस्तान की नारी को 15 किलोमीटर दूर से पानी का घड़ा सिर के उपर उठाकर लाना पड़ता है। उस क्षेत्र में जनता सर-कार ने एक आदमी को ट्यूब वेल सुपुर्द कर दिया यह भारी अन्याय की बात है। 30 साल में वह जो नलकूप था, रातड़ी-मोखान से झाक तक पीने के पानी की स्कीम थी उसको समाप्त कर भूतपूर्व सरकार ने एक व्यक्ति को ट्यूब वेल खुद के खेत में सिंचाई के लिये दे दिया, जिसके यहां पर खेती होती है। माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो आपके हैं, मेरे साथ चलें मैं आपको साबित कर दूंगा कि आपने किस आदमी को नलकूप दिया ··

श्री अहमद बक्स सिन्धी: भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने लगाया है।

(व्यवधान)

श्री अमीन खां: यह बात हकीकत है या नहीं यह गांव का गरीब आदमी जानता है। यह भाषण देने वाले इतना नहीं जानते।

दूसरा काम यह है कि आसाम में जो आज मामला हो रहा है वही शायद हमारी तरफ भी उन्होंने कराने की कोशिश की। लेकिन हम तकलीफों को बर्दाश्त करने वाले हैं। हम मेहमानों की मेहमाननवाजी से सहन करने वाले हैं। इसलिए यह नहीं हुआ। बाड़मेर जिले के कई हरिजन और अल्पसंख्यक, जिनका सम्वत 27 से आज तक कब्जा है और भूमिहीन हैं, का नियमन करने का काम केवल बन्द कर दिया और सारे राजस्थान से वह नियम मेरे जिले से अलग रहे जिससे आज बाड़मेर जिले में कम से कम 1500 करीब केसेज ऐसे हैं···

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्स सिंधी: भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने किया है।

श्री अमीनखां: उनको जबर्दस्ती प्रशासन द्वारा बेदखल कर दिया गया।

श्री अहमद बक्स सिंधी: आपने मुसल-मानों को बेदखल किया है। नाजायज तरीके से किया है।

श्री अमीन खां : और 50 हजार आदमियों को एक ही जिले के अन्दर बसाना बाड़मेर जिले के 8 लाख आदमियों को तंग करना और उनका सत्यानाश करना है। पाकिस्तान से जो माइग्रेट होकर आदमी आते हैं चाहे वह दुखी हों तो उसके लिए सारा मुल्क मदद करे, हिन्दुस्तान मदद करे। केवल हम बाडमेर के निवासी ही मदद कर सकें। इतनी हमारी गुंजाइश नहीं है। हम सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं और सारे राजस्थान की जनता से चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से आदमी आये हैं वे सबके मेहमान हो सकते हैं। केवल एक जिले में 33 पटवार सर्किल के मेहमान बनने से तो हमें वहां से जाना पड़ेगा। यह मुल्क के लिए शोभा की बात नहीं है।

अन्त में कुछ भी नहीं कहते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कुछ प्रांत के लिए और पिछड़े क्षेत्र के लिए व्यवस्थाए दी गयी हैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : केवल पांच मिनट बचे हैं कोई माननीय सदस्य इसका सदुपयोग कर सकते हों तो प्रारम्भ कीजिए।

श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर, ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया गया और अभिभाषण में जो बातें दर्शायी गयी हैं उसके अन्दर एक बात मेरे ख्याल से छूटी है जो मैं याद दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकार के समय से एक सुपरस्मेल्टर लगाने की बात उदयपुर डिवीजन में चल रही थी लेकिन जनता सरकार आयी, इसके बाद शायद उस बात को निकाल दिया गया। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि इस सुपर स्मेल्टर उदयपुर क्षेत्र में लगाया जावे तो वहां की जो आदिवासी जनता है उसके लिए काफी लाभदायक होगी। इसका जो कच्चा माल है वह उदयपुर क्षेत्र में ही ज्यादातर निकलता है जिसको हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर के द्वारा निकाला जा रहा है। मेरा इतना ही निवेदन है, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट और हैं।

श्री नाथूराम: अध्यक्ष महोदय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है वह जनता के हित के लिये है। 28 महीने, 3 साल के शासन काल में जनता सरकार द्वारा मेरे क्षेत्र में क्या हुआ उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं। सिंचाई महकमे नें सिंचाई योजना के अन्तर्गत किसानों को वाटर पम्प दिये। वाटर पम्प देने से किसानों के रेहट और दूसरी जो नहर की योजना थी, छोटे-छोटे तालाबों की योजना थी वह बंद कर दी गई वाटर पम्प शुरू किये। वाटर पम्प पर प्रत्येक बी.डी.ओ. ने लगभग 500-500 रुपये हर डीलर से मुनाफा लिया और किसानों को नुकसान पहुंचाया। जब फसल का समय आया उस समय तेल नहीं मिलने के कारण किसान की सारी फसल सूख गयी और वह बर्बाद हो गया। इसके बाद उन्होंने एक ब्लास्टिंग मशीन की बात की वहां पर कम्पनी ने एक विभाग खोल रखा है। इस वजह से ब्लास्टिंग मशीन की बात की लेकिन एक भी कुएं पर ब्लास्टिंग मशीन नहीं लगायी। 4-6 महीने तक वह ब्लास्टिंग मशीन का इंतजार करते रहे लेकिन नहीं आयी। इसका कारण मैंने ढूंढा है। वह था कि चाहे सड़कों के काम होते हों चाहे तालाबों के होते हों वहां पर पांच हार्स पावर लगाये और 50 लिखे

गये । उसका चार्ज लगाकर सारे का सारा पैसा खा गये और गरीब किसान के लिये कोई उपयोग नहीं किया ।

वर्षों के बाद अंग्रेजों से आजादी जब मिली उस समय राजस्थान सेवा संघ डूंगरपुर जो पहले प्रजा मंडल के नाम से काम करता था, को प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जब योजना बनी तो जनता सरकार ने उसे नामंजूर कर दिया । बनवासी कल्याण परिषद, जिसको वहां कोई जानता नहीं को योजना दी । डूंगरपुर में एक पान वाला है वह उसका संचालन करता है और शिक्षा विभाग के इंसपेक्टर हैं वह उसका संचालन करते हैं । इससे पहले एक शिक्षक थे जो मेरे गांव के नजदीक के थे उनको पैसा नहीं मिला था । मैंने जाकर उनको पूछा कि इसको कौन चलाता है, इसका संचालन कौन करता है तो उस भाई ने बताया कि उदयपुर के कोई मंत्री हैं, मंत्री वंत्री को मैं नहीं जानता, डूंगरपुर में एक पान विक्रेता है वह आजकल उसका संचालन करता है । मैंने पूछा कि पैसा क्यों नहीं मिला तो उसने कहा कि पैसा तो वह पहले ही खा पी गये अब तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर रहे हैं ।

इस प्रकार कई तरह की बातें हैं । पांच मिनट मिले हैं इसलिये ज्यादा नहीं कहते हुए जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया उसका पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 10 जुलाई, 1980 के प्रातःकाल 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गयी ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6–59 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 10 जुलाई 1980 के म. पू. 11–00 बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची)

बून्दी जिले में राजकीय चिकित्सालयों की सूची

हास्पिटल (शहरी क्षेत्र)

1. जनरल अस्पताल बूंदी
2. नैनवा

डिस्पेन्सरी (शहरी)

1. लाखेरी
2. पुलिस लाईन बूंदी
3. केशवराय पाटन
4. पेठ डिस्पेन्सरी, बूंदी
5. टी० बी० क्लीनिक, बूंदी
6. ई० एस० आई० डिस्पेन्सरी, बूंदी

डिस्पेन्सरी (ग्रामीण क्षेत्र)

1. खटखड
2. हाथी
3. मडा नया गांव
4. वजावर
5. अलोद
6. करवर
7. बड़ा खेड़ा
8. जवाहर सागर

(114)

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न सं. 8 की प्रतियां

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प. 7/51/ श्रनि/79 दिनांक 10-12-79 द्वारा उप सचिव, श्रम तथा नियोजन विभाग, राजस्थान को निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय, राजस्थान जयपुर।

विषय:— नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों की सूची में से ही नियुक्ति की अनिवार्यता की समाप्ति।

जौन राजकीय कार्यालयों, राज्य के सार्बजनिक क्षेत्र व अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में नियुक्ति करने हेतु नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों की सूची में से हीं चयन करना अनिवार्य है, के संबंध में सरकार के निर्णयानुसार निम्न प्रक्रिया अपनाई जावे :—

(1) कानून के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों की अधिसूचना नियोजन कार्यालयों की पूर्ववत जारी रहेगी, पूर्ववत ही नियोजन विभाग उक्त अधिसूचना पर संप्रेषण जारी रखेंगे, पर नियोक्ताओं के लिए वह अनिवार्य नहीं होगा कि वह नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषण आशार्थियों की सूची में से ही नियुक्ति करें। चयन करते समय उनको यह स्वतंत्रता होगी कि वह नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों के अतिरिक्त अन्य ऐसे आशार्थियो के प्रार्थना-पत्रों पर भी योग्यता एवं पात्रता के आधार पर विचार करलें जो नियोजन कार्यालय में पंजीयत हैं। प्रत्येक नियुक्ति आदेश जिसमें प्रत्येक नियुक्ति आशार्थियों को पंजीयन क्रमांक अंकित हो की एक प्रति सम्बन्धित नियोजन कार्यालय को अनिवार्यतः भेजे।

(2) राजकीय क्षेत्र तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र एंव अर्द्ध शासकीय संस्थाओं पर उपरोक्त प्रक्रिया समान रूप से लागू रहेगी। केन्द्रीय लोक क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

(3) जो भी राजकीय विभाग, लोक क्षेत्र या अर्द्ध सरकारी संस्थायें नियुक्ति के लिए आवेदन आमन्त्रित करने हेतु विज्ञापन जारी करना चाहें, उस विज्ञापन को अनिवार्य रूप से "रोजगार संदेश" में छपने हेतु सीधे नियोजन सेवा निदेशालयों को भेजें। "रोजगार संदेश" के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिका में छपाने की आवश्यकता नियोक्ता के विवेकाधीन होगी।

राजस्थान सरकार

श्रम तथा नियोजन विभाग

जयपुर, दिनांक 13 मई, 80

आदेश

विषय:— नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों की सूची में से ही नियुक्ति की अनिवार्यता की समाप्ति।

क्र. प. 7/51/श्रनि/79/ इस विभाग के उपरोक्त विषयक सम संख्यक आदेश दिनांक 10-12-79 के अन्तर्गत ये आदेश

जारी किये गये थे कि राजकीय कार्यालयों, राजकीय सार्वजनिक क्षेत्र व अर्द्धशासकीय संस्थाओं में नियुक्ति करने हेतु नियोजन कार्यालयों द्वारा सम्प्रेषित आशार्थियों की सूची में से ही नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं होगा। दिनांक 10-12-79 के उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है और 10-12-79 के आदेश जारी होने से पूर्व ही स्थिति को यथावत कायम रखा जाता है।

कुछ विभागों में नियमित भर्ती करने संबंधी तथा अल्पावधि या तदर्थ नियुक्तियों के संबंध में प्रक्रिया नियत हैं, ऐसे विभागों में दिनांक 10-12-79 से पूर्व प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसे विभागों में जो नियुक्तियां दिनांक 10-12-79 के पश्चात् तदर्थ रूप से नियमों के विरुद्ध की गई है उन्हें निरस्त कर दिनांक 10-12-79 से पूर्व प्रचलित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार नियमित किया जावे।

आज्ञा से
ह० ....
(आर. के. शास्त्री)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, सलाहकार, राज्यपाल
2. समस्त शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त जिलाधीश
5. सचिवालय के समस्त विभाग, प्रकोष्ठ
7. निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

ह० उपसचिव

116

परिशिष्ट--3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

तहसील डेगाना में तालाबों का निर्माण

9. **श्री रघुनाथ चौधरी** (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि डेगाना तहसील, जिला नागौर में पिछले वर्षों में कुछ सिंचाई के छोटे मोटे तालाबों का निर्माण कराया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि इन तालाबों में से कई तालाब समय की कमी अथवा धन के अभाव में पूरे नहीं कराये गये एवं अब जो कुछ भी बने हुए हैं वो टूटने की स्थिति में हैं जिसमे जनता को तो नुकसान होगा ही पर सरकार को भी लाखों रुपयों का नुकसान होगा।

(3) निम्नलिखित तालाबों की क्या स्थिति है:–

(1) रोहिसड़ा (2) शाहपुरा (3) पचरान्डा (4) गोठड़ा (5) राजलोता (6) बनवाड़ा (7) सेनड़िया (8) मोडीकलां क्या इन उपरोक्तत तालाबों को पूरा कराने का राज्य सरकार इरादा रखती है ताकि इनको टूटने से बचाया जा सके ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जो कुछ हुए वे टूटने की स्थिति में नहीं हैं।

(3) इनमें से पंचरान्डा का कार्य पूर्ण हो गया था। राजलोता का कार्य इस वर्ष डी. पी. पी. मद के अन्तर्गत करवाया जा रहा है जो इस वर्ष पूर्ण करवा दिया जावेगा। बनवाड़ा एवं सेनड़िया के कार्य वर्ष 1980-81 में अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। शेष कार्य अकाल राहत के अधूरे है।

चूरू जिले में दुग्ध उत्पादन

10. **श्री मालूखां** (चूरू) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चूरू जिले में दूध उत्पादन बढ़ाने और विक्रय करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(2) अब कितना दूध चूरू जिले में प्रतिदिन सरकार द्वारा खरीदा जाता है और उसका क्या किया जाता है ?

(3) चूरू जिले के लिए अलग से दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ संस्था कब तक बनाई जावेगी ?

(4) सरदारशहर के चिलिंग प्लान्ट की क्षमता क्या है, कितनी क्षमता का उपयोग किया जाता है तथा दुग्ध संग्रह में कमी क्यों है ? इसको कब तक दूर किया जावेगा ?

(5) चूरू जिले में अन्य चिलिंग प्लान्टस अब तक क्यों नहीं लगाये गए ? अब चिलिंग प्लान्ट कब तक कितने और कहां कहां लगाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में उत्पादन बढ़ाने हेतु दुग्ध उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम चलाया जा रहा है, व विक्रय हेतु सरदारशहर में अवशीतन केन्द्र स्थापित किया जा चुका है।

(डेयरी विकास मंत्री)

(2) वर्तमान में 8934 लीटर चूरू जिले से क्रय किया जाकर बीकानेर/दिल्ली भेजा जा रहा है।

(3) इस संबंध की कार्यवाही चालू है।

(4) सरदारशहर चिलिंग प्लान्ट की क्षमता 10 हजार लीटर प्रतिदिन है, जिसको बढ़ाकर 30 हजार लीटर प्रतिदिन किया जा रहा है वर्ष 77–76 में 14966 लीटर दुग्ध संकलित हुआ था, वर्तमान में 6134 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो रहा अकाल की स्थिति के कारण दुग्ध संग्रह कम है, वर्षा अच्छी होने पर स्थिति में सुधार की संभावना है।

(5) चूरू जिले का सर्वेक्षण कराया गया है, अब एक और चिलिंग प्लांट राजगढ़ में लगाने का कार्य इसी वर्ष में आरम्भ हो जावेगा।

राज्य सरकार पर ओवर ड्राफ्ट

11. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार पर कितना ओवर ड्राफ्ट है ?

(2) कितना ओवर ड्राफ्ट होने पर रिजर्व बैंक रैड स्लिप भेज देता है ?

(3) इस ओवर ड्राफ्ट को कम करने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1 जुलाई, 1980 को राज्य सरकार पर रु. 1.21 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था।

(2) ओवर ड्राफ्ट होने पर रिजर्व बैंक द्वारा रैड स्लिप भेजे जाने की कोई पद्धति प्रचलित नहीं है।

(3) राज्य सरकार का आय व्यय प्रतिदिन आनुपातिक रूप से नहीं होता है। जब कभी आय से व्यय अधिक हो जाता है तो ओवर ड्राफ्ट की स्थिति बनती है तथा आय व्यय से अधिक होने पर यह स्थिति पुन: बदल जाती है।

डेगाना से मेरुंदा वाया निम्बड़ी सड़क

12. श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि डेगाना मेरुन्दा सड़क वाया नीम्बड़ी जो कि अधूरी डामर सड़क है को नीम्बड़ी से मेरुंदा तक पूरी करने की स्वीकृति अभी वर्ष 1979-80 में दी गई है ?

(2) यदि हां, तो इस कार्य की क्या प्रगति है एवं सड़क का कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? इस सड़क को मेटल्ड रोड कब बनाया गया था तथा अब तक बिना डामर किस कारण से पड़ी रही ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम नीम्बड़ी कलां से नीम्बड़ी कोठारिया तक मेटल्ड सड़क को डामर करने की स्वीकृति वर्ष 1977 में दी गई थी ?

(4) यदि हां, तो कृपया बताएं कि मन्जूरी के बाद इस भाग पर डामर कब किया गया तथा इस 2 कि.मी. हिस्से पर डामर करने से पूर्व कितनी बार मेटल किया गया तथा इस पर कितना खर्च किया गया ?

118

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(1) जी हां। यह सड़क एडवांस प्लान में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत स्वीकृत की गई है।

(2) कार्य प्रगति में हैं एवं सड़क का कार्य छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है। इस सड़क का मेटल कार्य 1973-74 में किया गया था। डामर का कार्य स्वीकृति न होने के कारण नहीं कराया गया।

(3) जी हां।

(4) सन् 1977 के बाद 1 कि. मी. डामर कार्य जून, 1980 में कराया गया। कि.मी. 2 में कार्य प्रगति में हैं एवं मार्च, 1981 तक पूर्ण होने की संभावना हैं। 2 कि.मी. भाग पर रिमेटलिंग का कार्य जून-जुलाई, 1979 में एक दो बार किया गया था। मार्च, 1980 तक लगभग 56,000/- रुपया व्यय किया गया।

परिवार कल्याण विभाग पर हुआ व्यय एवं जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण

13. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण विभाग पर राज्य सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ और कुल कितने ओपरेशन हुए ?

(2) बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जावेंगे ?

(3) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण योजना के लिए राज्य में सैकड़ों व्यक्तियों को गत सरकार ने नियुक्त किया था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्य किए ? क्या सरकार इस योजना को चालू रखेगी ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण विभाग पर सरकार द्वारा 1232.58 लाख रुपये खर्च हुए व कुल 81.033 ओपरेशन हुए।

(2) बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा संचालित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कदम उठाये हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1-प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा जन साधारण को छोटा परिवार रखने के लिये समझाया जाता है।

2-युवा दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के विभिन्न उपकरणों की जानकारी एवं निःशुल्क सेवायें उपलब्ध कराई जाती हैं।

3-महिला एवं शिशु मृत्यु दर कम करने व उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने की सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

4-स्वेच्छा से स्थाई साधन स्वीकार करने वालों को भारत सरकार से देय क्षति पूर्ति राशि के अलावा अतिरिक्त राशि राज्य सरकार की ओर से देने का प्रावधान रखा गया है।

5-जनता की अत्यन्त मांग के कारण दूरबीन (लेब रीखकोर्षा) से महिला नशबन्दी की सुविधायें भी बढ़ाई जा रही हैं।

(परिवार कल्याण मंत्री)

6–फोलो-अप सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत नियुक्तियां नहीं दी गई थीं परन्तु स्वयं जनता द्वारा चुने हुए 1000 की आबादी पर एक व्यक्ति को स्वयं सेवक के रूप में 50/- रुपये माहवार मान-देय पर रखा गया था। यह योजना सितम्बर, 1979 के के बाद यथावत रखी गई है। क्योंकि भारत सरकार से पहले यह योजना शत प्रतिशत सहायता के रूप में थी जिसे अब 50% भारत सरकार और शेष 50% राज्य सरकार को वहन करना है। वर्तमान में यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जनरल अस्पताल अलवर की एक्स-रे मशीन्स

14. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जनरल अस्पताल में एक्सरे मशीन किस-किस मॉडल की है एवं किस किस सन् में खरीद की गई थी? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इन मशीनों द्वारा आई. वी. पाइलोग्राफी, कोलोस्टोग्राफी मायोग्राम, हिस्टोसलापीगोग्राफी नहीं की जा सकती?

(3) क्या एक्सरे मशीनें अक्सर खराब रहती हैं? अगर हां, तो क्या सरकार 500 एम. ए. की नई मशीन खरीदने की आवश्यकता महसूस करती है?

(4) अगर हां, तो सरकार कब तक नई मशीन खरीद कर लेगी?

उत्तर

(1) अलवर जनरल अस्पताल में एक्सरे मशीनों के माडल एवं खरीद के वर्ष सम्बन्धी सूचना निम्न प्रकार है:—

मशीन मेक	खरीद का वर्ष
एसकोर्ट 200 एम. ए.	10 वर्ष से पूर्व से क्रय की गई थी
2-जी. ई. सी. 50 ए. एम.	सन् 1978 में क्रय की गई
3-जी. ई. सी. 100 एम. ए.	10 वर्ष से पूर्व क्रय की गई
4-वी. ई. सी. 30 एम. ए. ,,	,,

(2) जी नहीं। मायोग्राफी के अलावा सभी प्रकार के एक्स रे इन मशीनों द्वारा लिये जा सकते हैं।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

सीकर जिले के गांवों का विद्युतिकरण

15. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**: क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सीकर जिले के पूर्ण विद्युतिकरण के लिये सर्वेक्षण हो चुका है?

(2) सीकर जिले के कितने गांवों में बिजली पहुंचाने का काम बाकी है?

(3) क्या 30 दिसम्बर, 1980 तक सम्पूर्ण जिले में विद्युतिकरण का कार्य पूरा करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी है?

उत्तर

(1) जी हां।

(विद्युत मंत्री)

(2) सीकर जिले में कुल 839 ग्राम हैं जिनमें से अभी 200 ग्रामों में बिजली पहुंचाने का काम बाकी है।

(3) जी नहीं।

कस्बा सुनेल में सब-तहसील कायम करना

17. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में पहले सब-तहसील थी ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा हेतु वहां सब-तहसील कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

यह सही है कि जिला झालावाड़ की तहसील पिड़ावा के कस्बे सुनेल में पहले उप तहसील थी जहां नायब तहसीलदार, तहसीलदार पिड़ावा के अन्तर्गत कार्य करता था। सुनेल उप तहसील तोड़ी जाकर सन् 1958 में तहसील पिड़ावा में विलीन कर दी गई। सुनेल कस्बे में उप तहसील स्थापित करने का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पीने के पानी की समस्या का समाधान

18. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पीने के पानी की समस्या को निपटाने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि हर वर्ष पीने के पानी समस्या बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि जहां आज योजना चालू है वहां भी कहीं डीजल की कमी और कहीं स्टाफ की लापरवाही से ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां तो निदान स्वरूप क्या कारगर कदम उठाए जावेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में पीने के पानी की समस्या को मिटाने की 800 करोड़ रु. की योजना है जिससे अगले 10 वर्षों में ग्रामीण जनता की मांग व बढ़ी हुई नगरों की पेयजल की मांग को पूर्ण करने का प्रस्ताव है। राज्य में सभी नगरों में पेयजल योजनायें पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

(2) यह सत्य नहीं है कि पीने के पानी की समस्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है बल्कि नई नई योजनाएं चालू करके समस्या का निदान किया जा रहा है।

(3) राज्य की संधारित जल प्रदाय योजनाओं में से केवल 13 योजनाएं डीजल की कमी के कारण अल्प अवधि के लिए बंद रहीं तथा केवल तीन योजनाएं कुछ समय के लिए स्टाफ की लापरवाही के कारण बन्द रहीं।

श्यामगढ़ क्षेत्र में सिंचाई हेतु बांध का निर्माण

19. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर तहसील के श्याम-गढ़ क्षेत्र के 12 गांवों में सिंचाई के लिये बांध बनाने हेतु सर्वेक्षण हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो कितने बांध, किन किन स्थानों पर बनने का सर्वेक्षण हुआ है ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या उपरोक्त बांधों के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अन्त्योदय योजना

20. श्री बाल चन्द्र आर्यवीर (डग): क्या अन्त्योदय योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने गरीब परिवार हैं और उनका विकास करने की सरकार ने क्या योजना बनाई हैं ?

(2) गरीबों के कल्याण के लिए गत सरकार ने जो अन्त्योदय योजना लागू की थी क्या सरकार उस योजना को पूर्णरूपेण चालू रखेगी ?

उत्तर

(1) गरीबी की परिभाषा में भिन्नता के कारण गरीब परिवार की सही संख्या नहीं आंकी जा सकती है। योजना आयोग ने छठी पंच वर्षीय योजना के संशोधित प्रारूप में वर्ष 1977/78 की कीमतों पर रु. 65.00 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गरीबी रेखा मानी है। उसे आधार मानते हुए राजस्थान में नेशनल अब सैम्पल सर्वे के 32 वे चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 54 प्रतिशत ग्रामीण परिवार गरीब हैं इनकी अनुमानित संख्या 27 लाख है। इन परिवारों से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु अन्त्योदय योजना वर्ष 1977 में राज्य सरकार ने बनाई है।

(2) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अणु विद्युत् संयन्त्र की अव्यवस्था

21. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान अणु विद्युत संयन्त्र पिछले एक वर्ष में कितनी बार खराब हुआ है और उसकी मरम्मत पर कितना खर्च आया है ?

(2) क्या यह सही है कि भारत में यही एक संयंत्र है जो साल में छः महीने चलता है और छः महीने बन्द रहता है जिसके कारण बिजली की कटौती होती है और उसका असर काश्तकार व उद्योगों पर भारी पड़ता है ? यदि हां, तो भविष्य में इस स्थिति के निराकरण की क्या व्यवस्था की जायेगी।

उत्तर

(1) राजस्थान अणु शक्ति विद्युत गृह पिछले एक वर्ष में 13 बार बन्द हुआ है। इसकी मरम्मत पर आये खर्चे के आंकड़े राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि अणु गृह पर भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग का नियन्त्रण है।

(2) देश के अन्य अणु शक्ति विद्युत गृह के बन्द होने की जानकारी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास उपलब्ध नहीं है। राजस्थान अणु विद्युत गृह वर्ष 1973-74 से वर्ष 79-80 की अवधि में प्रति वर्ष जितने दिन बन्द रहा उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	अणु संयंत्र कितने दिन बन्द रहा
1973–74	174
1974–75	179
1975–76	235
1976–77	87
1977–78	290
1978–79	228
1979–80	95

(विद्युत मंत्री)

अणु शक्ति संयंत्र बन्द हो जाने से राज्य की विद्युत उपलब्धि में भारी कमी आती है जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ना स्वाभाविक है। भारत सरकार का ध्यान बार बार इस ओर उच्च स्तर पर आकर्षित किया जाता है ताकि भविष्य में संभवतः यह अणु शक्ति गृह कम से कम बन्द हो।

सीकर में शोभावती नदी पर बांध बनाने हेतु सर्वेक्षण

22. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर तहसील में शोभावती नदी पर बांध बनाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है ?

(2) यदि हां, तो क्या उपरोक्त बांध के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है ?

(3) उपरोक्त बांध में कितने जल भंडार की क्षमता होगी और कितना क्षेत्रफल सिंचित होगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) इसके जल भंडार की क्षमता 32.00 मिलियन एकजूट होगी एवं इसमें अनुमानतः 300 एकड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष सिंचाई होगी।

डग क्षेत्र की पचपहाड़ से गुराड़िया माना सड़क

23. **श्री बालचन्द्रआर्यवीर** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र में पचपहाड़ से गुराड़िया-माना सड़क की मन्जूरी हुई है ?

(2) यदि हां, तो उसका कार्य कितना होना बाकी है शेष कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुल. 4 कि. मी. में मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है तथा 2½ कि. मी. में मिट्टी एकत्रित की जा चुकी है। कार्य 81-82 में पूर्ण होने की संभावना है।